खण्ड-199, अंक-8
शुक्रवार, 14 अग्रहायण, शक संवत् 1880
(5 दिसम्बर, 1958 ई0)

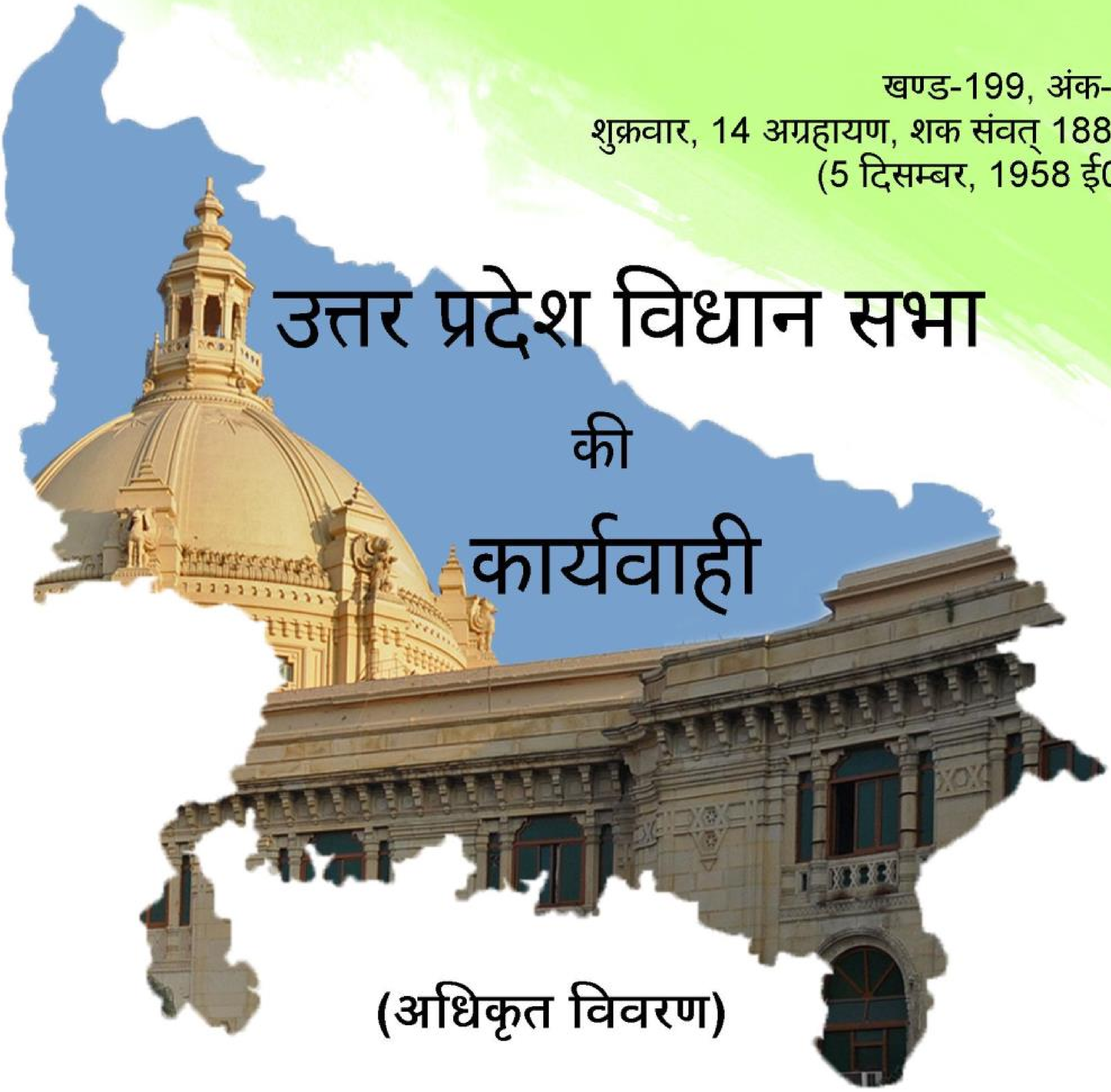

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 199 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ५ दिसम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७१

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय , श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
ग़यूर अली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबाहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नरायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्मारकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री

प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री

राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
वियजशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री

श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ५ दिसम्बर, १९५८

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, लखनऊ का बीच सेशन में बन्द हो जाना

**१—श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ गवर्नमेंट टेक्निकल इन्स्टीट्यूट लखनऊ के बीच सेशन में बन्द होने के क्या कारण हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—गवर्नमेंट टेक्निकल इन्स्टीट्यूट लखनऊ, के बीच सेशन में बन्द करने का कारण यह था कि उक्त इन्स्टीट्यूट के कुछ छात्रों ने सरकार के सामने दो मांगें पेश की थीं जिन पर सरकार उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश, व राजकीय प्राविधिक शिक्षा बोर्ड (State Board of Technical Education) के परामर्श से विचार कर रही थी। जब यह मामला सरकार के विचाराधीन था, उसी बीच इन छात्रों ने पिकेटिंग व भूख हड़ताल करना शुरू कर दिया तथा इन्स्टीट्यूट के अन्य छात्रों एवं कर्मचारियों को इन्स्टीट्यूट में जाने से रोकना शुरू कर दिया । फलस्वरूप इंस्टीट्यूट की पढ़ाई को चलाना असम्भव हो गया। इस परिस्थिति में राज्य सरकार को अनिच्छापूर्वक इंस्टीट्यूट को अनिर्णीत समय तक बन्द करने के लिये विवश होना पड़ा ।

**२—श्री रामशरण यादव—उक्त इंस्टीट्यूट कब खोला जायगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—उक्त इंस्टीट्यूट को ८ दिसम्बर, सन् १९५८ ई० से खोलने का विचार है । आशा है इस तारीख को यह इंस्टीट्यूट खुल जायगा ।

श्रीमन्, प्रश्न संख्या २ के उत्तर में अब कुछ तब्दीली हो गयी है जिसे मैं पढ़ देना चाहता हूं । पहले यह इंस्टीट्यूट ८ दिसम्बर, १९५८ को खोले जाने का विचार था, लेकिन इसी बीच में हमने जो फैसला किया उसके मुताबिक अब यह १० दिसम्बर, को खोला जा रहा है।

श्री रामशरण यादव---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उन विद्यार्थियों की जो दो मांगे थीं वे कौन-कौन-सी थीं और क्या वे मांगे मंजूर कर ली गयी हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---विद्यार्थियों की एक मांग तो यह थी कि डिप्लोमा कोर्स को डिग्री कोर्स मान लिया जाय और दूसरी यह मांग थी कि क्लास (२) सर्विसेज के लिये जो नौकरियां इंजीनियरिंग वगैरह की हैं उन सब के लिये उनको एलिजिबिल मान लिया जाय । इन दोनों मांगों में से न तो कोई मंजूर ही हुई है और न किसी को मंजूर किये जाने का प्रश्न ही सरकार के सामने है ।

श्री रामशरण यादव---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि उन विद्यार्थियों को जब ऐडमिशन दिया गया था तो उस वक्त इन दोनों मांगों की शरायत पर दिया गया था?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, यह कतई गलत है, विद्यार्थियों को डिप्लोमा कोर्स के सिवा न तो किसी दूसरे कोर्स के लिये कभी भर्ती ही किया गया और न कभी ऐसी कोई बात ही कही गयी जिससे ऐसा कोई आभास हो सकता हो ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि स्टेट बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन ने डिप्लोमा कोर्स को डिग्री कोर्स मानने के बारे में क्या राय दी है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---उन्होंने राय दी है कि डिप्लोमा कोर्स को डिप्लोमा कोर्स ही रहने दिया जाय ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जैसा उन्होंने अभी फरमाया है कि आपने उनकी मांगें नहीं मानी और १० तारीख को विद्यालय खुलने जा रहा है, तो क्या आपने ऐसी कोई व्यवस्था की है कि विद्यार्थी आकर उसमें पढ़ सकें ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---आप सबकी कृपा बनी रही तो विद्यार्थी पढ़ने के लिये तैयार हैं ।

श्री रामशरण यादव---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सरकार के यह विचाराधीन है कि विद्यार्थियों ने जो दूसरी मांग प्रस्तुत की है उसके अनुसार क्या कोर्स (कैरिकुलम) दूसरा बदला जा रहा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, सवाल साफ नहीं है लेकिन यदि माननीय प्रश्न-कर्त्ता का आशय यह है कि कोई कोर्स तब्दील करने जा रहे हैं या डिप्लोमा में तरमीम करने जा रहे हैं, तो वह बात बिलकुल नहीं है ।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय उद्योग मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे, जैसा कि उन्होंने उत्तर में कहा कि १० दिसम्बर को विद्यालय खुलेगा, तो कौन से ऐसे कारण हैं कि सरकार उसको आज खोलने के लिये तैयार नहीं है ?

श्री अध्यक्ष---फैसला तो उन्होंने बतला ही दिया ।

श्री उग्रसेन---क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय के छात्रों के अभिभावकों पर सरकार ने जोर दिया है कि वे अपने लड़कों को किसी तरह से विद्यालय में भेजें ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---कतई गलत बात है । हमने कोई कोशिश भी इसकी नहीं की और न इरादा ही किया ।

श्री रामशरण यादव---क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रिन्सिपल साहब ने गार्जियन्स को बुलाया और उन गार्जियन्स ने यह मान लिया कि वे अपने लड़कों को भेजेंगे और उनकी प्रस्तावना पर गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि स्कूल खोला जाय या स्वतः गवर्नमेंट ने अपनी प्रेरणा से ऐसा किया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जब यह स्कूल बन्द हुआ तो उसका अफसोस हमको प्रिन्सिपल साहब व उद्योग विभाग सब को था । बराबर यह कोशिश थी कि यह पढ़ाई-लिखाई का काम चालू हो क्योंकि मुल्क को ऐसे लोगों की जरूरत है जो वहां से निकलते हैं । प्रिन्सिपल साहब ने सलाह-मशविरा किया और अन्ततोगत्वा यह तय हुआ कि वे लोग जो गलत रास्ते पर जाने वाले थे, नहीं जायेंगे और स्कूल खोला जाय । जब यह बात आपस में समझौते व सलाह-मशविरे से तय हो गयी तो स्कूल खोला जा रहा है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या सरकार बतलायेगी कि आपस में जो सलाह-मशविरा हुआ उसके तत्काल बाद ही स्कूल क्यों नहीं खोला गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जल्दी से जल्दी भी वक्त लेती है ।

गाजियाबाद, हापुड़ व खुर्जा नगरपालिकाओं के अवक्रमण पर विचार

**३---श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि नगरपालिका गाजियाबाद व हापुड़ जिला मेरठ को भंग करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---नगरपालिका गाजियाबाद व हापुड़ के कार्य के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुईं । गाजियाबाद नगरपालिका को भंग करने का प्रश्न नवम्बर, १९५८ से सरकार के विचाराधीन है । हापुड़ की शिकायतों की जांच हो रही है ।

**४---श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि नगरपालिका खुर्जा, जिला बुलन्दशहर, को भंग करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---नगरपालिका खुर्जा के कार्य के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुईं, जिन की जांच हो रही है । जांच के उपरान्त भंग करने या न करने का प्रश्न उठेगा ।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि गाजियाबाद नगरपालिका के खिलाफ मुख्य-मुख्य क्या शिकायतें हैं जिस की वजह से उसे भंग करना पड़ रहा है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---सब से बड़ी शिकायत कुप्रबन्ध की है । उस के ऊपर लाखों रुपये का कर्जा हो गया है और बढ़ता जा रहा है और कोई दशा ऐसी नहीं मालूम होती कि उसका सुधार हो सकेगा । आपस में लड़ाई-झगड़ा है और काम की तरफ किसी की तवज्जह नहीं है, लड़ने-झगड़ने की ही तरफ है ।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मन्त्री खुर्जा नगरपालिका की भी शिकायतें बतलाने की कृपा करेंगे कि जिसकी वजह से उसे भंग करने की जरूरत पड़ रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, मैंने स्वयं अध्ययन तो नहीं किया है, दफ्तर में जांच उनकी हो रही है ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---गाजियाबाद नगरपालिका पर कितना कर्जा हो गया है और किस-किस का है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---ज्यादातर कर्जा सरकार का है। ११-१२ लाख से ज्यादा का कर्जा है।

श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)---क्या माननीय मन्त्री को ज्ञात है कि गाजियाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के १७ सदस्यों ने बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव भेजा है जिसकी २७ तारीख है, तो क्या बोर्ड उस से पहले भंग हो जायगा या उन्हें राय देने का मौका मिलेगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---भंग तो बिना राय लिये हुए हो ही नहीं सकता। माकूल कारण बतलायेंगे तो भंग नहीं किया जायगा।

श्री तेजासिंह---मेरा प्रश्न यह नहीं था कि भंग करने के लिए उनसे राय ली जायगी, बल्कि यह था कि चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव है तो वह अगली २७ तारीख से पहले भंग होगा या उस पर राय होगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इस में, श्रीमन्, संभावना यही है कि उस से पहले शायद ही भंग हो सके।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि खुर्जा नगरपालिका की जो शिकायतें हैं उन्हें अन्तिम रूप से कब समाप्त कर दिया जायगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---ठीक तिथि नहीं दी जा सकती। शीघ्र ही करने का विचार है।

यू० पी० सेल्स टैक्स कमेटी की रिपोर्ट

**५---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या वित्त मन्त्री सन् १९५५-५६ में सरकार द्वारा नियुक्त य० पी० सेल्स टैक्स कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)---जी नहीं। सरकार को ऐसी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस अत्यन्त महत्वपूर्ण यू० पी० सेल्स टैक्स कमेटी, जिस में सदन के माननीय सदस्य थे और यू० पी० के नागरिकों के तमाम प्रतिनिधि थे, उस की रिपोर्ट सरकार क्यों नहीं प्रकाशित करना चाहती ?

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---यह तो एक कमेटी थी जिसको सरकार ने नियुक्त किया था, लेजिस्लेचर से नियुक्त नहीं हुई थी, उस की ऐडवाइजरी हैसियत थी और उसकी रिपोर्ट को प्रकाशित करना सरकार उचित नहीं समझती।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को ज्ञात है कि भूतपूर्व वित्त मन्त्री, श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम ने दो,-तीन बार आश्वासन दिया था कि जल्दी ही उसकी रिपोर्ट प्रकाशित करके सदन की मेज पर रखी जायगी ?

श्री सैयद अली जहीर---मुझे इसकी इत्तला नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस सेल्स टैक्स कमेटी की मुख्य सिफारिश सेल्स टैक्स के बारे में क्या है ?

श्री सैयद अली जहीर---जो मेन रिकमन्डेशन्स हैं ज्यादातर वे ऐसी हैं जिन के ऊपर अमल-दरामद सरकार पहले ही कर चुकी है। बाकी कुछ ऐसी हैं जो आउट आफ डेट हो चुकी हैं। लिहाजा बयान करने की जरूरत नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि सारे सेल्स टैक्स सिस्टम को सिंगिल प्वाइन्ट सिस्टम में तब्दील करने के बारे में कमेटी ने क्या राय दी है ?

†श्री सैयद अली जहीर—मौजूदा टैक्स सिस्टम को सिंगिल प्वाइन्ट में तब्दील करने की कमेटी ने राय दी थी और यह सिफारिश की थी कि यह टैक्स रजिस्टर्ड व्यापारी द्वारा अन-रजिस्टर्ड व्यापारी या कन्ज्यूमर को की गई बिक्री पर लगाया जाय।

खाद्यान्न संबंधी सर्वदलीय समिति

**६—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में खाद्य समस्या के समाधान हेतु जो सर्वदलीय समिति बनी है उसकी कितनी बैठकें हुई हैं ?

खाद्य मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—सर्वदलीय खाद्य समिति की अभी तक कुल ४ बैठकें हुई हैं।

**७—श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त समिति ने क्या सिफारिशें कीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अभी समिति की बैठकें चल रही हैं और समिति ने अन्तिम सिफारिशें नहीं दी हैं।

**८—श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार ने उक्त समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया है ? अगर हां, तो किन-किन को ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का अभी प्रश्न नहीं उठता।

श्री गौरीशंकर राय—क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि इस समिति के सामने तात्कालिक सहायता से सम्बन्ध रखने वाली सिफारिशें भी मौजूद हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह तो समिति को पूरा अधिकार है वह कोई प्रश्न उठा सकती है।

श्री गौरीशंकर राय—तो क्या जब समिति की सिफारिश में इतना विलम्ब होगा तब मन्त्री जी समझते हैं कि तात्कालिक जो सहायता है वह कैसे कार्यान्वित हो पायेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—कमेटी को मैं बाध्य तो नहीं कर सकता कि वह किसी चीज को तुरन्त कर दे। यह तो कमेटी के हाथ में है।

श्री गौरीशंकर राय—इस कमेटी की अन्तिम सिफारिश कब तक आ जायगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह भी कमेटी के सदस्यों पर निर्भर करता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या समिति ने अभी तक कोई प्रस्ताव किया है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—प्रस्ताव की बात अभी तक नहीं आयी है। अभी तो बहस कर रहे हैं, अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि कमेटी ने तात्कालिक सहायता के लिए यह सिफारिश की थी कि विद्यार्थियों की फीस अविलम्ब सरकार माफ कर दे ?

---

† श्री अध्यक्ष की आज्ञा से संशोधित।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—कई विषयों पर उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। मगर अभी किसी चीज का निर्णय नहीं लिया है।

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कमेटी ने अपनी किसी मीटिंग में खाद्यानों में राज्य व्यापार करने के प्रश्न पर विचार किया है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—वह अभी इस निर्णय तक नहीं पहुंची है।

श्री रामशरण यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस कमेटी को यह भी टर्म रिफर किया गया है कि वह ऐग्रीकल्चरल और इन्डस्ट्रियल कमोडिटीज की प्राइस में सन्तुलन की सिफारिश करे?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—कमेटी का टर्म आफ रिफरेंस कोई खास नहीं है जो वह मुनासिब समझेगी करेगी।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—मन्त्री जी ने कहा कि अभी तक समिति वहां तक नहीं पहुंची है, लेकिन जिन विषयों पर गौर हो चुका है उन की सिफारिशें उस ने सरकार को अभी भेजी हैं या नहीं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मैं कह चुका कि पहली मीटिंग में तो कमेटी ने सन्तोष जाहिर किया कि अब की फसल अच्छी हुई है और अब दूसरे विषयों पर विचार हो रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस समय कौन-कौन से विषय समिति के विचाराधीन हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अभी तक तो कुछ रेवेन्यू से सम्बन्धित मामलों पर बहस हो रही है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सत्य है कि इस समिति की मीटिंग सरकार बुलाती है और टाल दी जाती है, अभी कल टाल दी गयी और इस सेशन में नहीं होने जा रही है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मीटिंग तो होती ही रहती है अब भी शायद १६ को रखी गयी है।

केन्द्र से खाद्यान्न की प्राप्ति

**९—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अगस्त, सन् १९५८ से नवम्बर, १९५८ तक राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से प्रति माह कितना और किस प्रकार का गल्ला प्राप्त हुआ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अगस्त, १९५८ से नवम्बर, १९५८ तक राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार से प्राप्त गल्ले की तालिका सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७७७ पर)

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन्हीं महीनों में जिनकी तालिका सदन की मेज पर रखी है राज्य सरकार ने कितने गल्ले की मांग केन्द्रीय सरकार से की थी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—हमेशा जितना हमने आवश्यकता के अनुसार मांगा उतना हमें केन्द्रीय सरकार ने दिया और जो दिया है उसकी तालिका दी गयी है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन्हीं महीनों में जब खाद्यान्न की कमी चल रही थी और गल्ले की अधिक मांग थी तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इतने गल्ले की मांग क्यों नहीं की कि जिससे हमारे यहां भी बंगाल और बिहार की तरह अधिक दूकानें खुल सकतीं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मांग हमने की और उसी से ४,००० के लगभग दूकानें बढ़ायी जा सकीं जो पहले से थोड़ी थीं।

श्री गौरीशंकर राय—क्या मन्त्री जी को मालूम है कि जितना गल्ला मांगा गया वह यहां की आवश्यकता से कम था?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—आवश्यकता से कतई कम नहीं था, हालत पहले से बहुत सुधर चुकी है और अब गल्ले की कीमतें पहले से डाउन जा रही हैं।

श्री उग्रसेन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गल्ले को ठीक समय से न उठाने और न मंगाने के कारणों से केन्द्रीय सरकार ने प्रादेशिक सरकार को फटकारा है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—फटकारा नहीं है और शाबाशी दी है कि बहुत ठीक काम किया गया है।

महंगाई भत्ता

**१०—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेशीय सरकार ने प्रदेश में काम करने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने हेतु केन्द्रीय सरकार से रुपया मांगा है? यदि हां, तो वह कितना रुपया है और उस पर केन्द्रीय सरकार की ओर से क्या उत्तर सरकार को प्राप्त हुआ है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—१ अगस्त, १९५७ से राज्य सरकार और लोकल बाडीज क कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की दर में जो वृद्धि की जा चुकी है उसके अलावा प्रदेश में काम करने वाले कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की दर में और बृद्धि करने के विचार से राज्य सरकार ने भारत सरकार से कोई माली मदद नहीं मांगी है।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण आप के द्वारा चाहता हूं। मुझे माननीय सम्मानित व्यक्ति का उत्तर मिला है न कि सरकार का। इस में लिखा है "सैयद अली जहीर"। मैं माननीय व्यक्ति की कद्र करता हूं, मगर मैं सरकार का उत्तर चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप शायद उनको पहिचानते नहीं हैं।

श्री प्रतापसिंह—सम्मानित व्यक्ति की हैसियत से नहीं पहचानता हूं।

श्री अध्यक्ष—नहीं, आप मन्त्री की हैसियत से भी पहचानते हैं। आप उनको मन्त्री मानकर चलिये।

श्री सुरथबहादुरशाह—आजकल परिवर्तन हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—वह परिवर्तित हैं, मगर हैं मन्त्री।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय वित्त मंत्री सदन की जानकारी के लिए उस विचार को बतायेंगे जिस विचार से केन्द्रीय सरकार को पत्र लिखा गया है?

श्री सैयद अली जहीर—मैं समझा नहीं, किस सवाल के जवाब में सवाल है।

श्री प्रतापसिंह—पहले माननीय मन्त्री जी अपने उत्तर को पढ़ ल। उत्तर में यह है कि "राज्य सरकार ने इस विचार से पत्र नहीं लिखा है", तो किस विचार से पत्र लिखा है?

श्री सैयद अली जहीर—वैसे तो बहुत सा पत्र-व्यवहार हुआ ही करता है। इस सिल-सिले में नहीं हुआ है।

श्री प्रतापसिंह—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। उत्तर यह है कि 'प्रदेश में काम करने वाले कर्मचारियों की मंहगाई भत्त को बढ़ाने के लिए पत्र नहीं लिखा गया, तो किस विचार से लिखा गया, वित्तीय विभाग से, यह स्पष्ट बतलाया जाय?

श्री सैयद अली जहीर--मैंने जैसा अर्ज किया कि हमारे डिपार्टमेंट से और केन्द्रीय सरकार से तो बराबर खतो-किताबत होती है, लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं, इस विचार से नहीं लिखा गया।

श्री प्रतापसिंह--श्रीमन्, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर उत्तर स्पष्ट नहीं मालूम हो तो स्थगित कर दिया जाय और सही तरीके से उत्तर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--उत्तर तो दे दिया। आपने पूरक प्रश्न पूछा कि कौन-सा विचार है। वह कहते हैं कि कई विचारों से कई पत्र लिखे जाते हैं। अब इस वक्त यह बताना कि इस विचार से ही फलाना पत्र लिखा गया, बहुत मुश्किल होगा।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में काम करने वाले कर्मचारी और लोकल-बाडीज के कर्मचारियों का कम वेतन समझ कर उस वेतन को सरकार बढ़ाने जा रही है ?

श्री सैयद अली जहीर--इस वक्त जो वृद्धि होनी थी वह हो चुकी है, अब सरेदस्त तो कोई और बढ़ाने का विचार नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उन्होंने महंगाई भत्ता बढ़ाये जाने हेतु केन्द्रीय सरकार से कितना रुपया मांगा और कितना मिला ?

†श्री सैयद अली जहीर--जैसा माननीय सदस्य जानते हैं, इस बात का जिक्र १९५६ में हुआ था, नैशनल डेवलपमेंट कौंसिल में कि छोटे तनख्वाह वालों की तनख्वाहें बढ़ाई जायं। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने पहली अगस्त, १९५७ से ५ रुपया, जो ऐसे एम्प्लाईज हैं जिनकी तनख्वाह ९५ या उससे कम है उनका डीयरनेस एलाउंस बढ़ा दिया और केन्द्रीय सरकार ने वादा किया कि दो-तिहाई मदद देंगे दूसरे प्लान में और बकिया अपने पास से मीट करना होगा। तो इस बुनियाद पर उनसे मदद ली गयी थी। वह मदद पहले साल की, १९५७-५८ में तो २ करोड़ १० लाख थी और बाकी हमने दिया। अब जो साल चल रहा है अप्रैल, १९५८ से मार्च, १९५९ तक उसमें ३ करोड़ ९६ लाख के करीब मदद होती है। चुनांचे इसमें भी २ करोड़ ६४ लाख हमको उम्मीद है कि केन्द्रीय सरकार से मिलेगा। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना के खत्म होने के बाद क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी गालिबन खुद प्रान्तीय सरकार को बरदाश्त करनी पड़ेगी, लिहाजा इस वक्त उसमें बढ़ाना सम्भव नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि थर्ड फाइव ईयर प्लान में यह महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार से कुछ लिखा-पढ़ी शुरू कर दी गयी है ?

श्री सैयद अली जहीर--जहां तक थर्ड फाइव ईयर प्लान का ताल्लुक है उसके मुताल्लिक तो बातचीत हो रही है। जब बातचीत हो जायगी तब सवाल होगा कि क्या खतो-किताबत की गयी।

जलमग्न क्षेत्रों के त्राणार्थ नियोजन आयोग के विचाराधीन योजनायें

**११--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या प्रदेश के पूर्वी जिलों, पर्वतीय क्षेत्रों, बुन्देलखंड तथा पश्चिमी जिलों के जल-मग्न क्षेत्रों के त्राण हेतु प्रदेशीय सरकार द्वारा भेजी गयी चार विशेष योजनायें प्लानिंग कमीशन द्वारा स्वीकृत हुई हैं ?

राजस्व मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)--जी नहीं।

---

† वित्त मंत्री द्वारा १३ दिसम्बर, १९५८ को दिये गये वक्तव्य के अनुसार शोधित उत्तर।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जो चार योजनायें बनायी गयीं वे प्लानिंग कमीशन को कब भेजी गयीं और उनसे बातचीत में क्या प्रगति हुई ?

श्री धर्मसिंह—चार नहीं बनायी गयीं, लेकिन कुछ योजनायें अवश्य बनायी गयी हैं और वे प्रदेशीय सरकार द्वारा भेजी भी गयी हैं। उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री नारायणदत्त तिवारी—तीन योजनायें तो कल मेरे प्रश्न के उत्तर में सदन की मेज पर रखी गयी थीं। तो वे योजनायें भेजी गयी हैं या नहीं ? यदि भेजी गयीं तो कब भेजी गयीं ?

श्री धर्मसिंह—कुछ योजनायें अवश्य भेजी गयी हैं और जैसा माननीय सदस्य कहते हैं वह भी हो सकता है लेकिन जिन चार योजनाओं का नाम वे ले रहे हैं इस तरह की कोई योजना नहीं है।

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ सदर अस्पताल की इमारत

*१—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या यह सच है कि आजमगढ़ सदर अस्पताल की नयी इमारत जिस स्थान पर बनने वाली थी, उसका निर्माण-कार्य रोकने का आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं।

*२—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या स्वास्थ्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला हास्पिटल ऐडवाइजरी कमेटी ने अपनी जून, १९५८ की बैठक में कोई प्रस्ताव पास करके किसी उपर्युक्त स्थान के नाम का सुझाव दिया है कि इसी स्थान पर नये हास्पिटल की इमारत का निर्माण किया जाय ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—ऐसा कोई प्रस्ताव जिला हास्पिटल ऐडवाईजरी कमेटी की ओर से सरकार के पास नहीं आया। परन्तु स्वास्थ्य सेवा संचालक के पास ऐसा सुझाव कमेटी की ओर से आया है जो उनके विचाराधीन है।

*३—श्री मुक्तिनाथ राय—यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही सरकार कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस अस्पताल का निर्माण कार्य कब से होगा और इसमें कितना व्यय होगा ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—हमारा प्रयास तो यही होगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के खत्म होने के पहले ही शुरू कर दें।

एलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन कर्मचारी यूनियन कानपुर की मांगें

*४—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन के कर्मचारियों की यूनियन ने मार्च, सन् १९५३ में एक स्मृति पत्र द्वारा भत्ते में कमी को दूर करने की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या किया ?

श्री धर्मसिंह—जी हां।

साईकिल भत्ता २१ फरवरी, १९५७ से ३ रु० मासिक के स्थान पर ६ रु० मासिक कर दिया गया है।

श्री मदन पांडेय---जो स्मृति-पत्र दिया गया था उसमें भत्ते के अलावा क्या कुछ और भी मांगे थी ? अगर थी तो वे क्या थीं ?

श्री धर्मसिंह---बहुत-सी मांगें थीं। इस वक्त पूर्ण विवरण उनका मेरे पास नहीं है।

श्री भगवतीसिंह विशारद---उस स्मृति-पत्र में महंगाई का भत्ता और वेतन वृद्धि के संबंध में भी कुछ मांग की गयी थी और यदि की गयी तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री धर्मसिंह---महंगाई भत्ते के विषय में तो उत्तर दिया जा चुका है कि उसमें तो कार्यवाही हो गयी। जहां तक और मांगों का सम्बन्ध है, जैसा मैंने निवेदन किया, उसका विवरण मेरे पास नहीं है।

गोरखपुर राजकीय कृषि विद्यालय में हरिजन व पिछड़ी जाति के विद्यार्थी

*५---श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गोरखपुर राजकीय कृषि विद्यालय में कुल कितने छात्र जुलाई, सन् १९५८ में लिये गये ? उनमें कितने हरिजन व कितने पिछड़ी जाति के छात्र हैं ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---गोरखपुर राजकीय कृषि विद्यालय में जुलाई, सन् ५८ में कुल ७६ छात्र भर्ती किये गये। उनमें १ हरिजन व ११ पिछड़ी जाति के हैं।

*६---श्री मदन पांडेय---[४ दिसम्बर, १९५८ को प्रश्न संख्या १०५ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

बाल-क्रीड़ा केंद्र

*७---श्री राजेंद्रसिंह (जिला हरदोई)---क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत तथा फर्रुखाबाद में अब तक कितने बाल-क्रीड़ा केन्द्र खुले हैं और कहां-कहां ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७७८ पर)

श्री राजेंद्रसिंह---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि नरेन्द्रपुर गांव में जो बाल-क्रीड़ा केन्द्र खुला है वहां पर कोई व्यवस्थित कार्य इस समय नहीं हो रहा है केवल नाम मात्र को ही खुला है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसा मुझे ज्ञात नहीं है।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)---जो ये बाल-क्रीड़ा केन्द्र खुले हैं वे क्या महतर बस्तियों में भी खुल ह ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार बतायेगी कि शाहजहांपुर जिले में कितने बाल-क्रीड़ा केन्द्र खोले गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जवाब में दे दिया गया है, सूची में।

श्री देवनारायण भारतीय---श्रीमन्, चंकि प्रश्न का उत्तर संबंधित प्रश्नकर्त्ता के पास ही पहुंचा है इसलिये मैं आपके द्वारा मंत्री जी स प्रार्थना करूंगा कि वह उत्तर पढ़ने की कृपा करें।

श्री हुकुमसिंह विसेन---तिलहर में खोला गया है ।

श्री रामशरण यादव---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में किन-किन स्थानों पर यह केन्द्र खोले गये हैं ?

श्री अध्यक्ष---उत्तर में तो कई जगह हैं। एक आध के सम्बन्ध में मैंने इजाजत दे दी थी । अब मैं इतने ब्योरे के लिये इजाजत नहीं दूंगा । आप देख लें जो जबाव मिला है ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनमें कितना रुपया खर्च हो चुका है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---काफी रकम खर्च हुई है, लेकिन इग्जैक्ट फिगर देने के लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

*८---श्री राजेंद्रसिंह---[स्थानान्तरित किया गया ।]

मेरठ जिले में दबथुआ ग्राम के कुछ लोगों की मछली खाने से मरने के संबंध में शिकायत

*९---श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्यारेलाल शर्मा मेमोरियल अस्पताल, जिला मेरठ में जून या जुलाई, १९५८ में दबथुआ, तहसील सरधना जिला मेरठ के कुछ व्यक्तियों के मरने के बाद शव परीक्षा अस्पताल में की गयी और उसमें मरन का कारण डी० डी० टी० क विष स मृत मछिलयों का खाना निश्चित किया गया ? यदि हां, तो कितने आदमी मरे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---इस प्रकार की कोई शव-परीक्षा प्यारेलाल शर्मा अस्पताल, मेरठ में नहीं की गयी।

*१०---श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या सरकार उन व्यक्तियों के परिवारों को कोई मुआवजा देने जा रही है ? यदि हां, तो कितना, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या मंत्री जी ने पता लगाया है कि १९५८ में दबथुआ, तहसील सरधना, जिला मेरठ में कुछ व्यक्ति मछलियां खाने के बाद मरे थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जो सवाल था उसके बारे में पता लगाया कि डी० डी० टी० के विष से मृत मछलियों के खाने से कुछ व्यक्ति मरे तो उनका पोस्ट मार्टम नहीं हुआ इसलिये यह पैदा नहीं होता ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि यदि पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो खबर है कि कुछ व्यक्तियों की मछलियों के खाने से मृत्यु हुई थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जिनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ उसके अलावा मृत्यु हुई उनके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो लोग मछलियों के खाने से मरे उनके शवों को पुलिस ने अस्पताल में भेजा था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कोई शव अस्पताल नहीं भेजा गया ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन मछलियों के खाने से लोगों की मृत्यु हुई वे सरकारी तालाब की थीं ?

(कोई जवाब नहीं दिया गया ।)

बस्ती जिले की हरैया तहसील को मलेरिया उन्मूलन योजना में न लेना

*११—श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिले में कौन सी तहसील मलेरिया के रोक थाम के क्षेत्र के बाहर है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—बस्ती जिले की हरैया तहसील को चालू वर्ष की मलेरिया उन्मूलन योजना में शामिल नहीं किया गया है ।

श्री रणबहादुरसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि हरैया को शामिल न करने के क्या कारण हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—एक यूनिट में कोई १० लाख आदमी आते हैं और वहां पर २ यूनिट कायम हैं; उसमें २० लाख आदमी आये इसमें तो वह शामिल नहीं हो सकी। लेकिन आयन्दा जो दूसरी स्कीम चलेगी उसमें हरैया शामिल हो जायगी ।

बिलारी, जिला मुरादाबाद में हैजा

*१२—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिलारी, जिला मुरादाबाद, में हैजे का प्रकोप कब से है और उससे अब तक कितनी मृत्युएं हो चुकी हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—बिलारी, जिला मुरादाबाद, में हैजे तथा अतिसार का प्रकोप २८ जुलाई, १९५८ से है और उससे अक्टूबर, १९५८ तक २५ मृत्युएं हुईं ।

श्री महीलाल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बिलारी में अक्तूबर के बाद और भी मृत्युएं हुईं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—२२ अक्तूबर के बाद कोई मरने की खबर नहीं आई ।

श्री महीलाल—क्या मंत्री जी मेरे प्रश्न को सूचना जानकर कि २२ अक्तूबर के बाद सैकड़ों की तादाद में लोग मरे हैं, जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अगर माननीय सदस्य मुझको लिख कर देंगे तो मैं जांच कराऊंगा ।

श्री महीलाल—क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि यह जो बिलारी तहसील में अधिक मृत्युएं हुईं उसका एक कारण यह था कि वहां कोई अस्पताल की व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए अंतरिम जिला परिषद् ने यह सिफारिश की है कि शीघ्र से शीघ्र एक हेल्थ यूनिट बिलारी में खोल दिया जाय। इसको माननीय मंत्री जी कब तक कार्य रूप में परिणत कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसा तो है नहीं कि जहां अस्पताल होता है वहां कोई मरता नहीं। अस्पताल हो हुए भी लोग मरते हैं। क्या मुख्य कारण था मरने का वह मैं नहीं जानता। लेकिन जहां तक सिफारिश का ताल्लुक है, अगर धनाभाव रास्ते में कावट न डालेगा, तो उस पर विचार किया जायगा ।

खाद-वितरण

*१३—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार उत्तर प्रदेश की जिलेवार हरी खाद के वितरण की विगत तीन वर्षों की सालवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी तथा यह बतायेगी कि इस खाद वितरण में कौन-कौन तीन जिले प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी में रहे ?

श्री मोहनलाल गौतम---खाद वितरण की विगत तीन वर्षों की सालवार सूची† तालिका "क" में सदन की मेज पर रख दी गई है। प्रत्येक खाद वितरण में प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी में आने वाले जिलों की सूची तालिका "ख" संलग्न है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जो जिले खाद वितरण में प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे वहां के अधिकारियों के लिए या वहां के काम करने वालों के लिए कोई पद वृद्धि या इस प्रकार की कोई व्यवस्था मंत्री जी ने की है ?

श्री मोहनलाल गौतम---जो अच्छा काम करता है उसकी तरक्की होती है। जो खराब काम करता है उसका नुकसान होता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि यह तीन साल की सूची है, इसमें लगातार जो जिले अच्छा काम करने वाले रहे हैं, वहां के लोगों की क्या पद वृद्धि हुई ?

श्री मोहनलाल गौतम---असल में अफसरों का सवाल नहीं है। यह ज्यादातर किसानों पर निर्भर है। जो खाद माइंडेड हैं, जिनके साधन ज्यादा हैं, वहां खाद ज्यादा इस्तेमाल होती है। इसका सारा श्रेय अधिकारियों को दिया जाय यह मेरे खयाल में दिक्कत की बात हो जायगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो खाद की तालिका दी गयी है क्या इसमें हरी खाद भी शामिल है ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह जो "हरी खाद" छपा है यह "हर खाद" शब्द है। जो तालिका मैंने दी है इसमें हरी खाद भी है, आर्गेनिक फर्टिलाइजर भी हैं और इनआर्गेनिक फर्टिलाइजर भी हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा---यह "हर खाद" था! तो क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि ऐसे जिले जिनमें पहले खाद कम वितरित होती थी अब उनमें ज्यादा वितरण होने लगा उसका क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल गौतम---उसका एक बड़ा कारण खरीफ ड्राइव और रबी ड्राइव है।

टी० बी० सील की बिक्री से प्राप्त धन का व्यय

*१४---**श्री गंगाप्रसाद सिंह** (जिला बलिया)---क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत तीन वर्षों (१९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८) में T. B.Seal की बिक्री द्वारा सालवार इस प्रदेश में कितना धन प्राप्त हुआ है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---गत तीन वर्षों में टी० बी० सील बिक्री द्वारा जो धन एकत्रित हुआ है वह निम्नलिखित है :---

				रु०
१९५५-५६	..	..	..	८५,६००
१९५६-५७	..	..	..	१,००,१५५
१९५७-५८	..	..	..	१,२१,३५७
			योग ..	३,०७,११२

*१५---**श्री गंगाप्रसाद सिंह**---क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उपर्युक्त धन में कितना धन अभी तक किस-किस कार्यों में लगाया गया है ?

†सूची छापी नहीं गयी।

श्री बलदेवसिंह आर्य—उपर्युक्त धन में से निम्न प्रकार के व्यय टी० बी० क्लीनिक तथा चिकित्सालयों की स्थापना, रख-रखाव तथा वृद्धि में तथा औषधियों तथा भोजन पर किये गये:

				रु०
१९५५–५६	..	..	..	१,४५,४७८
१९५६–५७	..	..	..	५१,७४५
१९५७–५८	..	..	..	७७,२७२
			योग ..	२,७४,४९५

इसके अतिरिक्त भारतीय क्षय निवारिणी संस्था का भाग, सीलों की लागत तथा व्यवस्था के ऊपर जो व्यय किया गया है वह इस प्रकार है :

				रु०
१९५५–५६	..	..	..	१०,८२८
१९५६–५७	..	..	..	१८,०१८
१९५७–५८	..	..	..	२६,२९०
			योग ..	५५,१३६

प्रकाशन, प्रचारण सामग्री तथा प्रदर्शनियों पर जो व्यय हुआ वह निम्न प्रकार है :

				रु०
१९५५–५६	..	..	..	१५,७०८
१९५६–५७	..	..	..	४,५२९
१९५७–५८	..	..	..	३,६८१
			योग ..	२३,९१८

श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५५–५६, १९५६–५७ और १९५७–५८ में टी० बी० सील से ३,०७,११२ रुपया प्राप्त हुआ है और इसके स्थान पर ३,५३,५४९ रुपया व्यय हुआ है यानी ४६,४३७ रुपया अतिरिक्त खर्च हुआ है, तो यह रुपया कहां से खर्च किया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह उत्तर प्रदेश टी० बी० एसोसियेशन के पास पहले से बचा हुआ था। वह सब मिला कर इसी में खर्च आया है।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि टी० बी० सील की अधिक बिक्री हो इसके लिये माननीय मंत्री जी क्या प्रयत्न कर रहे हैं और किस साधन के द्वारा कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यू० पी० टी० बी० एसोसियेशन के जरिये से यह सब होता है और इसके लिये प्रोपेगंडा भी किया जाता है और मैं समझता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्य भी इसमें सहयोग देते हैं। उसका खर्चा इस तरह से पूरा हो जाता है और अगर कोई कमी माननीय सदस्यों के काम करने में है तो वे और उत्साह के साथ इसमें कार्य करें तो यह काम ठीक हो जायगा।

श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या यह सही है कि क्षय निवारण संस्था के लिये टी० बी० सील की बिक्री पर कुछ प्रतिशत निश्चित है; यदि हां, तो कितना ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर गया है कि टी० बी० सील की बिक्री उन प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों में भी की जाती है जहां पर फीस माफ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इधर मेरा खयाल अभी तक नहीं गया।

पशु सेवकों के चुनाव में परिगणित जाति के व्यक्ति

*१६--श्री गरीबदास (जिला जालौन)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत ३० मई सन् १९५८ को पशुपालन विभाग द्वारा क्या स्टाकमैनों का कोई चुनाव हुआ था ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां। गत् २८, २९ और ३० मई, १९५८ को पशु सवकों (स्टाकमनों) का प्रशिक्षणार्थ चुनाव हुआ था।

*१७--श्री गरीबदास--यदि हां, तो कुल कितने व्यक्ति लिये गये और उनमें परिगणित जाति के व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

श्री मोहनलाल गौतम--उक्त चुनाव में कुल १०० व्यक्ति चुने गये जिनमें १८ परिगणित जाति के व्यक्ति हैं।

श्री गरीबदास--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस चुनाव में कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसका कायदा यह है कि हर जिले से यह चार-चार आदमी चुन कर आते हैं और इस प्रकार २४१ आदमी आये थे।

श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन प्रार्थना-पत्रों में परिगणित जाति के कितने थे ?

श्री मोहनलाल गौतम--३६।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि स्टाकमैनों के लिय मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रखी गयी थी ?

श्री मोहनलाल गौतम--फाइनल इक्जामिनेशन हिन्दी में या जूनियर हाई स्कूल स आठवां दर्जा पास किय हुए जिनको हिन्दी की जानकारी हो।

श्री रामशरण यादव--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ये प्रार्थी इम्प्लायमेंट एक्सचज से बुलाये गये थे या बाहरी थे या दोनों जगहों से बुलाये गये थे ?

श्री मोहनलाल गौतम--मैंने जैसा निवेदन किया, हर जिले से चार-चार आदमी चुनकर आते हैं और उनको डेवलपमेंट वाल चुनकर भेजते हैं चाहे वे पहले से काम कर रहे हों अथवा नहीं, तो उनमें से ही चुनाव होता है।

बन्दरों का निर्यात

*१८--श्री गंगाप्रसादसिंह--क्या यह सही है कि बन्दरों को बाहर भेजने के लिये केन्द्रीय सरकार से कोई आदेश है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया उसकी एक प्रतिलिपि सदन के मेज पर रखेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम--इस विषय पर इधर केन्द्रीय सरकार का कोई आदेश नहीं प्राप्त हुआ है।

प्रतिलिपि रखने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री गंगाप्रसादसिंह---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि आज भी बन्दर बाहर भेजे जा रहे हैं? यदि हां, तो किस के आदेश से?

श्री मोहनलाल गौतम---मुझे इसकी कोई आफिशियल जानकारी नहीं है।

लखनऊ में दूध का भाव

*१९---श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार को ज्ञात है कि लखनऊ डेरी का दूध ११ आने सेर के बजाय ९ आने सेर कब से बिक रहा है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री मोहनलाल गौतम---राजकीय पशुधन क्षेत्र चक गंजरिया लखनऊ का दूध ११ आने के बजाय ९ आने प्रति सेर १-९-५८ से बिक रहा है। सरकार तथा सहकारी दुग्ध संघ लिमिटेड, लखनऊ के मध्य हुए समझौते के अनुसार चक गंजरिया क्षेत्र में उत्पादित दूध विधायन (Processing) तथा वितरण करने के लिये संघ को दिया जाता है और जैसे संघ बाजार भाव के अनुसार अपने दूध के भाव निर्धारित करता है उसी आधार पर चक गंजरिया के दूध की उपयोगिता आदि को ध्यान में रखते हुए चक गंजरिया डेरी के दूध का भाव भी निर्धारित किया जाता है।

जाड़ों में दूध का उत्पादन बढ़ जाने से उसका बाजार भाव गिर जाता है, इसलिये जब बाजार भाव कम हो जाने से सहकारी दुग्ध संघ लखनऊ ने १-९-५८ से अपने दूध का भाव १० आने से गिराकर ८ आने प्रति सेर कर दिया तो राजकीय पशुधन क्षेत्र चक गंजरिया लखनऊ में उत्पादित दूध का भाव भी बाजार भाव के अनुसार ११ आने से ९ आने प्रति सेर उसी तिथि (१-९-५८) से कर दिया गया।

*२०---श्री गौरीराम गुप्त---क्या मक्खन के दाम में भी कोई परिवर्तन हुआ है?

श्री मोहनलाल गौतम---राजकीय पशुधन क्षेत्र चक गंजरिया, लखनऊ सहकारी दुग्ध संघ लखनऊ को केवल दूध देता है; मक्खन के भावों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री गौरीराम गुप्त---अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा सवाल उल्टा छप गया है। पहले मैंने सवाल किया था कि दूध जो ९ आने सेर बिकता था वह ११ आने सेर क्यों हो गया है, लेकिन इसमें उल्टा छप गया है कि ११ आने के बजाय ९ आने क्यों हो गया है।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी के पास सही प्रश्न होगा।

श्री मोहनलाल गौतम---मैं पहले उत्तर पढ़ दूं उसके बाद वह पूरक प्रश्न कर लेंगे।

(प्रश्न का उत्तर पढ़े जाने के उपरान्त)

श्री गौरीराम गुप्त---अध्यक्ष महोदय, जो एजेन्डा पहले मिला था वह सही था। उसमें मैंने यह दिया था कि क्या सरकार को ज्ञात है कि लखनऊ डेरी का दूध ९ आने सेर के बजाय ११ आने सेर बिक रहा है; यदि हां, तो इसका क्या कारण है।

श्री मोहनलाल गौतम---अध्यक्ष महोदय, यह जवाब तो यह समझ कर दे दिया कि यह सहकारी दूध के बारे में हैं, लेकिन लखनऊ डेरी नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिये मुझे दिक्कत हो रही है कि उनका किस चीज से मतलब है।

श्री गौरीराम गुप्त---क्या सरकार को मालूम है कि जब मैंने ये प्रश्न दिये थे उस समय डेरी का दूध ११ आने सेर बिक रहा था और इन प्रश्नों के देने के बाद वह ९ आने कर दिया गया? ८ आने सेर नहीं है, यह सूचना ग़लत दी गई है? १० आने सेर अब है, हम लोग रोजाना लेते हैं?

श्री मोहनलाल गौतम---खुले दूध और बोतलवाले में १ आने सेर का अन्तर होता है। बोतल का दूध ११ आने बिक रहा था और फिर कम हुआ। अब पहली तरीख से, मेरा अनुमान है, वह १ आना फिर बढ़ गया है, यानी ९ आने खुला और १० आने बोतलवाला अब है।

*२१--श्री राजाराम शर्मा--[हटा दिया गया।]

*२२-२३--श्री बुलाकीराम वर्मा (जिला हरदोई)--[२९-९-५८ को प्रश्न संख्या ७६-७७ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

हरदोई जिले में बाग लगाने के लिये सहायता

*२४--श्री बुलाकीराम --क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले के लिये मार्च, १९५८ में कितना रुपया बाग लगाने के लिये तकावी अथवा लोन में दिया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम--६४,५५० रुपये।

श्री बुलाकीराम --क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह रुपया २६ मार्च को हरदोई पहुंचा और ३१ मार्च को बांट दिया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां, इसके सैंक्शन होने में देर हुई और वह रुपया जल्दी बांटा गया।

श्री बुलाकीराम --क्या इस लोन के लिए अर्जियां पहले से लेकर रख ली गयी थीं ?

श्री मोहनलाल गौतम--अगर पहले नहीं होतीं तो इतनी जल्दी बांटना मुश्किल हो जाता।

श्री बुलाकीराम--क्या लोन की सूचना पहले दी गयी थी कि इतना लोन हरदोई जिले में इस काम के लिए दिया जा रहा है ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह है कि वह रुपया ८२ आदमियों को बांटा गया है और मैं हरदोई वालों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इसका काफी अच्छा उपयोग किया, और ३०० रुपये लोगों को दिये गये।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या ऐसी रुपया देने की व्यवस्था प्रदेश के हर जिले में की गयी है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां, इसमें ३० लाख रुपया था और शायद २७ लाख बांटा है।

श्री देवनारायण भारतीय--जिन लोगों को यह रुपया दिया गया उन्होंने बाग लगाये भी या नहीं ?

श्री मोहनलाल गौतम--मैंने इसकी सूची मांगी है कि कितनों ने बाग लगाये हैं और कितनों ने नहीं लगाये हैं।

श्री राजेंद्रसिंह--क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रुपया मंजूर होने के ३ महीने पहले कैसे बांट दिया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह सवाल गलतफहमी पर निर्भर करता है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि जल्दी में जिनको कम जरूरत थी लोन उनको दिया गया और जिनको ज्यादा जरूरत थी वे रह गये हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--मुझे इसके आंकड़े दें तो मैं जांच करा लूंगा।

*२५-२६—श्री बुद्धीसिंह (जिला मुरादाबाद)—[स्थानान्तरित किये गये।]

खीरी जिले की रजिस्टर्ड कोआपरेटिव सोसाइटियां

*२७—श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला खीरी में कितनी रजिस्टर्ड कोआपरेटिव सोसाइटियां हैं?

श्री मोहनलाल गौतम—जिला खीरी में ३० जून, १९५८ को १,०९० रजिस्टर्ड सहकारी समितियां थीं।

सिकन्दरपुर, जिला बलिया, में बिजली न होना

*२८—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले के अन्तर्गत टाउन एरिया सिकन्दरपुर में बिजली कब तक पहुंच जायगी?

श्री धर्मसिंह—अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सिकन्दरपुर टाउन एरिया ने प्रस्ताव पास कर सरकार से प्रार्थना की है कि वहां जल्दी बिजली लगवायी जाय?

श्री धर्मसिंह—ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। यदि ऐसा प्रस्ताव किया भी होगा तो हमारे पास धन नहीं है जिससे वहां बिजली लगवायी जा सके।

*२९—श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)—[८ दिसम्बर, १९५८ के लिए स्थगित किया गया।]

*३०—श्री रामशरण यादव—[८ दिसम्बर, १९५८ के लिए स्थगित किया गया।]

बदायूं जिले के उसहत थाना क्षेत्र में लैथरिज्म

*३१—श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना उसहत, जिला बदायूं के जारी गांव के आस पास एक नयी बीमारी अभी अधरगूंगा की पैदा हुई है? उसमें कितने व्यक्ति बीमार हुए और उसके रोकने का क्या प्रबन्ध किया जा रहा है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—यह लेथरिज्म की बीमारी है जिसे स्थानीय भाषा में अधरगूंगा कहते हैं।

इस रोग से २४ रोगी पीड़ित हैं जिनमें से चार दो वर्ष से पीड़ित हैं। यह रोग खसारी दाल के अधिक मात्रा में खाने से पैदा होता है। रोग के इस कारण के होने का प्रचार इन स्थानों में किया जा रहा है। साथ ही कृषि विभाग फसलों की उन्नति के लिए प्रयत्न कर रहा है।

श्री टीकाराम—क्या सरकार ने कोई अनुसंधान किया है कि किस वजह से यह बीमारी पैदा हुई है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—एक बार ऐसा प्रश्न यहां उठा था। जो लोग इस बीमारी में मुब्तिला थे उन्हें बलरामपुर अस्पताल में बुलाकर देखभाल की गयी थी और यह राय निश्चित हुई कि खिसारी दाल से यह बीमारी पैदा हुई है।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई ऐसी जांच करायी है कि प्रान्त के अन्य भागों से भी जहां यह चीज पैदा होती है, वहां ऐसी बीमारी हुई है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---दूसरी जगह से कोई शिकायत नहीं आयी।

श्री टीकाराम---क्या सरकार इसकी बुवाई को बन्द करावेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---प्रचार करा रहे हैं कि न इसे बोओ और न खाओ।

जिला अस्पताल बदायूं को दवाओं के लिये अनुदान

*३२---श्री टीकाराम---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को दवाइयों के लिए १९५७-५८ में कितना रुपया दिया गया तथा उक्त अस्पताल में इन दिनों कितने मरीज आये ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---सन् १९५७-५८ में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, बदायूं को दवाइयों के लिए १६,००० रुपया दिया गया था। इन दिनों उक्त अस्पताल में मरीजों की संख्या निम्न लिखित थी :---

इनडोर मरीज	२३,९३२
आउटडोर मरीज	१,५६,३१५

श्री टीकाराम---१,८०,२४७ मरीजों के लिए १६,००० रुपया सरकार ने साल में दिया। क्या सरकार इतनी छोटी रकम को बढ़ाने का प्रयत्न करेगी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---अगर धन की दिक्कत नहीं होगी, तो हमको बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है।

बलिया जिलान्तर्गत श्री शंकर औषधालय देवकली को अनुदान

*३३---श्री जगन्नाथ चौधरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले के अन्तर्गत श्री शंकर औषधालय देवकली को सन् १९५६-५७ में सरकार से क्या सहायता मिली है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सौ रुपये की अनावर्त्तक सहायता दी गयी।

*३४---श्री जगन्नाथ चौधरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त औषधालय को १९५७-५८ में सहायता दी गयी या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी नहीं।

*३५-३६---श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)---[स्थगित किये गये।]

*३७---श्री भजनलाल (जिला इटावा)---[८ दिसम्बर, १९५८ के लिए स्थगित किया गया।]

*३८---कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---[हटा दिया गया।]

*३९---श्री गयाप्रसाद (जिला प्रतापगढ़)---[राजस्व मन्त्री से सम्बन्धित, बारहवें बुधवार के लिए प्रश्न संख्या ११८ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है।]

महिला चिकित्सालय जौनपुर की इमारत

*४०---कुंवर श्रीपालसिंह---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर जिले के शाहगंज कस्बे में जो महिला चिकित्सालय खुलने जा रहा है उस के लिए भूमि एक्वायर कर ली गयी है ? यदि हां, तो कस्बे के किस हिस्से में ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जौनपुर जिले के शाहगंज कस्बे में कोई नया महिला चिकित्सालय खुलने नहीं जा रहा है, किन्तु वर्तमान महिला चिकित्सालय के लिए नये भवन निर्माण की योजना है। इस भवन के निर्माण के लिए अभी तक भूमि एक्वायर नहीं की गयी है।

शाहगंज, जिला जौनपुर में सब-पावर स्टेशन की भूमि

*४१--कुंवर श्रीपालसिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर जिले के शाहगंज कस्बे में पावर स्टेशन बनने जा रहा है, क्या उसके लिए सरकार द्वारा जमीन एक्वायर कर ली गयी है ? यदि हां, तो किस स्थान पर ?

राजस्व मंत्री (श्री चरणसिंह)--शाहगंज कस्बे के समीप एक सब-स्टेशन बनाया जायेगा और उसके लिए मौजा भादी, परगना अगुली, में ३·५ एकड़ जमीन एक्वायर की गयी है ।

लखनऊ में विधायकों के लिये आयुर्वेदिक औषधालय न होना

*४२--श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)--क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायकों को चिकित्सा हेतु जिस प्रकार बलरामपुर अस्पताल व दारुलशफा में अस्पताल है उसी प्रकार आयुर्वेदिक औषधालय की भी व्यवस्था है ? यदि हां, तो कहां ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं ।

प्रतापगढ़ जिले के सरकारी चिकित्सालयों में हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के कर्मचारी

*४३--श्री नन्दराम--क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला प्रतापगढ़ के सरकारी चिकित्सालयों में कुल कितने डाक्टर, कम्पाउन्डर तथा चपरासी हैं ? उनमें कितने हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के व्यक्ति हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--प्रतापगढ़ के सरकारी चिकित्सालयों में डाक्टर, कम्पाउन्डर तथा चपरासियों की संख्या निम्नलिखित है :

	कुल संख्या	हरिजनों की संख्या	पिछड़े वर्ग की संख्या
डाक्टर	९	..	..
वैद्य	९	..	..
हकीम	२	..	..
कम्पाउन्डर ..	२८	१	१
चपरासी ..	३	..	२
अन्य चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी	७५	३३	२३

*४४--श्री नन्दराम--क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि प्रतापगढ़ में कुल कितने सरकारी चिकित्सालय हैं ? उनमें से कितने आयुर्वेदिक हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इस जिले में कुल २० सरकारी चिकित्सालय हैं जिनमें से ९ आयुर्वेदिक हैं ?

*४५--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--[१८ सितम्बर, १९५८ को प्रश्न संख्या ५२ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

*४६-४७--श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--[स्थगित किये गये ।]

रुड़की से उत्तीर्ण ओवरसियर

*४८--श्री ताराचन्द महेश्वरी (जिला सीतापुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 'ऐडहाक ऐडवाइजरी इन्जीनियरिंग बोर्ड' रुड़की के अन्तर्गत सन् १९५६, १९५७, १९५८ में ओवरसियरी की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है ?

श्री चरणसिंह--फाइनल ओवरसियर परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या निम्न प्रकार है :

वर्ष	छात्रों की संख्या
१९५६	५५१
१९५७	८०९
१९५८	१,८०२

*४९--श्री ताराचन्द महेश्वरी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इतनी अधिक संख्या में टेक्निकल शिक्षा प्राप्त (ओवरसियर) व्यक्तियों को कार्य मिल सके ऐसी कोई योजना पर वह भारत सरकार से परामर्श कर रही है ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं।

टेहरी विलीन राज्य के कर्मचारियों का हाइडिल या पावर विभाग में स्थायित्व

*५०--श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)--क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि टेहरी (Merged State) के कितने कर्मचारी अब तक हाइडल या पावर विभाग में confirm किये गये हैं और कितने अभी तक कन्फर्म होने को बाकी हैं ?

श्री चरणसिंह--टेहरी (Merged State) के दो कर्मचारी स्थायी किये गये हैं और आठ कर्मचारी स्थायी होने को बाकी हैं।

*५१--श्री सूरतचन्द रमोला--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन कर्मचारियों का कन्फर्मेशन कब तक हो जावेगा ?

श्री चरण सिंह--शेष आठ कर्मचारियों का स्थायीकरण निकट भविष्य में होने की सम्भावना है।

*५२-५३--श्री शब्बीर हसन (जिला फतेहपुर)--[हटा दिये गये।]

प्रादेशिक एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड

*५४--श्री शब्बीर हसन--क्या सरकार ने प्रादेशिक एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना के लिये आवश्यक विज्ञप्ति १ जनवरी, १९५८ को निकाली थी ? यदि हां, तो उस बोर्ड की स्थापना अब तक क्यों नहीं की गई ?

श्री चरणसिंह--१७ दिसम्बर, १९५७ को एक सरकारी विज्ञप्ति निकाली गई थी जिसके द्वारा एलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ की कुछ धारायें इस राज्य में २३ दिसम्बर, १९५७ से लागू हुईं।

एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना के सम्बन्ध में भारत सरकार से पत्र-व्यवहार चल रहा था। बोर्ड की स्थापना के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्रावस्ती, जिला गोंडा, में बाबा राघवदास की स्मृति में कुष्ठ रोग आश्रम स्थापित करने का सुझाव

*५५—श्री बलदेवसिंह तथा श्री लक्ष्मीनारायण दुबे (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्रावस्ती, जिला गोंडा, में पूज्य बाबा राघवदास जी की स्मृति में सरकार की तरफ से कोई कुष्ठ आश्रम स्थापित करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं ।

फीमेल कम्पाउन्डर्स

*५६—श्रीमती विद्यावती वाजपेयी (जिला हरदोई)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितनी trained female compounders सरकारी अस्पतालों में काम कर रही हैं और कितनी untrained ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस समय प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाली ट्रेन्ड फीमेल कम्पाउन्डरों (trained female compounders) की संख्या ७६ है तथा अन्ट्रेन्ड untrained की ८० है ।

सिविल सर्जन तथा मेडिकल अफसर

*५७—श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के अन्दर कितने सिविल सर्जन व मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ हैं, उनमें क्रमशः कितने परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रदेश में सिविल सर्जन और मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ की संख्यायें क्रमशः ५१ और ११२ हैं । इनमें कोई भी परिगणित या पिछड़े वर्ग का नहीं है ।

*५८—श्री टीकाराम—[स्थगित किया गया ।]

गन्ने की पैदावार

*५९—श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस प्रदेश में कुल कितने एकड़ भूमि पर गन्ने की काश्त सन् १९५७–५८ में हुई और कुल कितने मन गन्ना पैदा हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस प्रदेश में सन् १९५७–५८ में अनुमानतः ३०.१७ लाख एकड़ भूमि में गन्ने की खेती हुई थी तथा अनुमानित उपज ८३·१४ करोड़ मन थी ।

*६०—श्री बलदेवसिंह—क्या यह सही है कि पिछले पांच वर्षों की पैदावार को देखते हुये गन्ने की पैदावार प्रति एकड़ दिनों दिन गिरती जा रही है ? यदि हां, तो इसका मुख्य कारण क्या है ?

श्री मोहनलाल गौतम—पिछले पांच वर्षों की औसत उपज को देखते हुये यह कहना ठीक नहीं है कि गन्ने की प्रति एकड़ उपज दिनोदिन गिरती जा रही है । किन्तु यह सत्य है कि औसत उपज स्थिर नहीं रही है । इसके मुख्य कारण प्राकृतिक आपत्तियां, जैसे सूखा, अत्यधिक वर्षा, बाढ़ आदि, रही हैं ।

भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को बसाने के लिये केंद्रीय सहायता

*६१—श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५५–५६, १९५६–५७, १९५७–५८ में भूमिहीन खेतिहर मजदूर (landless workers settlement) बसाने के हतु कितना रुपया केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे प्राप्त हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम—सन् १९५५-५६ में केन्द्रीय सरकार द्वारा खीरी उपनिवेशन योजना के लिये, जो मुख्यतया भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को बसाने के लिये बनाई गई है, १,९४,५०० रुपया अनुदान के रूप में तथा ४,१०,००० रुपया ऋण के रूप में प्राप्त हुआ, तथा उसी प्रकार की पीलीभीत उपनिवेशन योजना के लिये सन् १९५७-५८ में १,२२,५०० रुपया अनुदान के रूप में तथा १,३५,००० रुपया ऋण के रूप में केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हुआ।

गाजियाबाद में उद्योगों के लिये बिजली के कनेक्शन

*६२—श्री तेजासिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ में गाजियाबाद में किस-किस उद्योग को कितनी-कितनी पावर के कनेक्शन दिये गये और इस समय कितने प्रार्थना-पत्र सरकार के पास विचार के लिये पड़े हैं और उनको कब तक पावर मिलने की सम्भावना है ?

श्री चरणसिंह—गाजियाबाद में विभिन्न उद्योगों को १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ में जो कनेक्शन दिये गये हैं उनका विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है।

इस समय कोई प्रार्थना-पत्र सरकार के पास विचार के लिये नहीं पड़ा है। लाइसेंसी के कथनानुसार उनके पास ४६६ कनेक्शन ऐसे पड़े हैं जिन्होंने औपचारिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की है।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ ७७९ पर)

तिरवागंज, जिला फर्रुखाबाद, में बिजली न होना

*६३—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टाउन एरिया तिरवागंज, जिला फर्रुखाबाद, में कब तक बिजली पहुंच जायेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस पंचवर्षीय योजना में कोई सम्भावना नहीं मालूम होती।

*६४—श्री रामचन्द्र विकल—[८ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

पशुपालन व मत्स्य विभागों में परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के उच्च अधिकारी न होना

*६५—श्री हरदयालसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के वेटेरिनरी विभाग में कितने डिप्टी डायरेक्टर हैं ? उनमें क्रमशः कितने परिगणित जाति तथा पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—प्रदेश के पशुपालन विभाग में इस समय नौ डिप्टी डायरेक्टर कार्य कर रहे हैं। इनमें से कोई भी परिगणित जाति या पिछड़ वर्ग का नहीं है।

*६६—श्री हरदयालसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के मत्स्य विभाग में कितने गजटेड आफिसर हैं ? उनमें क्रमशः कितने परिगणित जाति के हैं तथा कितने पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—प्रदेश के मत्स्य विभाग में इस समय ८ गजटेड अफसर हैं; इनमें स कोई भी परिगणित जाति या पिछड़े वर्ग का नहीं है।

बुलन्दशहर में दूध डिपो खोलने की योजना

*६७—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि देहली उद्योग विभाग द्वारा बुलन्दशहर जिले में दूध डिपो खोलने की कोई योजना शीघ्र चालू की जाने वाली है ? यदि हां, तो कब तक और उस योजना का संक्षिप्त विवरण क्या है ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह ज्ञात हुआ है कि केन्द्रीय सरकार के खाद्य तथा रसद मंत्रालय द्वारा बुलन्दशहर में दूध डिपो खोलने की योजना बनाई जा रही है। प्रदेशीय सरकार को इस योजना के सम्बन्ध में निश्चित विवरण उपलब्ध न होने के कारण संक्षिप्त विवरण देना सम्भव नहीं है।

*६८---श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि दूध डिपो के सम्बन्ध में सरकार से क्या-क्या बातें और कब-कब देहली उद्योग विभाग ने कीं ?

श्री मोहनलाल गौतम---इस सम्बन्ध में पशुपालन तथा सहकारिता विभाग से पत्र व्यवहार नहीं हुआ।

टेहरी-गढ़वाल जिले में वैक्सीनेटरों का वेतन

*६९---श्री सूरतचन्द रमोला---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला टेहरी-गढ़वाल के स्वास्थ्य विभाग में कितने वैक्सीनेटरों को टेहरी स्टेट स्केल पर वेतन व मंहगाई मिल रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---केवल एक वैक्सीनेटर को।

राजकीय कृषि फार्म

*७०---श्री बंशीधर शुक्ल तथा श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में कितने-कितने सरकारी कृषि फार्म हैं और उनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या है ?

श्री मोहनलाल गौतम---इस सम्बन्ध में सूचना† संलग्न है।

*७१-७२---श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)---[८ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

कम्पाउन्डरों को प्रशिक्षण-काल में छात्रवृत्ति

*७३---श्री अनन्तराम वर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५६-५७ में कितने छात्र सरकार द्वारा फार्मेसिस्ट (कम्पाउन्डर) के प्रशिक्षण के लिये गये ? उनमें से कितने छात्रों को छात्रवृत्ति (stip nds) दी गई ? क्या यह छात्रवृत्ति मासिक दी जाती थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सन् १९५६-५७ में कुल ३४८ छात्र सरकार द्वारा फार्मेसिस्ट प्रशिक्षण के लिए लिये गये। इनमें से २६० छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। जी हां, यह छात्रवृत्ति मासिक दी जाती थी।

*७४---श्री अनन्तराम वर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५७-५८ में कितने छात्रों को फार्मेसिस्ट (कम्पाउन्डर) के प्रशिक्षण-काल में छात्रवृत्ति (stipends) देने की व्यवस्था थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सन् १९५७-५८ में कुल १७० छात्रों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की गई थी।

*७५-७७---श्री जगन्नाथ चौधरी---[गृह मंत्री की प्रार्थना पर ८ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

---

†सूचना छापी नहीं गई।

जहानाबाद, जिला फतेहपुर, में मिडवाइफ न होने की शिकायत

*७८—कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या जहानाबाद, जिला फतेहपुर, के मेटरनिटी सेन्टर पर मिडवाइफ एक साल से ज्यादा अवधि हुये ट्रान्सफर हो जाने पर अब तक नहीं भेजी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जहानाबाद में २२ दिसम्बर, १९५६ से कोई मिडवाइफ नहीं थी, क्योंकि ट्रेन्ड मिडवाइफों की कमी है ।

१५ सितम्बर, १९५८ से एक मिडवाइफ वहां तैनात कर दी गई है ।

*७९—श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)—[गृह मन्त्री की प्रार्थना पर ८ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

मेंहदावल, जिला बस्ती, में बिजली न होना

*८०—श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के कस्बा मेंहदावल में बिजली लगाने के बारे में टाउन एरिया कमेटी की मांग आई है ? यदि हां, तो उस मांग पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं ।

बंगाली विस्थापितों को बसाने के लिये रुद्रपुर में औद्योगिक उपनिवेश खोलने की योजना

*८१—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार ने रुद्रपुर में बंगाली पुरुषार्थियों के बसाये जाने हेतु कोई औद्योगिक उपनिवेश (Industrial Colony) खोलने का निश्चय किया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—भारत सरकार के अनुरोध पर रुद्रपुर में बंगाली विस्थापित व्यक्तियों को बसाये जाने हेतु औद्योगिक उपनिवेश खोलने की योजना है ।

*८२—श्री नारायणदत्त तिवारी—यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना का संक्षिप्त विवरण सदन के सम्मुख प्रस्तुत करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उक्त योजना के अन्तर्गत उद्योगपतियों द्वारा उद्योग स्थापित किये जायेंगे जिनमें विस्थापित व्यक्तियों को नौकरी दी जायेगी ।

*८३—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस योजना को कार्यान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—भारत सरकार को योजना की रूप रेखा व एस्टीमेट भेजे गये हैं और धन की स्वीकृति प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही की जायगी ।

*८४—श्री जगन्नाथ चौधरी—[८ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

बलवन्त मोटर्स लिमिटेड, बरेली, द्वारा तराई फार्मों को कृषि यंत्र की सप्लाई तथा कृषि उपज के कार्टेज चार्जेज

*८५—श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बलवन्त मोटर्स लिमिटेड, बरेली, ने कितनी धनराशि के कृषि यन्त्र १९५६–५७ तथा १९५८ के अद्यावधि काल में तराई स्टेट फार्म तथा कृषि विभाग के अन्य उप विभागों को सप्लाई किये ?

*८६---क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५७ तथा १९५८ के अद्यावधि काल में उक्त बलवन्त मोटर्स लिमिटेड, बरेली, को तराई स्टेट फार्म तथा कृषि विभाग के अधीन अन्य फार्मों की उपज इत्यादि के लाने तथा ले जाने (cartage) के लिये कितनी धनराशि अदा की गयी तथा उक्त कार्टेज के रेट्स (rates) क्या थे ?

*८७---क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त कार्टेज (cartage) के लिये टेन्डर द्वारा ठेका दिया गया था ? यदि हां, तो किस-किस के क्या-क्या कोटेशन थे ?

श्री मोहनलाल गौतम---सम्पूर्ण सूचना अभी सम्बन्धित विभागाध्यक्षों के यहां से प्राप्त नहीं हो सकी है और एकत्र की जा रही है। सम्पूर्ण सूचना प्राप्त होते ही प्रस्तुत की जायगी ।

*८८-८९---श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)---[८ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

भोगांव को मैनपुरी पावर हाउस से बिजली देने की योजना

*९०---श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में मैनपुरी के सरकारी पावर हाउस से टाउन एरिया, भोगांव व टाउन ऐरिया, बेवर को कब तक बिजली दी जा सकेगी ?

श्री चरणसिंह---चालू वित्तीय वर्ष में जिला मैनपुरी के भोगांव टाउन एरिया के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है। अभी बेवर टाऊन एरिया के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सहावर-अमांपुर-मोहनपुर टाउन एरिया में बिजली न होना

*९१---श्री तिरमलसिंह (जिला एटा)---क्या सरकार ने सहावर-अमांपुर-मोहनपुर टाउन एरिया में बिजली लगाने का सर्वे करवाया था ? यदि हां, तो सरकार कब तक इन टाउन एरियाओं में बिजली लगवा देगी ?

श्री चरणसिंह---जी हां, सर्वे से ज्ञात हुआ कि इन नगरों में बिजली लगाना अलाभकारी होगा, इसलिये यह विचार छोड़ दिया गया है।

*९२-९३---श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)---[गृह मन्त्री की प्रार्थना पर ८ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में गमैक्सीन पाउडर में मिलावट की शिकायत

*९४---कुंवर श्रीपालसिंह---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला जौनपुर की शाहगंज तहसील में गन्धी मक्खियों को मारने वाले गमैक्सीन पाउडर में चूना तथा राख मिला कर बेचने की कोई शिकायत आई है ? यदि हां, तो सरकार ने उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी नहीं, मिलावट की कोई शिकायत नहीं आई; इसलिये इस दिशा में कोई कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

*९५-९६---श्री दीनदयालु करुण (जिला गोंडा)---[८ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किय गये ।]

टांडा, जिला फैजाबाद में बिजली न होना

*९७—श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या फैजाबाद जिले के टांडा नगर में बिजली लगाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक लग जायेगी ?

श्री चरणसिंह—इस समय कोई ऐसी योजना नहीं है।

*९८-९९—श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)—[गृह मन्त्री की प्रार्थना पर ८ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

गोंडा जिले में खरीफ आन्दोलन के अन्तर्गत जापानी ढंग से धान की बुआई

*१००—श्री दीनदयालु करुण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चालू वर्ष में खरीफ आन्दोलन के अन्तर्गत जिला गोंडा की गोंडा-बलरामपुर, उतरौला और तरबगंज तहसील में जापानी ढंग से कितने-कितने धान की बुआई की गई ?

श्री मोहनलाल गौतम—

		एकड़
गोंडा	..	८,१५२
बलरामपुर	..	९,६४३
उतरौला	..	१०,९६५
तरबगंज	..	३,१२९
	योग ..	३१,८८९

*१०१—श्री दीनदयालु करुण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चालू वर्ष में गोंडा जिले की प्रत्येक तहसील में खरीफ आन्दोलन चलाने हेतु कितना-कितना धन जिला आन्दोलन अधिकारी ने व्यय किया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—कुछ नहीं।

*१०२—श्री दीनदयालु करुण—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में धान की फसल को गन्धी लग जाने से अधिक हानि हो रही है ? यदि हां, तो जिला खरीफ आन्दोलन अधिकारी ने क्या-क्या व्यवस्था गन्धी से बचाव के लिये की ?

श्री मोहनलाल गौतम—गोंडा जिले में क्वारी धान की फसल में गंधी लगी और उसके बचाव के लिए ८ टन गेमैक्सीन की व्यवस्था की गई और हानि होने से काफी तादाद में रोक की गई।

बस्ती जिले में खरीफ आन्दोलन के अन्तर्गत जापानी ढंग से धान की बुआई

*१०३—श्रीमती गेंदादेवी (जिला बस्ती)—क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के अन्तर्गत इस साल खरीफ आन्दोलन के फलस्वरूप कुल कितना धान बोया गया ? उसमें से कितना जापानी ढंग से और कितना पुराने तरीके से ?

श्री मोहनलाल गौतम—लगभग ७,७९,९४५ एकड़। ३७,८३१ एकड़ जापानी ढंग से तथा ७,४२,११४ एकड़ पुराने ढंग से।

*१०४—श्रीमती गेंदादेवी—जापानी ढंग से जो धान बोया गया उसमें कितना सफल रहा और कितना असफल ?

श्री मोहनलाल गौतम—३५,८३१ एकड़ सफल और २,००० एकड़ असफल रहा।

*१०५--श्री गनेशचन्द्र काछी--[स्थगित किया गया ।]

बाराबंकी जिले में चेचक

*१०६--श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी में तहसीलवार १ जनवरी से लेकर ८ मई, १९५८ तक कितने व्यक्ति चेचक से बीमार हुये तथा कितने मरे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जिला बाराबंकी के अन्तर्गत तहसीलों में चेचक से बीमार तथा मरने वालों की संख्या १ जनवरी से ८ मई, १९५८ तक निम्नलिखित है :--

			रोग ग्रस्त	मृत्यु
१--तहसील हैदरगढ़	..	..	४५	४
२--रामसनेहीघाट	..	..	४	१
३--सदर	..	..	१	..
४--फतेहपुर	..	..	..	..
योग		..	५०	५

*१०७--श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वहां चेचक का प्रकोप अब भी जारी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जिला बाराबंकी में २७ अप्रैल, १९५८ से बीमारी पूर्ण रूप से काबू में है । और इस तारीख के बाद अब तक कोई बीमारी की सूचना नहीं मिली है ।

*१०८-११०--श्री उग्रसेन--[८ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

सहकारी संघ अजीतमल, जिला इटावा में कथित गबन

*१११--श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--क्या सरकार को ज्ञात है कि सहकारी संघ अजीतमल, जिला इटावा में सन् १९५६, १९५७, १९५८ में लगभग २०,००० रु० से ऊपर का गबन हुआ था ?

श्री मोहनलाल गौतम--सहकारी संघ, अजीतमल, जिला इटावा में सन् १९५६, १९५७, १९५८ में कोई गबन नहीं हुआ ।

*११२--श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तत्सम्बन्धी व्यक्तियों को अभी तक संघ की सदस्यता से पदच्युत क्यों नहीं किया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम--प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर जिला मार्केटिंग फेडरेशन की लेखा परीक्षा

*११३--श्री मदन पांडेय--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गोरखपुर जिला मार्केटिंग फेडरेशन के सन् १९४९-५० के हिसाब के सम्बन्ध में लेखा परीक्षक द्वारा की गई आपत्तियों का निराकरण करने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मोहनलाल गौतम--गोरखपुर जिला मार्केटिंग फेडरेशन के सन् १९४९-५० के हिसाब के सम्बन्ध में लेखा परीक्षक द्वारा की गई आपत्तियों का निराकरण करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

*११४—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार उक्त मार्केटिंग फेडरेशन की सन् १९५०-५१ तथा १९५१-५२ क हिसाब की वार्षिक लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षक द्वारा की गई आपत्तियों में से जिनका निराकरण नहीं हुआ उनका विवरण सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—उक्त मार्केटिंग फेडरेशन के १९५१-५२ के हिसाब के वार्षिक लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षक द्वारा की गई सब आपत्तियों का निराकरण हो चुका है। वर्ष १९५०-५१ के हिसाब के वार्षिक लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षक द्वारा की गई आपत्तियों का निराकरण अभी नहीं हुआ है। यह आपत्तियां इतनी विस्तृत हैं कि उनकी प्रतियां तैयार करने में जो श्रम तथा समय लगेगा वह सूचना की उपयोगिता को देखते हुये आवश्यक नहीं प्रतीत होता। माननीय सदस्य तथा अन्य सदस्य जो इसमें रुचि रखते हों सहकारिता विभाग में इस रिपोर्ट को सुविधापूर्वक देख सकते हैं।

गोरखपुर जिला सहकारी बैंक के डायरेक्टर श्री चित्रकूट पांडेय की मांगें

*११५—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या गोरखपुर जिला सहकारी बैंक के डाइरेक्टर श्री चित्रकूट पांडेय ने जिलाधीश गोरखपुर को गत मार्च मास में गोरखपुर जिला सहकारी बैंक की व्यवस्था में सुधार हेतु अनशन करने की सूचना दी थी। यदि हां, तो क्या सरकार उन मांगों को तथा उन पर की गई सरकारी कार्यवाहियों को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, श्री चित्रकूट पांडेय की मांगों का तथा उन पर की गई कार्यवाहियों का विस्तृत विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७८०-७८१ पर)।

अम्बरपुर, जिला लखनऊ का अधूरा नलकूप

*११६—श्री रामशरण यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला तहसील लखनऊ के परगना बिजनौर के अम्बरपुर गांव की सहकारी समिति द्वारा बनाये जाने वाले ट्यूबवेल के अभी तक नामुकम्मिल रहने का क्या कारण है ? उसके कब तक पूरा होने की आशा है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जिला तहसील, लखनऊ के परगना बिजनौर के अम्बरपुर गांव की सहकारी समिति द्वारा बनाया जाने वाला ट्यूबवेल धनाभाव के कारण पूरा नहीं हो सका है। उक्त सहकारी समिति द्वारा बनाये जाने वाले ट्यूबवेल को सरकार द्वारा लेने का प्रश्न विचाराधीन है इसलिये इसके पूरे होने की तिथि बताना संभव नहीं है।

बाराबंकी जिलान्तर्गत रामसनेहीघाट डिस्पेंसरी के डाक्टर व कम्पाउन्डर की आवास व्यवस्था

*११७—श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि रामसनेही घाट, खास डिस्पेन्सरी, जिला बाराबंकी में कम्पाउन्डर और डाक्टर के रहने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—चिकित्सालय के पास ही माल विभाग के मकानों में कम्पाउन्डर तथा डाक्टर बिना किराए के रहते हैं।

*११८—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—[१२ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

सरकारी कृषि फार्मों का बढ़ाया जाना

*११९--श्री बंशीधर शुक्ल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पूरे प्रदेश में गत पांच वर्ष में कितने सरकारी कृषि के फार्म बढ़ाये गये हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--गत पांच वर्ष में ६७ कृषि फार्म बढ़ाये गये।

बागात इन्स्पेक्टर, इटावा द्वारा पौधों का विक्रय तथा रोपण

*१२०--श्री भजनलाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बागात इन्स्पेक्टर, इटावा ने मार्च, १९५६ से मार्च, १९५८ तक कितने रुपये के पौधे बेंचे व कितने एकड़ बाग लगवाया ?

श्री मोहनलाल गौतम--(१) सन् १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में १९,२१० रु० १० नये पैसे के पौधे बेंचे गये।

(२) उक्त दो वर्षों में ४५० एकड़ में पौधे लगाये गये।

*१२१--श्री द्वारिकाप्रसाद (जिला फर्रुखाबाद)--[८ दिसम्बर, १९५८ के लिए स्थगित किया गया।]

कानपुर में मेटरनिटी अस्पताल के लिये अपर इंडिया शुगर एक्सचेंज लिमिटेड से सहायता

*१२२--श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या कानपुर में मेटरनिटी अस्पताल बनवाने के लिये अपर इंडिया शुगर एक्सचेंज लिमिटेड ने सात लाख रुपया सरकार को देने का वायदा किया था और उसमें से दो लाख रुपया दे भी दिया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां।

*१२३--श्री सजीवनलाल--यदि हां, तो अस्पताल के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अस्पताल के प्रारम्भिक नक्शे तथा तखमीने की मंजूरी दी जा चुकी है और निर्माण का कार्य भी प्रारम्भ हो चुका है। १४ नवम्बर, १९५८ को इसका शिलान्यास भी हो गया है।

*१२४--श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)--[हटा दिया गया।]

गोरखपुर जिले में बलिया बार्ली ठीक न उगने से क्षतिपूर्ति की मांग

*१२५--श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५७ में बलिया बार्ली का कितना बीज जिला गोरखपुर के बेसिक बीज भंडारों द्वारा किसानों को दिया गया था ?

श्री मोहनलाल गौतम--३,५९१ मन।

*१२६--श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या सरकार को पता है कि बीज इस जिले में बिलकुल नाकामयाब रहा और पैदावार नहीं हुई ? यदि हां, तो किसानों को क्या प्रतिकर दिया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम--प्राप्त सूचना से ज्ञात हुआ है कि--

(१) बीज में खराबी नहीं थी।

(२) बीज तो ठीक उगे लेकिन जहां नमी कम थी वहां पैदावार भी कुछ कम हुई। नुकसान इतना नहीं हुआ कि आम छूट दी जाय। सवाई की छूट का प्रश्न विचाराधीन है।

शाहजहांपुर जिले में मत्स्य उद्योग के विकास पर व्यय

*१२७--श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर जिला में मत्स्य उद्योग के विकास पर गत ५ वर्षों में कितना रुपया खर्च किया गया है तथा कौन-कौन से तालाब मत्स्य विभाग के संरक्षण में हैं?

श्री मोहनलाल गौतम--शाहजहांपुर जिले में मत्स्य उद्योग के विकास पर गत पांच वर्षों में (१९५३-५४ से १९५७-५८ तक) कुल ७३,८९२·०४ रु० खर्च किया गया। इस जिले में ४१ तालाब मत्स्य विभाग के संरक्षण में हैं जिनका विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७८२ पर।)

केन सेन्टरों से संबंधित डेवलपमेंट कौंसिलों का तोड़ा जाना

*१२८--श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश शुगर केन रूल्स संशोधित धारा ५ के अनुसार प्रदेश के सभी केन सेन्टरों पर केन डेवलपमेंट कौंसिलें तोड़ दी गई थीं? यदि हां, तो कब?

श्री मोहनलाल गौतम--ऐसे केन सेन्टरों पर बनी हुई केन डेवलपमेंट कौंसिलें जो उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ की धारा ५ (१) (न कि रूल्स की संशोधित धारा ५ के अनुसार, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है) के अनुसार अनावश्यक थीं १६ अप्रैल, १९५६ को तोड़ दी गई थीं।

प्राइवेट बिजली कम्पनियों के खिलाफ शिकायतें

*१२९--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या सरकार के पास प्राइवेट बिजली कम्पनियों द्वारा कानून और इकरारनामों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के बारे में कुछ शिकायतें आई हैं? यदि हां, तो सरकार ने उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

श्री चरणसिंह--जी हां। शिकायतों की सत्यता प्रमाणित होने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था की गई।

*१३०--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--[८ दिसम्बर, १९५८ के लिए स्थगित किया गया।]

*१३१--श्री भूपकिशोर (जिला एटा)--[८ दिसम्बर, १९५८ के लिए स्थगित किया गया।]

घोसी अस्पताल के प्रांतीयकरण के लिये अन्तरिम जिला परिषद्, आजमगढ़ की सिफारिश

*१३२--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्तरिम जिला परिषद्, आजमगढ़ ने निकट में प्रदेशीय सरकार के पास प्रस्ताव स्वीकृत करके घोसी तथा जनाना अस्पताल, मऊ को प्रान्तीयकरण करने के लिये भेजा है? यदि हां, तो सरकार का निर्णय इस सम्बन्ध में क्या हुआ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अन्तरिम जिला परिषद्, आजमगढ़ ने अपनी जून २७, १९५८ को हुई बैठक में घोसी अस्पताल के प्रान्तीयकरण करने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है परन्तु उन्होंने आर्थिक सहायता देते रहने पर अपनी असमर्थता प्रकट की है। अतः धनाभाव के कारण उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में सरकार असमर्थ हो रही है।

२--जनाना अस्पताल, मऊ, जिला आजमगढ़ सरकारी अस्पताल होने के कारण इसके प्रान्तीयकरण करने का प्रश्न नहीं उठता।

आगरा जिले के मुर्थर अलीपुर ग्राम में घुरका बीमारी रोकने के कार्य

*१३३—श्री रामसिंह चौहान (जिला आगरा)—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एतमादपुर-आगरा निर्वाचन क्षेत्र के गांव मुर्थर अलीपुर में मवेशियों में फैले हुये "घुरका" रोग से कितने जानवरों की गत सप्ताह में मृत्यु हो चुकी है ? कितने जानवर वहां पर अभी इस रोग से पीड़ित हैं व इस रोग की रोकथाम के लिये क्या व्यवस्था अब तक की गई है ?

श्री मोहनलाल गौतम—मुर्थर अलीपुर गांव में "घुरका" की बीमारी फैलने की सूचना पशु-चिकित्सालय एतमादपुर म ५-८-५८ को प्राप्त हुई थी और आवश्यक उपचार के पूर्व ही १२ जानवरों की मृत्यु हो चुकी थी। सूचना मिलने पर ६-८-५८ को पशु-चिकित्सक उक्त गांव में पहुंचे और १७९ जानवरों को टीका लगाया गया। स्थिति ठीक है और अब कोई जानवर उक्त रोग से मुर्थर अलीपुर में पीड़ित नहीं है।

*१३४—श्री रामसिंह चौहान—क्या यह सही है कि रोग एतमादपुर क्षेत्र के अहरान थाने के अन्य गांवों में भी बढ़ता जा रहा है ? यदि हां, तो इसे रोकने के क्या उपाय बर्ते जा रहे हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—अहरान थाने के अन्तर्गत एटा और उसके आसपास के गांव में रोग के प्रकोप की सूचनायें प्राप्त हुई थीं, वहां तुरन्त स्टाफ लगाया गया और १,३४१ जानवरों के टीके लगाये गये। स्थिति अब ठीक है।

पीलीभीत में बिजली की दर तथा पूरनपुर में बिजली न होना

*१३५—श्री मुनीन्द्रपालसिंह (जिला पीलीभीत)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इस वर्ष कसबा पूरनपुर, जिला पीलीभीत में बिजली लगाई जा रही है ? यदि नहीं, तो कब तक लगाई जायगी ?

श्री चरणसिंह—धनाभाव के कारण यह कहना इस समय संभव नहीं है कि कौन से नए स्थानों में बिजली इस पंचवर्षीय योजना के बाकी समय में पहुंचाई जा सकेगी।

*१३६—श्री मुनीन्द्रपालसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पीलीभीत शहर में बिजली की दर क्या है और वहां की बिजली कहां से किस दर पर प्राप्त होती है ?

श्री चरणसिंह—पीलीभीत एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, प्राइवेट लिमिटेड, राजकीय विद्युत विभाग से बिजली लेकर पीलीभीत नगर में वितरण करती है। उसके क्रय तथा विक्रय की दरें संलग्न तालिका में दी हुई हैं।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७८३-७८४ पर)

देवरिया जिले में बाल-क्रीड़ास्थलों पर व्यय

*१३७—श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि देवरिया में कहां-कहां पर बाल-क्रीड़ा स्थल खोले गये हैं और उन पर सालाना कितना व्यय होता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—राजकीय स्वास्थ्य बोर्ड द्वारा दिये गये अनुदान से देवरिया में निम्नलिखित स्थानों पर बालक्रीड़ा केन्द्र खोले गये हैं :

गौरा बरहज नगरपालिका	२
पडरौना	१
देवरिया नगरपालिका	३
सलेमपुर	१
ग्राम विडार बुजुर्ग	१
कुल ..	८

बोर्ड कोई सालाना आवर्तक अनुदान नहीं देता है। अनुदान केवल बालक्रीड़ा सामग्री क्रय के हेतु ही दिया जाता है। बालक्रीड़ा केन्द्र तथा सामानों के समुचित रखरखाव का भार स्थानीय संस्था पर ही होता है।

बलिया जिले में 'बलिया बार्ली' से कथित क्षति

*१३८—श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सत्य है कि पिछली रबी में सरकारी बीज गोदाम से दोषपूर्ण बीज वितरित होने के कारण बलिया जिले में काफी क्षति हुई है ?

श्री मोहनलाल गौतम—सदस्य महोदय का आशय कदाचित् "बलिया बार्ली" के बीज से है। वह बीज जो सरकारी गोदाम से दिया गया वह दोषपूर्ण न था। क्षति अन्य कारणों से हुई।

*१३९—श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार उक्त बीज के कारण जिन लोगों को क्षति हुई है उन्हें कोई रियायत देने की कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—बीज के कारण हानि नहीं हुई। इसलिए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

'बलिया बार्ली' बीज न जमने की शिकायत

*१४०—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष रबी की बोआई के लिए बलिया, आजमगढ़, जौनपुर आदि जिले के किसानों को "बलिया बार्ली" नामक बीज दिया गया था ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां।

*१४१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उक्त बीज जिन जिन खेतों में बोया गया था, वह जमने के बाद सूख गया फिर भी किसानों से सवाया बीज और खेतों की मालगुजारी वसूल की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल गौतम—प्राप्त सूचना से यह ज्ञात हुआ है कि :

(१) जिन खेतों की जमीन कमजोर थी या खारी थी या नमी कम थी वहां यह बीज नहीं जमा।

(२) सवाई में छूट देने के प्रश्न पर विचार हो रहा है। इतनी हानि नहीं हुई कि मालगुजारी की आम छूट हो।

मलेरिया योजना तथा आजमगढ़ जिले में मलेरिया निवारक यूनिट के कर्मचारी

*१४२—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में मलेरिया निवारक योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं और मई, जून, १९५८ में कितना नया स्टाफ इस कार्य के लिए बढ़ाया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आजमगढ़ जिले में पहिले कोई मलेरिया निवारक यूनिट नहीं थी। जून, १९५८ में मलेरिया एराडिकेशन प्रोग्राम चालू होने के बाद एक नयी यूनिट वहां स्थापित हुई है जिसमें विभिन्न पदों पर निम्नलिखित संख्या में व्यक्ति रक्खे गये हैं :—

१—एन्टी मलेरिया आफिसर	१
२—सीनियर मलेरिया इन्स्पेक्टर	३
३—मलेरिया इन्स्पेक्टर	४
४—क्लर्क	३

५—ड्राइवर	४
६—क्लीनर	१
७—लेबोरेटरी टेक्नीशियन	२
८—सुपीरियर फील्ड वर्कर	३६
९—फील्ड वर्कर	१८०
१०—चपरासी	४
११—भंगी	१
१२—चौकीदार	१
कुल व्यक्ति ..	२४०

*१४३—श्री विश्रामराय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त योजना प्रदेश के किन-किन जिलों में चल रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह योजना प्रदेश के निम्नलिखित ४३ जिलों में चल रही है :—

१—बरेली।
२—बहराइच।
३—खेरी।
४—पीलीभीत।
५—मिर्जापुर।
६—सहारनपुर।
७—मुजफ्फरनगर।
८—मेरठ।
९—बुलन्दशहर।
१०—अलीगढ़।
११—मथुरा
१२—आगरा।
१३—इटावा।
१४—मैनपुरी।
१५—बाराबंकी।
१६—एटा।
१७—मुरादाबाद।
१८—रामपुर।
१९—शाहजहांपुर।
२०—हरदोई।
२१—लखनऊ।
२२—गोंडा।
२३—बस्ती।
२४—गोरखपुर।
२५—देवरिया।
२६—आजमगढ़।
२७—जौनपुर।
२८—वाराणसी।
२९—बांदा।
३०—हमीरपुर।
३१—जालौन।
३२—झांसी।
३३—कानपुर।
३४—फर्रुखाबाद।
३५—उन्नाव।
३६—इलाहाबाद।
३७—देहरादून।
३८—बिजनौर।
३९—नैनीताल।
४०—अल्मोड़ा।
४१—टेहरी-गढ़वाल।
४२—पौरी-गढ़वाल।
४३—सीतापुर।

*१४४—श्री देवनारायण भारतीय—[८ दिसम्बर, १९५८ के लिए स्थगित किया गया।]

उन्नाव जिला कोआपरेटिव फेडरेशन की आडिट रिपोर्ट

*१४५—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या सरकार उन्नाव जिला कोआपरेटिव फेडरेशन की अन्तिम आडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—जिला कोआपरेटिव फेडरेशन, उन्नाव की अन्तिम आडिट रिपोर्ट, जो वर्ष, १९५६-५७ की है, इतनी विस्तृत है कि उस की प्रतियां तैयार करने में जो श्रम तथा समय लगेगा वह सूचना की उपयोगिता को देखते हुए आवश्यक प्रतीत नहीं होता। माननीय सदस्य तथा अन्य सदस्य जो इसमें रुचि रखते हों, सहकारी विभाग में इस रिपोर्ट को सुविधा-पूर्वक देख सकते हैं।

*१४६—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उसमें उठाये हुए एतराजों की पूर्ति फेडरेशन ने की है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी नहीं। अन्तिम आडिट रिपोर्ट फेडरेशन को अभी हाल ही में दिनांक २९ जुलाई, १९५८ को मिली है। आडिट में उठाये हुए एतराजों की पूर्ति हो रही है और फेडरेशन के सेक्रेटरी को आदेश दे दिये गये हैं कि वे इस कार्य को शीघ्र से शीघ्र सम्पन्न करें।

हल्द्वानी एलोपैथिक अस्पताल की इमारत को कथित क्षति

*१४७—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को ज्ञात है कि हाल ही में हल्द्वानी राजकीय एलोपैथिक अस्पताल के "आपरेशन-रूम" का सारा भवन अकस्मात गिर पड़ा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं।

काशीपुर में निर्धारित दर से अधिक विद्युत्-कर उपभोक्ताओं को वापस न मिलना

*१४८—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को ज्ञात है कि विद्युत् विभाग द्वारा काशीपुर शहर को काशीपुर कोलोनाइजेशन विद्युत् गृह से ली गयी बिजली पर निर्धारित रेट से अधिक शुल्क ले लिये जाने से प्राप्त surplus रकम को अभी तक उपभोक्ताओं को वापिस (refund) नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—जी हां। प्रत्येक उपभोक्ता का हिसाब तैयार कर लिया गया है और अतिरिक्त प्राप्त रकम उपभोक्ताओं के वापस करने अथवा आगामी बिलों में adjust करने के लिए सम्बन्धित सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर को आदेश दे दिये गये हैं।

'एलोपैथिक डिस्पेंसरी', रामगढ़, जिला नैनीताल का अधूरा निर्माण-कार्य

*१४९—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को ज्ञात है कि रामगढ़, जिला नैनीताल की "एलोपैथिक डिस्पेंसरी" के अधूरे निर्माण के पूरा करने के लिए स्वीकृत लगभग ४०,००० रु० पिछले तीन वर्षों से लगातार व्यपगत (lapse) हो रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां।

*१५०—श्री नारायणदत्त तिवारी—यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में निर्माण-कार्य पूरा किये जाने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—भवन निर्माण के नक्शे तथा तखमीने ३ जनवरी, १९५८ को सरकार द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हैं।

राय-सिक्ख किसानों को बसाने की योजना

*१५१—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायगी कि १९५५-५६ व १९५६-५७ के अनुपूरक व मूल बजटों के लखीमपुर-खीरी में राय-सिक्ख किसानों को बसाये जाने सम्बन्धी स्वीकृत की गयी योजना में अब तक कुल कितना खर्च हुआ है और क्या प्रगति हुई है ?

श्री मोहनलाल गौतम—लखीमपुर-खीरी में राय-सिक्ख किसानों के बसाये जाने सम्बन्धी कोई योजना सरकार ने नहीं बनायी और जो योजना इन किसानों को पीलीभीत जिले में बसाने के लिए बनायी गयी थी वह स्वीकृत नहीं हुई और इसलिए चालू नहीं की गयी।

सारदा विद्युत् गृह से उत्पन्न बिजली

*१५२—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि Sarda Grid के अन्दर Sarda Power House द्वारा उत्पादित कुल बिजली (किलोवाट में) से कितनी बिजली (किलोवाट में) इस्तेमाल होती है और कितनी बच जाती है ?

श्री चरणसिंह—अभी तक सारदा विद्युत् गृह द्वारा २०,००० किलोवाट बिजली उत्पन्न की गयी है। उसमें से अब तक १०,००० किलोवाट शारदा ग्रिड के क्षेत्र में इस्तेमाल हुई और शेष १०,००० किलोवाट गंगा ग्रिड में।

दादरी, जिला बुलन्दशहर में बिजली न होना

*१५३—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि टाउन एरिया, दादरी, जिला बुलन्दशहर में कब तक बिजली पहुंच जायगी ?

श्री चरणसिंह—दादरी के विद्युत्करण का विचार सरकार इस समय नहीं रखती और यह नहीं कहा जा सकता कि दादरी में बिजली कब तक पहुंच जायगी।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री जंगबहादुर वर्मा—[१५ दिसम्बर, १९५८ के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या २ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है।]

२—श्री जंगबहादुर वर्मा—[४ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

बी० सी० जी० के दल

३—श्री अयोध्याप्रसाद आर्य (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बी० सी० जी० के कितने दल उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस समय १६ दल काम कर रहे हैं।

४—श्री अयोध्याप्रसाद आर्य—इन दलों का संगठन किस प्रकार है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रत्येक दल में एक डाक्टर, एक लिपिक, छः टेक्नीशियन, एक मोटर ड्राइवर, एक चपरासी व एक अर्दली होता है। कुछ दलों में एक क्लीनर की भी जगह है।

५—श्री अयोध्याप्रसाद आर्य—उक्त कार्य में काम करने वालों की संख्या क्या है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१६ दलों में कुल १८५ कर्मचारी हैं।

६—श्री अयोध्याप्रसाद आर्य—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन में कितने अस्थायी और कितने स्थायी हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बी०सी०जी० टीके की योजना अभी तक अस्थायी है इसलिए निम्नलिखित वर्गों को छोड़ कर सभी कर्मचारी इसमें काम करने वाले अस्थायी हैं। "डाक्टर व लिपिक" जो इन दलों में काम करते हैं जन-स्वास्थ्य विभाग के सामान्य कैडर पर नियुक्त किये जाते हैं और उनको उस कैडर में अपने स्थान के अनुसार जब स्थायी होने का समय आता है स्थायी कर दिये जाते हैं, यदि वे उस समय बी० सी० जी० में हों इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है।

सर्वदलीय खाद्य-समिति के नाम के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्नों के सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ६ के सम्बन्ध में मैं उस समय भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था लेकिन आप ने उस समय उसको उपस्थित करने की आज्ञा नहीं दी। इसमें यह छपा हुआ है कि "सर्वदलीय खाद्यान्न समिति"। मेरा निवेदन यह है कि किसी भी सर्वदलीय खाद्यान्न समिति के सम्बन्ध में न तो यह प्रश्न हो सकता है क्योंकि ऐसी कोई समिति है ही नहीं। यह प्रश्न ही गलत है और श्रीमान् जी को वह स्वीकार नहीं करना चाहिए था। इतना ही नहीं आगे चल कर माननीय मन्त्री जी की ओर से उत्तर में कहा गया है कि सर्वदलीय समिति बनी और उसने ऐसा-ऐसा किया। मैंने जब प्रश्न किया तो मेरा सम्बन्ध उसी से था कि कोई सर्वदलीय समिति नहीं है। इस समिति से सोशलिस्ट पार्टी का सम्बन्ध नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि श्रीमान् ने उस प्रश्न की आज्ञा क्यों दी और क्यों उसके उत्तर की आज्ञा दी गयी? हमारी पार्टी के नेता श्री राजनारायण सिंह जी के पास माननीय मुख्य मन्त्री की ओर से एक निमंत्रण इसका आया था कि वे इस समिति में क्या सहयोग देने के लिए तैयार हैं और उन्होंने अस्वीकार कर दिया था.....

श्री अध्यक्ष---ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। आप तो स्वयं ही सब जानकारी देना चाहते हैं। यह प्रश्न पूछा गया कि क्या? सर्वदलीय समिति बनी और उन्होंने उसका उत्तर दिया। अगर उस समिति में आप या और कोई नहीं आता है और अगर वह समिति बनती है तो उसे बनाने वाले को उसका नामकरण करने का अधिकार न हो, ऐसी बात नहीं है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पिता माता नाम रख देते हैं जो आंख का अंधा हो उसका नाम नयनसुख। तो आप यह उन्हें नहीं कहेंगे कि तुमने नयनसुख नाम क्यों रख दिया, वह तो अंधा है। तो नामकरण करने वाले को तो नाम रखने का पूर्ण अधिकार है ही। इसी प्रकार अगर प्रश्न पूछने वाला ही प्रश्न में उस समिति को सर्वदलीय समिति कहता है तो क्या उससे झगड़ा जायगा? अगर उसके बारे में कुछ कहना है तो प्रश्नकर्त्ता से कहिये, लेकिन सर्वदलीय नाम उसका कहने का तो उसको अधिकार है ही। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि केवल नाम देने से ही किसी चीज में अन्तर नहीं हुआ करता। बहुत से लोग अपने सम्मेलन को कहते हैं "आल इंडिया कान्फ्रेन्स"। अब लोग इस पर क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसमें इंडिया भर के लोग कहां आये। लेकिन आल इंडिया के लोग उसमें आ तो सकते ही हैं। ऐसी बातें बहुत होती हैं लेकिन ऐसे सम्मेलन का उद्देश्य यही होता है कि हिन्दुस्तान भर के लोग उसमें आ सकते हैं। इसी तरह से उस समिति में सब दलों को शामिल होने का अधिकार है। अगर उसमें कोई दल नहीं आता है तो समिति का सिद्धान्त और नाम तो बदला नहीं जा सकता।

श्री देवनारायण भारतीय---जब माननीय मुख्य मंत्री ने इस समिति का ऐलान किया था तो उन्होंने स्वयं ही इस बात को कहा था कि सोशलिस्ट पार्टी को उसमें शामिल नहीं किया जायगा।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने यह कहा था कि शायद वे शामिल नहीं होना चाहते।

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न संख्या ६० पर था जिसको वहां हटा कर १२८ पर रख दिया गया जिसकी वजह से उसका नम्बर ही नहीं आने पाया। मैं पूछना चाहता हूं कि इस नम्बरिंग करने का तरीका क्या है। इस प्रकार नम्बरिंग हो जाने से बड़ा भारी पोलिटिकल लास हो जाता है। इसलिये इसमें आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---पहले यह प्रश्न स्थगित हो गया था अब यह दोबारा १२८ वें नम्बर पर आया है।

देवरिया, गोरखपुर तथा बस्ती जिलों में भदई में जड़हन का बीज देने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---श्री उग्रसेन का एक कामरोको प्रस्ताव इस प्रकार है "देवरिया, गोरखपुर तथा बस्ती जनपदों में कृषि विभाग द्वारा कतिपय धान के बीज हजारों किसानों को भदई में जड़हन का दिया गया जिसके कारण ५० हजार से अधिक एकड़ की भदई की फसलें पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गयीं। बजाय इसके कि सरकार दिया हुआ बीज माफ करती तथा किसानों की क्षतिपूर्ति करती उल्टे बीज की वसूली में घोर आतंक पैदा कर रही है। उक्त क्षेत्र में लाखों किसानों में घोर क्षोभ व्याप्त है और एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है।

अतः इस आवश्यक तथा जनहित की दृष्टि से आवश्यक विषय पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

यह घटना कब की है कुछ पता नहीं लगता कि कब जड़हन का बीज दिया गया?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, यह इसी वर्ष की बात है और सरकार के कृषि विभाग के पास कुछ आंकड़े भी होंगे और माननीय मंत्री जी उसे दे सकते हैं। इस समय उस बीज की वसूली हो रही है। इसकी अर्जेंसी इसलिये है कि एक तो धान नहीं हुआ और खेत भी खराब हो गये। यह गोरखपुर, देवरिया और बस्ती तीनों जिलों से सम्बन्ध रखता है। इस समय वहां बड़ा आतंक है और इसकी सूचना हमारे पास आयी हुई है। कम से कम उस बीज की वसूली न हो और जो क्षति किसानों की हुई है उसकी पूर्ति सरकार करे बजाय इसके कि डंडे मार-मार कर उनसे बीज की वसूली की जाय।

श्री अध्यक्ष---"उक्त क्षेत्र के लाखों किसानों में घोर क्षोभ व्याप्त है और एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है। अतः इस आवश्यक तथा जनहित की दृष्टि से आवश्यक विषय पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

माननीय कृषि मंत्री से यह विषय सम्बन्ध रखता है। इस विषय पर चर्चा करने में यदि कोई आक्षेप हो या कोई सूचना देना चाहें तो आप दे सकते हैं।

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां से यह सूचना आयी कि बीज खराब है और वह उगा नहीं, उसकी जांच की गयी। बस्ती के नौगढ़ इलाके से यह सूचना आयी थी। मैं स्वयं वहां गया था और चूंकि उन लोगों ने समय पर सूचना दी थी इसलिये उसका यह इन्तजाम किया गया कि जो अर्ली पैडी के बीज दिये गये थे वे जब नहीं उगे तो फौरन ही लेट पैडी के बीज के ट्रांसप्लांटेशन करने का इन्तजाम किया गया और उसके लिये तकावी उन लोगों को दी गयी। खुशकिस्मती से इस साल धान की फसल चूंकि अच्छी थी तो जो लेट पैडी के लिये पौध लगाये गये थे और जितने रकबे के लिये लगाये गये थे उससे ज्यादा के लिये वे इस्तेमाल हो सकते थे और वे ऐवेलेबिल थे। तो मैं खुद गया और मेरे जाने से पहले ही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने यह इन्तजाम किया था कि जो अर्ली पैडी के बीज नहीं उगे उसके लिये लेट पैडी के लिये तकावी देकर और पौध का इन्तजाम कर के उन्होंने ट्रांसप्लांटेशन का इन्तजाम करा दिया था। मैं खुद उसको देख कर आया हूं। जो बीज खराब दिये गये थे उसके लिये मैंने डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर, बस्ती, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर, गोरखपुर और असिस्टेंट एग्रीकल्चर आफिसर, गोरखपुर को सस्पेंड कर दिया है। इसलिये कि उनकी गलती की वजह से ही ये गलत बीज दिये गये थे और डिप्टी डाइरेक्टर, गोरखपुर के सुपुर्द इसकी तहकीकात थी, उन्होंने तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट भेज दी है और अब उस तहकीकात की जांच डाइरेक्टर के यहां हो रही है। उसमें जो भी कसूरवार होंगे उनके खिलाफ चार्जशीट लगाया जायगा।

आज जो लाखों किसानों की बात कही जाती है कि अर्ली पैडी के बीज खराब होने की वजह से उनमें क्षोभ व्याप्त है और उनकी तमाम फसल खराब हो गयी, अगर उस वक्त कहीं यह चीज मालूम हुई होती कि कहां-कहां यह चीज हुई तो तुरन्त उसका इन्तजाम कर दिया गया होता। इस तरह की जहां-जहां से शिकायतें आयीं उनका इन्तजाम कर दिया गया।

जहां तक बीज के वसूल करने की बात है, अभी रिपोर्ट आ रही है, उसको देख कर ही फैसला होगा कि किस तरह से हो। यह जो अब कहा जा रहा है कि खेत खराब हो गये और ऐसी क्षति हुई जिससे लाखों किसानों के सामने विकट समस्या उत्पन्न हो गयी है, ऐसी बात नहीं है। अगर उस तरफ हमारा अटेंशन पहले दिलाया गया होता तो हम देख कर उस तरफ कार्यवाही करते। जहां तक बीज वसूली का सम्बन्ध है, तहकीकात करने के बाद ही उस पर कोई कार्यवाही हो सकती है।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जब बीज कृषि विभाग की तरफ से दिया गया तो उसको किसानों ने अपने खेतों में बोया और पौध भी अच्छी लगी और बड़ी-बड़ी लम्बी-लम्बी बालियां भी लगीं लेकिन दाना एक भी नहीं लगा। नतीजा यह हुआ कि एक-एक एकड़ में एक सेर धान पैदा हुआ। पहले से किसान समझते थे कि धान की फसल अच्छी है, लेकिन स्थिति यह रही कि उनके हाथ कुछ नहीं लगा। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि गोरखपुर, देवरिया और बस्ती के किसानों की जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति की जाय और बीज की तकावी कतई माफ की जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी के पास आप डिटेल में जो क्षति हुई है और जिस प्रकार हुई है उसको भेज देंगे। इस प्रस्ताव में यह बात नहीं उठाई प्रतीत होती है। इस प्रस्ताव में तो केवल बीज के बारे में जिक्र है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मेरा इस सम्बन्ध में एक निवेदन है कि माननीय मंत्री जी इस बात को तो मानते ही हैं कि क्षति हुई और उन्होंने कुछ आफिसर्स को सस्पेंड भी किया। इससे यह विषय साफ हो गया कि इसमें गड़बड़ी हुई है सरकारी पक्ष से। माननीय मंत्री जी को यह पता नहीं है कि बीज की वसूली हो रही है या नहीं हो रही है लेकिन हम लोगों को सूचना है कि बीज की वसूली हो रही है और किसानों को सताया जा रहा है, तो इस बीच में वह सताया जाना कैसे रुकेगा इसकी आप व्यवस्था करा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने जवाब दे दिया कि वे तहकीकात करने के लिये तैयार हैं और तहकीकात होने पर वे फैसला करेंगे। वे यह कहते हैं कि इस तरफ उनका अटेंशन पहले ड्रा नहीं किया गया, अब किया गया जैसा कि आपका प्रस्ताव में कहना है कि "लेट पैडी" का पौधा दिया गया। उगने पर किसान समझा कि उस पर बीज जम नहीं रहा है इसलिये उसने उसे साफ कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में मंत्री जी का ध्यान आपको आकर्षित करना चाहिये था। यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकता, लेकिन यह घटना मंत्री जी के सामने ले आनी चाहिये। आप उनको अपनी मालूमात या सूचना दे दें। वह तहकीकात करेंगे, यह आश्वासन वे दे चुके हैं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—मैंने दो महीने पहले माननीय मंत्री जी का इस ओर ध्यान दिलाया था देवरिया जिले की लेट पैडी की तरफ। दो महीने पहले माननीय मंत्री जी व जिलाधीश दोनों को लिख कर भेजा था कि जांच कराई जाय। डिप्टी डाइरेक्टर, गोरखपुर-देवरिया जो इसके इन्चार्ज हैं उन्होंने बीज को, ऐप्रूव किया था जब कि दोषी और लोगों को हराया गया है। मैं तो समझता हूं कि इसकी अच्छी तरह से जांच कराई जाय। एग्रीकल्चर आफिसर ही नहीं, डिप्टी डायरेक्टर, गोरखपुर भी जिम्मेदार हैं।

श्री अध्यक्ष—आप उनसे कमरे में जाकर बातचीत कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। इस आदरणीय सदन का इस कामरोको प्रस्ताव के सम्बन्ध में और अधिक समय न लिया जाय।

श्री राजनारायण--त्रिपाठी जी का जो बयान हुआ कि दो महीने पूर्व ही उन्होंने गवर्नमेंट का अटेंशन ड्रा किया था इससे तो यह और भी अधिक अर्जेन्ट हो जाता है।

श्री अध्यक्ष--इसके लिये ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे जांच करेंगे।

धान की कीमत में अप्रत्याशित कमी के कारण उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--श्री नारायणदत्त तिवारी जी का एक कामरोको प्रस्ताव इस प्रकार है: "यह सदन एक आवश्यक महत्वपूर्ण तथा तात्कालिक विषय अर्थात् प्रदेश के अधिकांश भागों में पिछले कुछ दिनों के अन्दर किसानों द्वारा बेंचे जाने वाले धान की कीमत में अप्रत्याशित कमी के परिणाम-स्वरूप सरकार के मूल्य स्थिरीकरण (price stabilization) नीति के असन्तुलित हो जाने से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज का अपना कार्य स्थगित करता है।"

यह विषय पहले रोज ही आ जाना चाहिये था। यह चीज एक रोज की नहीं है कई रोज पुरानी है। यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता। लेकिन यह प्रश्न महत्व का जरूर है क्योंकि इस विषय में बहुत से लोग परेशान हैं और यह बराबर कहा जा रहा है कि खरीफ की फसल बहुत अच्छी आई है, विशेष कर धान की, तो एकदम धान सस्ता हो जाने से जो खतरा किसानों को पैदा हो सकता है उस विषय में मैं समझता हूं कि लोग परेशान दिखाई देते हैं। ऐसी अवस्था में यह कामरोको प्रस्ताव का विषय न होते हुए भी, अगर माननीय खाद्य मंत्री किसी रोज इस सम्बन्ध में वक्तव्य दे दें तो अच्छा होगा और फिर उचित समझा जाय तो उस विषय पर विवाद के लिये कुछ समय सदन के सदस्य मांग सकते हैं।

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--आज जो गैर-सरकारी प्रस्ताव आया है उसमें मेरे खयाल से स विषय पर चर्चा की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष--उसमें आप वक्तव्य ` देंगे कोई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--मैं अभी बताये देता हूं।

श्री अध्यक्ष--अभी नहीं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--उस समय उस विषय पर प्रकाश डाल दूंगा।

श्री अध्यक्ष--क्योंकि अभी तो यह कामरोको प्रस्ताव का विषय है और उस वक्त आप कोई वक्तव्य दे देंगे तो सबको पता लग जायगा कि क्या परिस्थिति है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, जो आपने व्यवस्था दी मैं उसके लिये आपका आभारी हूं क्योंकि आपने उसको महत्व का विषय बताया। इसी बीच में जो हमारे पास दो-तीन दिन से सूचनायें आयी हैं उनके आधार पर प्रस्ताव दिया है। तो चूंकि कोआपरेटिव सोसाइटीज से यह सम्बन्धित नहीं है तो मैं इतना चाहूंगा कि मंत्री जी अविलम्ब इस विषय में क्या कदम उठा रहे हैं बता दें, जब कि केन्द्रीय सरकार ने यू० पी० सरकार को इजाजत दे दी है...

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं उस बहस में इसका जिक्र कर दिया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--वह दूसरा विषय है, गल्ले का नाम जरूर है।

श्री अध्यक्ष--वह प्रस्ताव यह है : "इस सदन का यह निश्चित मत है कि जब तक उत्तर प्रदेश खाद्यान्न के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर न हो जावे तब तक के लिये सरकार किसानों से गल्ला कोआपरेटिव सोसाइटीज तथा सरकारी एजेन्सीज द्वारा खरीदने की व्यवस्था करे।"

तो उस सिलसिले में आप कह सकते हैं और सरकार की तरफ से उस सिलसिले में जवाब आ जायगा। संशोधनों के रूपों में आप देखेंगे कि उनमें ऐसी बात का जिक्र किया गया है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---मैं केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि तिवारी जी ने जो कुछ कहा कि कोआपरेटिव सोसाइटीज से ताल्लुक रखता है तो जो संशोधन है मेरा और रामस्वरूप वर्मा जी का उसमें आ जाता है किसानों के लिये कि निश्चित दर पर खरीदा जाय। उसमें धान के मूल्य का विषय आ जायगा।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं आपका संशोधन बाद में आया। उस पर भी मैं उस संशोधन की इजाजत दे दूंगा कि वह ले लिये जायं और उस पर आदरणीय सदन के सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिये। तो उसमें वह विषय आ जायगा।

श्री राजनारायण---आपने सुना होगा श्रीमन्, पहली तारीख को जब यह कामरोको प्रस्ताव आया था तो यही प्रश्न हमने प्रस्तुत किया था वाराणसी के बारे में। आपने बताया था कि जो कामरोको प्रस्ताव है वह तो यह है कि गल्ला महंगा है और आप सस्ते की बात कर रहे हैं। तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि खाद्य समिति की बैठक ४ तारीख को होने वाली है और उसमें इस सम्बन्ध में विचार कर लेंगे। तो हमने निवेदन किया कि खाद्य समिति सदन का स्थान नहीं ले सकती। तो उस समय आपने कहा था कि चर्चा होगी। तो क्या खाद्य समिति की बैठक ४ तारीख को हुई? इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई फैसला किया है या नहीं?

श्री अध्यक्ष---मंत्री जी न एक प्रश्न क उत्तर में आज ही बताया था कि ४ तारीख को नहीं हुई समिति की बैठक आप शायद उस समय सदन में नहीं थे और अब १६ तारीख को होगी। लेकिन इसके ऊपर बहस हो जाय असरकारी प्रस्ताव के सिलसिले में तो अच्छा होगा।

अब असरकारी कार्य प्रारम्भ होगा।

सदन के कार्य-क्रम के बारे में पूछताछ

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---आन ए प्वाइंट आफ इनफ़ार्मेशन। मैं चाहता हूं कि अगले सप्ताह का प्रोग्राम सदन को बता देते तो अच्छा था।

श्री अध्यक्ष---सप्ताह का प्रोग्राम सोमवार के रोज दिया जाता है। अब अगर इस वक्त सदन के उपनेता के लिये प्रोग्राम देना सम्भव हो तो अगले सप्ताह का प्रोग्राम बता दें।

न्याय मंत्री (श्री हुकुम सिंह बिसेन)---श्रीमन्, जैसा दस्तूर है उसी पर अमल करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---तो आपको मालूम नहीं है।

कोआपरेटिव सोसाइटियों तथा सरकारी एजेंसियों द्वारा किसानों से गल्ला खरीदने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री हरिश्चन्द्रसिंह (जिला बदायूं)---माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री शिवराज सिंह यादव ने जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख उपस्थित किया था उसके समर्थन में मैं पिछली तारीख को कह रहा था। जहां पर मैंने खत्म किया था वह यह था कि जो बीच का आदमी, मिडिल मैन है, उसको दूर किया जाय। इससे पब्लिक और काश्तकार का पूरा हित होगा। इस सम्बन्ध में मैं जिक्र कर रहा था कि क्या कारण है जिनसे मिडिलमैन या बिचौलिया को हटाया जाय और

[श्री हरिश्चन्द्र सिंह]

किसान का सीधा सम्बन्ध काश्तकार से किया जाय। इसके लिये मैं आपके सामने कुछ दलीलें देना चाहता हूं।

जहां तक मिडिलमैन के ईमानदार न होने की बात है जिस वक्त कि काश्तकार अपना गल्ला लेकर बाजार में आता है तो उसको बाजार में कई प्रकार के चीट्स और दगाबाज मिलते हैं, उनके कई प्रकार के नाम हैं और अगर उनके नाम बताने की जरूरत है तो वह दलाल हैं, हम्माल हैं, अढ़तिया हैं, होर्डर्स हैं, बुल्स हैं और बीयर्स वगैरह हैं और अन्य प्रकार के कितने ही मुनाफाखोर, दगाबाज और धोखेबाज हैं कि जिनके बीच में गरीब काश्तकार अपने को पाता है। जब वह बाजार में जाता है उसको उनसे अपनी जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। वह किसी तरह से गाड़ी खड़ी करता है और आखिर में चाहे जिस हिसाब से पैसा उसके हाथ में बिना गिने दे दिया जाता है और वह अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। वह नहीं जानता कि किस भाव बिका, कितना वजन हुआ और कितना पैसा उसे मिला। वह गरीब घर आकर पैसे गिनता है और समझता है कि कितने मन माल कितने में गया। यहां बाजार में जो गल्ला खरीदने वाले, होर्डर या बुल या बीयर्स जो भी हैं वह उन काश्तकारों पर इतना अधिक हावी आ जाते हैं कि उनको जान छुड़ाना कठिन हो जाता है, यह बेईमान और दगाबाज व धोखेबाज लोग देश का नाश और अहित करने वाले हैं। आज से ही नहीं, आज से ७० साल पहले भी एक अर्थशास्त्र या एकनामिक्स के ज्ञाता श्री एलफ्रेड मार्शल ने अपनी किताब प्रिन्सिपिल्स आफ एकनामिक्स में लिखा है। वह मैं अंग्रेजी में पहले पढ़े देता हूं और फिर मैं उसका अनुवाद कर दूंगा। वह लिखते हैं कि--

"No traders are more unscrupulous in taking advantage of the necessities of the unfortunate than are the corn dealers and the money-lenders of the east."

यह १८९० में मार्शल साहब ने कहा था। उस वक्त की कही हुई वह बात आज भी उतनी ही सही है जितनी कि वह ७० साल पहले सही थी। काश्तकार गल्ला पैदा करता है और उसकी रबी की फसल मई और जून में बाजार में आती है और उस वक्त बाजार में गल्ले की अधिकता होती है क्योंकि काश्तकार को अपना तमाम लेन-देन, शादी ब्याह, लगान आबपाशी वगैरह देना होता है और उसे फौरन रुपए की जरूरत होती है और वह अपना गल्ला लेकर बाजार में आता है, उस वक्त वह बनिया, सारे गल्ले का खरीदार, गल्ला जिस भाव चाहता है खरीद कर रखता है। गल्ले का भाव पिछले साल में मई-जून में १३ रुपए मन का था जब किसान ने बेचा और वही गल्ला सितम्बर व अक्तूबर में जाकर २८ रुपये मन बिका और १५ रु० का नफा वह बीच का आदमी या मिडिलमैन खा गया। क्या यह चीज हम लोगों को या सरकार को गवारा हो सकती है? यदि गवारा नहीं हो सकती है तो यह व्यवस्था जो इस वक्त कायम है वह कायम नहीं रहेगी।

अब दूसरी चीज जो इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि काश्तकार को गल्ला पैदा करने के लिए प्रोत्साहन की जरूरत है। वह उस को कैसे मिले, यह सरकार को देखना है। मैं समझता हूं कि काश्तकार पैदा करता है, लेकिन उसको उचित दाम चीज का नहीं मिलता। यदि उचित दाम नहीं मिलता तो वह गल्ला पैदा नहीं करेगा। ईख जो काश्तकार पैदा करता है उसमें उसको मालूम रहता है कि उसको एक रुपया, सात आने मन या ८ आने मन उस के दाम मिलेंगे और वह उसकी काश्त को बढ़ाता है। मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि अगर सरकार कोई व्यवस्था इस गल्ले के मुताल्लिक मार्केटिंग सोसाइटीज के जरिये से या और किसी जरिये से नहीं करती है तो काश्तकार गल्ला पैदा हरगिज नहीं करेगा। वह केवल इतना पैदा करेगा जो उस के खाने के लिए काफी हो जाय, बाजार में लाने के लिए पैदा नहीं करेगा, क्योंकि उसको गल्ले का दाम ठीक नहीं मिलता। वह समझता है कि गल्ला बाजार में ले जाते समय न मालूम कितने दाम मिलेंगे। यह निश्चित नहीं है। यहां पर जे० के० गालबर्ट

जो कि हावर्ड युनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं उन्होंने हिन्दुस्तान के बाजार को स्टडी किया। वह इस राय पर आये कि--

"India remains one of the world's least controlled or planned economies. India is superimposed Socialist Sector on the top of what you call the world's greatest example of functioning anarchy. United States is more controlled—20 per cent of U. S. economy and State Control as against 10 per cent in India."

इसका मतलब यह है कि हिन्दुस्तान जहां पर गल्ले की पैदावार बहुत कम है उस में कोई कन्ट्रोल किसी किस्म का नहीं है। मेरा मतलब "कन्ट्रोल" से राशन-कार्ड सिस्टम से नहीं है। मतलब यह है कि उसकी पैदावार के वितरण का ठीक प्रबन्ध सरकार द्वारा किया जाय। तो जहां यूनाइटेड स्टेट्स में गल्ला इतना ज्यादा पैदा होता है कि बाज दफा उस को ऐज फ्युअल (as fuel) इस्तेमाल करना पड़ता है वहां भी कन्ट्रोल है, लेकिन हिन्दुस्तान में, जितनी अराजकता गल्ले के बाजार में है उतनी कहीं नहीं है। काश्तकार पैदा करता है, लेकिन उसको पता नहीं कि उसको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ऐसी अनिश्चितता में फंसा ही रहता है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस किस्म का कोई प्रबन्ध अगर वह चाहती है कि गल्ला पैदा किया जाय और काफी तादाद में किया जाय तो कोई ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे गल्ले का एकत्रीकरण और वितरण ठीक प्रकार से हो जाय। आजकल काश्तकार गल्ला पैदा करना नहीं चाहता, वह कैश-क्राप पैदा करना चाहता है। वह समझता है कि कैश-क्राप में तो दाम ठीक मिल जायेंगे और यह उसको मालूम नहीं है कि गल्ले के दाम उसे किस भाव से मिलेंगे। इस-लिए न तो वह गल्ला पैदा करेगा और न उस के लिए कोशिश करेगा; चाहे हम गल्ले को बढ़ाने के लिए कितने ही कैम्पेन्स चलायें, कितनी खाद इत्यादि की व्यवस्था करें, लेकिन वह गल्ला पैदा नहीं करेगा। अगर मार्केट कन्डीशन्स को ठीक नहीं करेंगे तो वह समय आ जायगा जब कि यह सारी की सारी व्यवस्था गिर जायगी और गल्ले की कमी की वजह से हम सब को परेशान होना पड़ेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सरकार जल्द से जल्द कोई इस प्रकार की व्यवस्था करे। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और देश के अन्य नेता भी इस बात को कह रहे हैं कि स्टेट ट्रेडिंग एक बहुत जरूरी चीज है और उसे करना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमारी प्रदेशीय सरकार को, केन्द्रीय सरकार को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि स्टेट ट्रेडिंग की जाय और गल्ले का इस प्रकार एकत्रीकरण और वितरण किया जाय जिससे काश्तकार जो पैदा करता है उसी को मुनाफा मिले और बीच के आदमी को नहीं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि संकल्प की अन्तिम पंक्ति में शब्द 'द्वारा' और शब्द 'खरीदने' के बीच में शब्द 'किसानों के लिए उचित मूल्य पर' रख दिये जायं। इस संशोधन के बाद प्रस्ताव इस प्रकार हो जायगा--

"तथा सरकारी एजेन्सीज द्वारा किसानों के लिए उचित मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था करे।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के लिए मूल्य का प्रश्न जमींदारी एबालिशन से भी अधिक महत्वपूर्ण है और जमींदारी एबालिशन के बाद तो उनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यही है। अगर आप इस बात पर विचार करें कि दूसरे देशों में किसानों के लिए वहां की सरकारें उन की पैदावार के उचित मूल्य की व्यवस्था करती हैं और ऐसा मूल्य गिर जाने पर जो उन के लिए हानिकर हो सरकारें किसानों को सबसिडी तक देती हैं जिस से उन को उचित मूल्य मिलता रहे तथा उचित मूल्य के कारण उन्हें प्रेरणा मिलती रहे कि वे पैदावार को बढ़ाते रहें। हमारे देश में भी केन्द्रीय सरकार ने कई बार विशेषज्ञों की कमेटियां इस सम्बन्ध में बिठायी हैं और उन विशेषज्ञों की कमेटियों ने यह रिपोर्ट की है कि किसानों के लिए रेम्युनरेटिव प्राइसेज

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

होनी चाहिए, यानी किसानों को उतनी कीमत मिलनी चाहिए जिस से उन की लागत और मेहनत वगैरह, सब का खर्च निकाल कर उनको कुछ मुनाफा हो। तो यह एक ऐसी बात है जो आज से बहुत पहले कर दी जानी चाहिए थी। जमींदारी एबालिशन के साथ-साथ इस बात की भी व्यवस्था हो जानी चाहिए थी कि किसानों को उचित मूल्य दिया जाय। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया है। आप चाहे जिस दृष्टि से देखिये, अगर सामाजिक न्याय की दृष्टि से देखें तो यह मानना पड़ेगा कि देश के स्वाधीन होने के १२वें वर्ष में भी जो किसानों और गांवों के साथ प्रादेशिक और केन्द्रीय सरकारों की नीति रही है वह उचित नहीं रही है। शहरों के साथ उन की नीति पक्षपात की और गांवों के साथ अन्याय की रही है। यह हर एक मामले में देखने में आता है। सरकार ने गांवों में तो इस बात की व्यवस्था कर दी है कि उन की इस से अधिक आमदनी नहीं होनी चाहिए, इन्कम पर सीलिंग लगा दी है, लेकिन शहरों के लिए अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है।

आज समाचार-पत्रों में मुझे यह पढ़ कर आश्चर्य हुआ कि प्रधान मन्त्री नेहरू जी ने यह कहा है कि न हम पूंजीवाद से लड़ रहे हैं न साम्यवाद से। साम्यवाद से वह न लड़ें यह बात तो समझ में आ सकती है लेकिन समाजवादी ढांचे की बात कहने वाली सरकार के प्रधान मंत्री जब यह कहते हैं कि वह पूंजीवाद से नहीं लड़ रहे हैं तो बड़ा आश्चर्य और दुःख होता है। और यह शहरों के साथ पक्षपात का ही नतीजा है कि सारा समाजवाद गांवों पर लादा जाता है। शहरों में समाजवाद की बात इस तरह से नहीं लायी जाती है। अगर हम देखें कि टैक्स के सम्बन्ध में सरकार की जो नीति है और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि हमारे प्रदेश में एक करोड़ से जो ऊपर आमदनी होती है उस में से करीब ७५ करोड़ गांवों से आमदनी होती है और २५ करोड़ के करीब शहरों से आमदनी होती है। गांवों के अन्दर मुश्किल से २५ करोड़ रुपया खर्च किया जाता है और बाकी सारा रुपया शहरों पर ही खर्च किया जाता है। यह गांवों के साथ घोर अन्याय है। यह सामाजिक न्याय के उस सिद्धान्त जो हमारे कांस्टीट्यूशन में दिया है के विरुद्ध है। सब से बड़ी बात तो यह है कि सरकार एक तरफ यह कहती है कि पैदावार बढ़ाओ, खाद्य समस्या के हल करने की बात करती है और उस को हल करने के लिए करीब-करीब १२ साल से अंग्रेजी सरकार ने भी और उस के बाद कांग्रेसी सरकार ने भी कहा कि ग्रो मोर फूड (Grow More Food) बढ़ाओ, पैदावार बढ़ाओ। रबी की योजना और खरीफ की योजनायें भी चलायीं, लेकिन क्या इन से पैदावार बढ़ी? जो सब से अच्छा एकमात्र जरिया था क्या सरकार ने उस से काम लिया?

यह हर कोई जानता है कि जो लोग काम करते हैं उसमें वे वह काम करते हैं जिन में उन को मुनाफा होता है। जैसे रिक्शेवाला रिक्शा ग्रो मोर फूड की वजह से नहीं चलाता है। इसी तरह से खोमचे वाला इसलिए खोमचा नहीं लगाता है कि खोमचे का कोई आन्दोलन चल रहा है बल्कि इसलिए करता है कि उससे उसे लाभ होता है। किसानों को तभी प्रेरणा मिलेगी जब कोई उनके लिए एकोनोमिक इन्सेंटिव होगा। जब तक कोई एकोनोमिक इन्सेंटिव नहीं होगा वह पैदावार किस लिये बढ़ायेंगे, वह उत्साह से काम हरगिज नहीं करेंगे। इस लिए उन की उपज पर उन को रेम्युनरेटिव प्राइसेज का मिलना बहुत ही जरूरी है।

हमें देखना यह है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलता है या नहीं? अगर उनको उचित मूल्य मिलेगा तो देश की पैदावार बढ़ेगी और पैदावार के बढ़ने से सब तरह से देश को लाभ होगा, खाद्य समस्या भी हल हो जायगी और खाद्य समस्या के सम्बन्ध में यह मानी हुई बात है कि अंग्रेजी राज्य के जमाने में १९४६ में कहा जाता था कि हमारे देश में १० फीसदी गल्ले की कमी है और कांग्रेसी सरकार की तरफ से आज भी कहा जाता है कि हमारे देश में १० फीसदी गल्ले की कमी है, जिसके माने यह हुए कि ११ वर्ष होने पर भी उतनी कमी अब भी बनी हुई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि हमें विदेशों से गल्ला मंगाना पड़ता है और इसके मंगाने में अरबों रुपये का फारेन एक्सचेंज हमारा चला जाता है जिस से उद्योगों को बढ़ाने से

जो फायदा होता, उनका डेवेलपमेंट होता वह रुक जाता है। इस लिए यह उचित है कि हम किसानों की पैदावार का उचति मूल्य दें। अगर इसमें सरकार का १०-२० करोड़ रुपये का नुकसान भी हो तो कोई हर्ज नहीं है क्योंकि इतनी हमारी पैदावार बढ़ जायगी कि विदेशों से गल्ला नहीं मंगाना पड़ेगा और हमारा फारेन एक्सचेंज बच जायगा। देश का रुपया देश में ही रहेगा और हमारे देश की औद्योगिक उन्नति भी हो सकेगी और हमें अपनी योजनाओं को पूरी करने में जो कठिनाइयां हो रही हैं वह दूर हो जायंगी।

किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने का काम इतना महत्वपूर्ण, जरूरी और लाभप्रद है देश के लिए और प्रदेश के लिये और यह एक सामाजिक न्याय का काम है, इसको सरकार को सब से पहले करना चाहिए था। लेकिन बड़े आश्चर्य और दुख की बात है कि सरकार का इस ओर ध्यान अभी तक नहीं गया है। यह मांग कोई नयी नहीं है। आज से बहुत पहले यह मांग की जा चुकी है और देश के जो कृषि के विशेषज्ञ हुए हैं उन्होंने यह मांग की है और एग्रीकल्चरल इकानोमिस्ट्स, ग्राम अर्थशास्त्र के आचार्यों ने अपनी पुस्तकों में यह लिखा है कि किसानों के लिए उनकी पैदावार की उचित कीमत मिलने का प्रश्न जमींदारी एबालिशन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्यादा महत्वपूर्ण है, कम है या बराबर है इसको छोड़ा जा सकता है लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है और हर सरकार का कर्तव्य होगा कि वह किसानों के साथ न्याय करे, अपने हित में, जनता के हित में, प्रदेश के हित में खाद्य समस्या को हल करने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए, विदेशी विनिमय को बचाने के लिए, औद्योगिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि किसान को उसकी पैदावार का उचित मूल्य दिलाया जाय। लेकिन आज तक सरकार इस काम को नहीं कर पायी है। अभी-अभी तिवारी जी ने यह सवाल उठाया था कि धान की कीमतें गिर रही हैं। धान की कीमतें कई क्षेत्रों में इतनी गिर गयी हैं कि जिससे निश्चित रूप से धान की पैदावार करने वाले किसानों को नुकसान हो रहा है। उनको मुनाफा होने के बजाय धान की खेती करना उनके लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है।

(व्यवधान)

मैं शुद्ध सत्य कह रहा हूं। मैं यह भी समझता हूं, शुद्ध सत्य कह देना अधिक अच्छा है। कड़ी भाषा के प्रयोग से कोई लाभ नहीं होता।

अभी जो बात माननीय हरिश्चन्द्र सिंह जी ने कही वह भी सही है कि बिचौलियों के मुनाफे को हटा कर जनता और किसान दोनों को फायदा पहुंचाया जाय। बिचौलिया यह करते हैं, हमारे देश की बैंकिंग व्यवस्था यही है, यही पूंजीवाद का रोग है कि बैंकिंग सिस्टम की वजह से फसलों के वक्त पैदावार की कीमत कम हो जाती है और गरीब किसानों को मजबूर हो कर कम कीमत पर बेचना पड़ता है। लेकिन जब गल्ला उनके बेचने के बाद बिचौलियों के पास पहुंच जाता है तो दुगने, ढाई गुने तक दाम हो जाते हैं। जैसा कि इस साल हुआ, जब कि फसल के वक्त गेहूं १४ रुपये मन था वही बाद में २८ और ३० पये मन तक बिका। धर्म के दूने हो गये, वास्तव में वह अधर्म के दूने थे। किसान दोनों तरफ से लुटता है। फसल के वक्त पर उस को कम कीमत दी जाती है और जब उसका गल्ला बिक जाता है तो उसीको वही गल्ला दुगने दामों पर मुश्किल से मिलता है। दोनों तरह से उसको नुकसान होता है। यही समस्या किसान की चाहे मकान हो, कपड़ा हो, सब के बारे में है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना को देखा जाय तो शहरों में मकान बनवाने के लिए ४० करोड़ रुपये का प्रबन्ध किया गया है लेकिन गांव वालों के लिए केवल १० करोड़ रुपये का प्रबन्ध किया गया है जहां छः लाख गांवों और तीन चौथाई जनता के लिए मकानों की समस्या कहीं अधिक है। इसी तरह से खाद्य, मकान और कपड़े की बात है। यही तीन चीजें जीवन की बेयर नेसेसिटीज हैं, लाजिमी तौर पर जरूरी आवश्यकतायें हैं। जब कपड़े की कीमत गिरती है तो सरकार फौरन विदेशों को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे देती है और सरकार पूंजीपतियों के साथ रियायतें करती है लेकिन अगर किसान की पैदावार की कीमत गिरती है तो कोई

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

भी प्रबन्ध नहीं किया जाता। उनका गल्ला सस्ते में जाता है। दूसरी तरफ मिलों से बना हुआ कपड़ा, या लोहा या मिट्टी का तेल सब की किसानों से मनमानी कीमत ली जाती है। दोनों तरफ से किसानों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। इसको दूर करने के लिए सब से पहले कदम यह उठाना चाहिये कि किसानों के गल्ले के मूल्य की उचित व्यवस्था कर दी जाय जिससे उनको अपनी पैदावार बढ़ाने की प्रेरणा मिले और खाद्य समस्या हल हो। मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरे प्रस्ताव को मंजूर करेगी। जो मूल प्रस्ताव है, उस को तो सरकार ने मंजूर कर ही लिया है कि स्टेट ट्रेडिंग इन ग्रेन करेगी। मैं आशा करता हूं कि सरकार जो भी खरीदारी करेगी, चाहे जिस एजेन्सी के द्वारा खरीदारी करे, वह उस नीति का अनुसरण करेगी लेकिन सब से पहले शर्त यह होनी चाहिए कि जो सरकार गल्ला खरीदे वह उचित दाम पर खरीदे जिस से किसानों को नुकसान न हो और उस गल्ले को पैदा करने पर उन को थोड़ा सा फायदा हो। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपने संशोधन को माननीय सदस्यों के स्वीकारार्थ रखता हूं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिवराज सिंह ने जो प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, मैं पालीवाल जी के संशोधन के साथ उसका समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हम ने अपने देश में समाजवादी समाज की रचना का निर्णय किया है तो यह प्रस्ताव उस तरफ ले जाने के लिए एक कदम है। हमारे देश की आबादी बढ़ती चली जाती है और प्रतिदिन १४, १५ हजार आदमी खाने के लिए पैदा हो जाते हैं। यदि इस खाद्य समस्या को सुलझाया न गया तो यह स्थिति और भी भयंकर रूप धारण कर लेगी।

इसके सुलझाने के दो ही तरीके हो सकते हैं, जैसा कि पालीवाल जी ने कहा कि हम को आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने खाद्यान्न का, जो हमारे यहां पैदा होता है, उसका उचित मूल्य किसान को दें और यह सरकार बिचौलिये को समाप्त कर दे। जो रुपया मुनाफे का बिचौलिये के पास जाता है वह किसान के पास जाय या सरकार के पास जाय।

श्रीमन्, खाद्यान्न की उन्नति के लिए ४, ५ चीजों की आवश्यकता होती है। जमीन, खाद, बीज, पानी और सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता या किसान अधिक खाद्यान्न उपजाने के लिए खुद अपने साधन जुटाये। श्रीमन्, अभी हमने देखा कि माननीय कृषि मन्त्री ने बड़े जोर से लेजिस्लेचर की मीटिंग बुलायी थी और उसमें भाषण दिया कि सब लोग मिलकर रबी आन्दोलन को सफल बनाओ। अपने क्षेत्रों में जाकर प्रचार करो और अगर बीज की आवश्यकता होगी तो बीज भी दिया जायगा। हम लोग अपने क्षेत्रों में गये और वहां पर देखा कि सरकार की तरफ से एन० ई० एस० और आई० डी० ब्लाक दोनों तथा और जो सरकार की एजेन्सी थी उनके जरिये से यह प्रचार किया गया कि बीज सब को दिया जायगा। श्रीमन्, आप स्वयं जानते हैं कि ३ साल से जो प्रदेश में दैवी विपत्तियों के कारण दुर्दशा हो रही है उस के कारण किसानों के पास खाने को अनाज नहीं है तो फिर बोने के लिए बीज उनके पास कहां? लेकिन जिस समय बीज का वक्त आया तो लोगों को बीज नहीं मिला। मैं श्रीमन्, स्पष्ट बताना चाहता हूं कि सैकड़ों बीघे जमीन बिना बोये ही रह गयी। उनको बीज नहीं मिल पाया। एक तरफ तो हम यह समस्या सुलझाने के लिए बात करते हैं और दूसरी तरफ .....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं आप जिले का नाम भी बतलाते चलें।

श्री नेकराम शर्मा---यह मैं अपने क्षेत्र की ही बात कह रहा हूं। अलीगढ़ जिले की बात मैं कह रहा हूं। दूसरे जिलों की बात तो मैं नहीं जानता लेकिन माननीय सदस्यों से बात-चीत करने पर मालूम ऐसा ही हुआ और इस सदन में प्रश्न किये गये उस से कुछ मालूम हुआ कि इसी तरह की सब जगह समस्या है कि बीज नहीं मिल पाया और काफी किसानों को आज परेशानी हो रही है। उसका सब से बड़ा दृश्य यह भी देखने में आया कि जिन के ऊपर तकावी बाकी है या पिता के पास जमीन है और उसके लड़के के ऊपर तकावी है तो उसको भी बीज

नहीं मिल पाया। सरकार चाहती है कि खाद्य समस्या हल हो तो इन नियमों में परिवर्तन करना पड़ेगा। इन तकावी के रूल्स को भी बदलना पड़ेगा। इसके जो कायदे और कानून बने हुए हैं उन को भी परिवर्तन करना पड़ेगा। यही नहीं हुआ बल्कि यह भी कहा गया था कि जहां पर वाटर लागिंग है वहां से पानी निकाला जायगा लेकिन अलीगढ़ जिले में ही नहीं बल्कि मथुरा जिले में भी आज तक पानी नहीं निकाला गया। प्रान्तीय सरकार के पास सरकारी कर्मचारियों के पास विधायक गये और हम लोगों ने भी प्रयत्न किया लेकिन वह पानी नहीं निकल पाया और अब वह जमीन बिना बोये ही रह जायगी। श्रीमन्, अभी पालीवाल जी ने बताया कि अरबों रुपया बाहर से अनाज मंगाने पर खर्च कर दिया जाता है। अगर किसानों को समय पर और काफी पानी मिल जाय तो खाद्य की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। जैसे गेहूं के लिए चार पानी की जरूरत है तो वह किसानों को समय पर मिलना चाहिए।

इस के साथ-साथ किसानों के पास जो पैदा होता है उसको बाजार में उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता। रूरल क्रेडिट सर्वे की रिपोर्ट के किसी अंश का भी सरकार ने पालन नहीं किया। उसमें सिफारिश थी कि किसानों से गल्ला खरीदा जाय और उस समय किसानों को कुछ रुपया दे दिया जाय और सरकार उस समय उसको अपने गोदामों में जमा करे। इस के बाद जब अच्छा मूल्य गल्ले का मिले तो उसका रुपया उसे बेच कर किसानों को दे दिया जाय। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और इसके बाद जो हमारे लिये सबसे ज्यादा डर की बात है वह हमारी लैंड पालिसी है। यह बड़ी अनसर्टेन है। सीलिंग की बात अभी तक तय नहीं हुई। इस संबंध में एक अनिश्चितता का वातावरण है। अगर एक बार एक बात तय हो जाय तो पता लग जाय कि कितनी जमीन किसके पास रहने वाली है। अगर किसान निश्चित हो जाय तो वह जम कर काम करे। उसको तो चकबन्दी से ही डर लगता है कि उसके खेत उसके पास रहेंगे भी या नहीं और इसी वजह से वह काम में अपना मन नहीं लगाता।

श्रीमन्, जैसा पालीवाल जी ने अभी कहा, अगर किसानों को कुछ राहत मिल जाय तो काम हो सकता है। सरकार ने मजदूरों का वेतन निश्चित कर दिया है, सरकारी कर्मचारियों पर हम अपने बजट का ५० करोड़ रुपया खर्च करते हैं, उनके वेतन नियत हैं, लेकिन किसानों के लिये कोई बात निश्चित नहीं है। यह भी नहीं है कि जब दूसरी चीजों का दाम इतना है तो गल्ले का दाम इतना रहेगा। ऐसी कोई योजना सरकार की ओर से नहीं आयी कि जिसमें अनुपात से गल्ले का दाम निश्चित होता।

श्रीमन्, कृषि विभाग सालों से काम कर रहा है और यदि उसकी उन्नति देखें तो पता चलेगा कि जहां सरकारी फार्म हैं उसके पास के किसान की खेती वैसी ही है। उसमें पहले के मुकाबले में किंचित मात्र भी परिवर्तन नजर नहीं आयेगा। तो जब तक पुराने ढांचे, तौर तरीके और नियमों को नये समाजवादी समाज को बनाने वाले सिद्धांतों की तहत में हम संशोधित नहीं करेंगे तब तक हमारी खाद्य समस्या हल नहीं हो सकती। श्रीमन्, आप ने देखा कि जब खाद्य संकट था तो भारत सरकार ने नियम बना दिया था कि गल्ले के होर्डर्स को बैंकों से रुपया नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने अपने घरों के आभूषण गिरवी रख कर रुपया लिया और गल्ला होर्ड किया और काफी रुपया कमाया। सरकार ने कोशिश की कि स्टाक्स को जब्त कर लिया जाय किन्तु उसको सफलता नहीं मिल सकी। हुक्म गये जिलाधीशों के पास, लेकिन स्टाक्स सीज नहीं हुये। इसका कारण क्या था? पता नहीं चला। सरकार इस प्रस्ताव को मान कर सरकारी एजेन्सी या कोआपरेटिव सोसाइटीज से गल्ला खरीदवाये और वह उचित मूल्य पर किसान से खरीदा जाय? जितनी और चीजें हैं उनके अनुपात से गल्ले का दाम निकाल कर, जिसे सरकार स्वयं निश्चित करे, गल्ला खरीदा जाय और अगर इतना गल्ला सरकार नहीं खरीद सकती तो इसकी व्यवस्था होनी चाहिये कि जितनी पैदावार हो उसका किसानों को २५ या ३० प्रतिशत रुपया दे दिया जाय और उसे सरकारी गोदामों में रख दिया जाय और जब गल्ले का उचित मूल्य मिले तो उसको बेच कर किसान को उसका रुपया अदा कर दिया जाय।

[श्री नेकराम शर्मा]

श्रीमन्, आप स्वयं जानते हैं कि शहरों की अपेक्षा देहातों में टैक्स अधिक है, जैसा कि पालीवाल जी ने कहा लेकिन उस पर खर्चा कम होता है । सरकार अगर इसी पर थोड़ा ध्यान दे कि किसानों का गल्ला उचित मूल्य पर खरीद ले तो किसानों की समस्या का बहुत हद तक हल निकल सकता है । इस वक्त गल्ला सस्ता हुआ है और खास तौर से धान । केन्द्रीय पार्लियामेंट में भी यह बात आयी है कि इस समय सरकार को गल्ला खरीद लेना चाहिये । लेकिन अगर देर की गयी तो जितने होर्डर्स हैं वे उसको खरीद लेंगे और सरकार जिस वक्त मार्केट में आयेगी किसानों के पास गल्ला नहीं रहेगा । और फिर हम स्थिति को बिगड़ने से बचा नहीं सकेंगे । इसलिये इस वक्त सरकार को सामने आकर गल्ले को खरीद लेना चाहिये । ताकि वह होर्डर के कब्जे में न जाने पाये ।

श्रीमन्, किसानों की वैसी हालत नहीं जैसा कि बयान की जाती है । यद्यपि गल्ला तेज है लेकिन अगर उसकी आर्थिक हालत को देखा जाय तो वह बहुत ही खराब है । आज वह एक बैल भी नहीं खरीद सकता । और उसके पास इतने साधन भी नहीं हैं कि वह दो साल के लिये गल्ला भी रख सके । सरकार को अपने नियमों में परिवर्तन करके उसको आर्थिक सहायता देनी चाहिये । सरकार जब तकावी देती है तो उसको ६-६ महीने तक वह नहीं मिल पाती और ५ से २० प्रतिशत तक उसको रिश्वत में देना पड़ता है । कई दफा इसी सदन में कहा गया कि नियमों में परिवर्तन होना चाहिये । अगर नियमों में परिवर्तन हो गया तो जो सुविधा उनको मिलने वाली है उनको न मिल पायेगी । और इस वक्त जो खाद्य समस्या हमारे सामने है उसमें सहयोग मिलेगा । इन शब्दों के साथ मैं उस संशोधित प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री शिवराज सिंह जी के प्रस्तुत प्रस्ताव और उसमें जो पालीवाल जी ने संशोधन उपस्थित किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, इस प्रस्ताव को मैं जिस रूप में समझ सका हूं वह यह है कि किसानों से उस भाव पर गल्ला लिया जाय ताकि उसको प्रोत्साहन मिले आज जो गल्ले का संकट है वह, और आज जो अधिक अन्न उपजाओ की योजना है, उसमें मदद मिल सके । मान्यवर, किसी भी बात को जब हम सदन के सामने रखते हैं या कोई विचार हमारे सामने आता है तो उसका कोई न कोई मापदंड अवश्य होता है । मैं मानता हूं कि खाद्य समस्या का विकट रूप है और उसके ऊपर इस सदन में कई बार कामरोको प्रस्ताव आ चुके हैं, सर्वदलीय कमेटी भी उसके बारे में बन चुकी है । मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि यह कोई माननीय मंत्री जी या पार्लियामेंट के द्वारा उपजाई हुई चीज नहीं है, यह समस्या तो बहुत पुरानी है । सन् १९४६ में सेंट्रल असेम्बली में लोगों ने यह मांग की कि किसानों का गल्ला जिस समय पैदा होता है उसी समय सही दामों में उसको खरीद लिया जाय । मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों से गल्ला उतने दामों पर लिया जाय जिससे उसको प्रोत्साहन हो, सरकार को भी नुकसान न हो, और खरीदने वाली जनता को भी कोई नुकसान न हो । इसके बारे में मैं आपका ध्यान केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा जो कमेटी २४ जून, १९५८ को बनायी गयी थी, उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं । उसके चेयरमैन श्री अशोक मेहता थे । उनकी रिपोर्ट के चेप्टर ५ की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि प्राइस स्टेबिलिटी आर्गेनाइजेशन होना चाहिये । उसके आगे उन्होंने कहा है :--

"The instability of food prices is also not likely to abate during the next few years. The strains and stresses of a growing economy cannot but continue to be reflected in the various types of price disparities that exist. Special measures will, therefore, be necessary for keeping such disparities within reasonable bounds."

यहां तक उन्होंने कहा है कि आने वाले सालों में भी हम एकदम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे । इसके लिये कुछ ऐसे मेजर्स लिये जांय जिनसे इनका कंट्रोल कर सकें और वे मेजर्स क्या हों, उस पर भी मैं

सरकार का ध्यान इसलिये आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे पास एक पैमाना है कि सरकार ने ही एक कमेटी बनायी थी, तो मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी इस कमेटी की सिफारिशों पर गौर करे तो यह फूड समस्या जो उत्पन्न हो गयी है उसका समाधान निकाला जा सकता है । आगे उन्होंने लिखा है :—

"We consider that to ensure a level of prices which would provide the necessary incentive to the producer with due regard to the interest of the consumer and the maintenance of reasonable cost structure in the country, as stated in our terms of reference, it is essential to set up such an organization and machinery for co-ordinated formulation of measures to be taken from time to time to this end, and implementation of the action proposed by way of market operations within the range of process and subject to the conditions determined."

इसके बाद जो उन्होंने प्राइस स्टेबिलाइजेशन बोर्ड के लिये रिकमेंडेशन किया है, उसको मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देता हूं:—

"We recommend, therefore, firstly, the setting up of a high-powered authority for the formulation of the policy for price stabilization in general and determining the programme for enforcing it from time to time and, secondly, the establishment of a suitable organization to execute that part of the policy and programme framed by this authority as may relate specifically to purchase and sale operations in the field of foodgrains."

मैं वही पढ़ रहा हूं जो फूडग्रेन से सम्बन्धित हैं ।

"The policy making body may be called the 'Price Stabilization Board' composed of representatives of the Ministries of Food and Agriculture...."

श्रीमन्, इसका मतलब है कि उन्होंने साफ कर दिया है और तमाम चीजों के बारे में जिस तरह से उन्होंने इस किताब में रिफरेंस दिया है कि विभिन्न स्टेट्स में प्राइस कंट्रोल करने के लिये देश भर में प्राइस स्टेबिलाइजेशन पालिसी एक होनी चाहिये । मान लीजिये, आज धान १० रुपये मन खरीदते हैं और खरीदते-खरीदते जब वह चावल का रूप लेता है तो दुगुने से ज्यादा उसकी कीमत बढ़ जाती है, २० रुपये मन से भी ज्यादा कीमत हो जाती है । सरकार को चाहिये कि वह कम कीमत पर खाद बांटने का इन्तजाम करे ताकि ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा हो सके । आजकल किसान चाहने पर भी ज्यादा से ज्यादा अनाज नहीं पैदा कर सकते हैं, क्योंकि आज जिनके हाथों में शासन की बागडोर है वे कहते तो हमेशा किसानों के बारे में ही हैं, लेकिन उनकी आवश्यकताओं की ओर उनका ध्यान नहीं जाता । तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि इस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सरकार की क्या पालिसी है, जिस समय वे उत्तर दें तो उसे भी अवश्य बतलावें ।

श्रीमन्, इसमें स्टेट ट्रेडिंग आफ फूडग्रेन की भी बात है । इस बात को मैं भी मानता हूं कि जब तक खेती की स्थिति ठीक न हो जाय तब तक हमारे यहां से गल्ला जो दूसरे सूबों में बाहर भेजा जाता है नहीं भेजना चाहिये । पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कि हमारे प्रधान मंत्री हैं, उन्होंने कांग्रेस मीटिंग की रिपोर्ट में इस बात को कहा है कि अशोक मेहता कमेटी की सिफारिशों को शीघ्र से शीघ्र लागू कर देना चाहिये । स्टेट ट्रेडिंग आफ फूड ग्रेन्स को लागू करने की बात कही जाती है और मैं समझता हूं कि पंडित नेहरू की जो पालिसी है उसको तो सरकार को मानना ही चाहिये । आशा है कि हमारे माननीय खाद्य मंत्री जी का नेहरू जी ने जो कांग्रेस के मेम्बरों से कहा है उसकी तरफ ध्यान जरूर जायगा । मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पंचवर्षीय योजना के अन्दर भी खाद्य समस्या की ओर जितना ध्यान देना चाहिये था नहीं दिया गया । मैं इस बात को मानता हूं कि सर्वदलीय समिति बन गई है लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि १२ साल की आजादी के बाद भी विरोधी दल इस बात के लिये लड़े कि प्राइस जो बढ़

[श्री प्रताप सिंह]

गई है उसको कम करना चाहिये। श्रीमन्, दूसरे मुल्कों में जनता को इस तरह का मौका नहीं मिलता और न वहां की पार्लियामेंट या असेम्बली में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये कोई प्रस्ताव ही आता है कि दाम बढ़ रहे हैं उनको कम करो या देश में अन्न की कमी है इसको बढ़ाओ। इसलिये हमको सोचना चाहिये कि वे कौन से तरीके हैं जिनसे हम अधिक अन्न को उपजा सकते हैं और फिर उसको मार्केट में ला सकते हैं।

जैसा कि नेकराम जी ने कहा सिंचाई के मामले में हमें गौर करना चाहिये। हमें पैसे की कमी पड़ती है। हमें दुख होता है कि हमारे वित्त मंत्री जी विदेश में पैसा लेने जाते हैं, लेकिन यहां पर सिंचाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं खाद्य मंत्री जी को यकीन दिलाता हूं और वे भी इस बात को जानते हैं कि अगर प्रदेश के सिंचाई विभाग और एग्रिकल्चर विभाग में कोआर्डिनेशन हो जाय तो जो समस्या खाद्य की दिन पर दिन बढ़ती जा रही है वह न बढ़ पाये। खाद बट जाय, बीज बट जाय, लेकिन अगर किसान के पास सिंचाई के साधन नहीं होंगे तो सारी मेहनत उसकी खत्म हो जायगी। तो मैं एक जिम्मेदार सदस्य के नाते कह सकता हूं कि हमारा उत्तर प्रदेश का इर्रीगेशन विभाग पूर्णरूपेण अपने कर्तव्य में असफल है। अगर इर्रीगेशन विभाग असफल है तो फिर खाद्य मंत्री सर से लेकर एड़ी तक पसीना बहा लें यह खाद्य समस्या हल नहीं हो सकती। इसलिये सिंचाई विभाग व कृषि विभाग का आपस में कोआर्डिनेशन किया जाय।

आज द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी एग्रिकल्चर को प्रधानता दी जा रही है। खेतिहर मजदूर की अहमियत १९५८ में मालूम हो रही है। मुझे गुस्ताखी के साथ कहना पड़ता है कि हमारे प्रधान मंत्री को भी १९५८ में एग्रीकल्चर की अहमियत का पता चला कि हिन्दुस्तान एक एग्रिकल्चरल कंट्री है और एग्रीकल्चर को बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिये, एग्रिकल्चर यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिये। लेकिन यह सब लांग टर्म्म प्लान है। अशोक मेहता जी ने शार्ट टर्म प्लान बताया है।

१२ साल की आजादी के बाद अगर किसी सरकार के सामने कोई जिम्मेदार आदमी यह कहता है कि फलां आदमी अन्न के बिना भूखा मर रहा है तो वह सरकार जिम्मेदार सरकार नहीं हो सकती। इसलिये मंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि भविष्य में वे इस किस्म का मौका न और इस समस्या के हल में हम लोगों का सहयोग भी प्राप्त करने की चेष्टा करें।

श्री गोविन्द सहाय (जिला बिजनौर)—अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रस्ताव के बारे में जो बहस हो रही है उसे काफी गौर से सुना और बहस को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि क्या वाकई यह बहस एक सही बात के ऊपर हो रही है और क्या वाकई उस के ऊपर सदन के कुछ घंटे खर्च करने की जरूरत है या नहीं? कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये प्राइसेज का ठीक होना जरूरी है। प्राइसेज जब ठीक होती हैं तब वे किसानों को प्रेरणा ेती हैं। लेकिन जो प्रस्ताव है उस पर मुझे ऐसा लगा कि बहस कम हो रही है और ग्रो मोर फूड पर बहस ज्यादा होने लगी। अन्न अधिक कैसे उपजाया जाय यह विषय इस समय नहीं है। विषय सिर्फ इतना है कि जब तक खाद्य का मसला तय नहीं हो जाता सरकार को कोआपरेटिव सोसाइटीज या अन्य सरकारी एजेंसीज के द्वारा खरीदने की व्यवस्था करनी चाहिये। यह चीज इस प्रस्ताव का मुख्य अंग है। इस बात पर ज्यादा जोर ने की आवश्यकता है। जो स्पीचेज मैंने सुनीं उनमें इस प्रस्ताव पर चर्चा कम है। इसलिये मुझे कुछ थोड़ा-सा बोलने की प्रेरणा हुई।

जहां तक कोआपरेटिव सोसाइटीज और गवर्नमेंट के खरीदने का सवाल है यह बात ठीक है कि प्लांड इकोनामी में सरकार का काम फैला करता है। आहिस्ता-आहिस्ता सरकार का रोजगार करने का, सरकार का लोगों के जीवन पर असर डालने का दायरा बढ़ता रहता है और प्राइवेट एंटरप्राइज का दायरा कम होता रहता है। सोशलिस्ट सिस्टम की यही विशेषता है कि उसमें पब्लिक सेक्टर बढ़ता है यानी सरकारी जिम्मेदारियां, सरकारी काम का फैलाव होता

है और प्राइवेट सेक्टर जो मुनाफे पर होता है उसका दायरा कम होता है । कुदरतन यह महसूस किया जाता है कि जहां ग्रो मोर फूड में, खाद्य समस्या में और बहुत सी अड़चनें हैं, जिनकी चर्चा मम्बरान ने की और सुझाव भी दिये, सुझाव हालांकि बड़े मुनासिब दिये, लेकिन कुछ मेरी समझ में नहीं आये । यह सही बात है एग्रिकल्चर और इर्रीगेशन का एक गहरा रिश्ता है । इससे कोई मना नहीं कर सकता । मगर महज इनके कोआर्डिनेशन से ही खाद्य का मसला हल हो जायगा यह बात नहीं है । सुझाव बहुत से हो सकते हैं, मैं बहस में नहीं जाऊंगा । कोआर्डिनेशन का मतलब एक दूसरे से सहयोग से है और आनरेबिल मेम्बर यह मान कर चलते हैं कि यहां अहयोग है । लेकिन मैं अगर यह मान कर चलूं तो मुझे बोलने का अधिकार ही नहीं है । तो मैं यह मानकर चलता हूं कि कोआर्डिनेशन है और ज्यादा इंटेग्रेशन होना चाहिये । जो मसला है वह यह है कि ग्रो मोर फूड के ऊपर बहुत से सुझाव दिये जा सकते हैं । मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा क्योंकि वह विषय नहीं है । इस वक्त विषय यह है कि क्या कोआपरेटिव सोसाइटीज़ का मेकैनिज्म जो है और सरकारी मेकैनिज्म जो हमारे पास है उसके जरिये अगर इस काम को करें तो जो मौजूदा स्थिति है क्या उससे स्थिति सुधर जायगी ? मेरा अपना ख्याल यह है, थ्योरिटिकली तो कोआपरेटिव सोसाइटीज का फैलाव उसूलन कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर जब हम इस बात को मान लें तो प्रेक्टीकेबिलिटी का सवाल आता है कि क्या मौजूदा हालात में हमारे प्रदेश के अन्दर कोआपरेटिव मेकैनिज्म ऐसा मेकेनिज्म बन गया है, उसकी जड़ ऐसी लोगों के अन्दर चली गयी है कि लोग उसका स्वागत करेंगे और वह उस नतीजे को दिखा सकेगा जो इस प्रस्ताव का मतलब है? यही एक व्यावहारिकता का सवाल आता है । मेरा खयाल यह है जो आनरेबिल मिनिस्टर साहब खामोश हैं वह इसलिये हैं कि बात तो सही है और व्यावहारिकता कहां तक सम्भव है इसका हिसाब-किताब लगाना पड़ेगा । इसलिये मैं समझता हूं कि इस रिजोल्यूशन को जहां तक पास करने का ताल्लुक है वह पास होना चाहिये, उसमें दो रायें नहीं हैं । मगर मैं यह नहीं चाहता कि सिर्फ रिजोल्यूशन इसलिये पास हो जाय कि यह मासूम रिजोल्यूशन है । इससे तो इसकी पोटेंसी खत्म हो जाती है । हम पास करें तो यह भी चाहते हैं कि इस मामले में कुछ प्रेक्टिकल कदम उठाये जायं । आज ही से फैलाव किया जाय । कोआपरेटिव मशीनरी से बातचीत की जाय कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं या नहीं ? इसी तरह से जो सरकारी एजेन्सी है, सरकारी एजेन्सी अच्छी बात है, लेकिन उसकी कार्य प्रणाली, दिल, दिमाग बदले बगैर खतरनाक परिणाम निकल सकते हैं । अगर सरकार किसी रोजगार को अपने कब्जे में कर लिया तो वह सोशलिज्म नहीं होता । अगर यह होता तो अंग्रेजों के जमाने में रेलवे इंडस्ट्री सरकार द्वारा चलती थी, लेकिन वह सोशलिस्टिक इंडस्ट्री नहीं थी । इसलिये मैं समझता हूं कि इस बारे में जो इस राय के हों, क्योंकि देश में आज कुछ इन बातों के बारे में गलतफहमियां हैं, कुछ अधकचरे खयालात हैं, बगैर उन्हें निकाले, वातावरण ठीक बनाये हम उनको चालू कर देते हैं । इसलिये मैं समझता हूं कि इस बात के ऊपर भी सरकारी एजेन्सी के बारे में काफी छानबीन होनी चाहिये । उसूलन मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं जानता हूं कि यह बात जो मैं कह रहा हूं शायद वह कुछ दोस्तों के गले से न उतरे क्योंकि वह केवल थ्योरिटिकल सोशलिज्म की बात जानते हैं और वह समझें कि यह बात मैं कैसे कह रहा हूं, लेकिन सोशलिज्म में मेरा एतकाद किसी से कम नहीं, बल्कि मेरा उसमें एक आर्टिकिल आफ फेथ है और उसका थोड़ा बहुत मुझे अनुभव भी है और उसी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि यह एक खतरनाक एक्सपेरीमेंट हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष---अब आप अपना भाषण बाद में जारी रखें, आप के दस मिनट रहे ।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री गोविन्द सहाय---उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि यह प्रस्ताव अपनी जगह इतना सीधा, सरल है और सही भी है कि इसकी मुखालिफत करने का कहीं प्रश्न नहीं

[श्री गोविन्द सहाय]

आता है। सिर्फ व्यावहारिकता के बारे में कुछ बातें कही जा सकती हैं इसीलिए और जो स्पीचेज यहां पर हुईं चाहे किसी नजरिये से समर्थन किया हो चारों ओर से इसका समर्थन हुआ है। मिसाल के तौर पर आदरणीय पालीवाल जी ने इसका समर्थन किया है, क्योंकि उनका खयाल है कि मौजूदा कांग्रेस शहरों में समाजवाद की ज्यादा चर्चा करती है, देहात में ले जाने से परहेज करती है और इस प्रस्ताव के समर्थन से उनका खयाल है कि समाजवाद का दायरा कुछ देहातों तक पहुंचेगा। इसी तरीके से दूसरे सदस्यों ने भी अपनी दलीलें दी हैं। मेरा सिर्फ नजरिया यह है कि इस प्रश्न पर दो तरीकों से गौर हो सकता है। एक तो उत्पादन खाद का कैसे बढ़ाया जाय। मेरा अपना खयाल था कि शायद इसके बारे में गुंजायश यहां पर बातें कहने की कम थी, लेकिन फिर जब मैंने गौर से इस प्रस्ताव को पढ़ा तो ऐसा लगा कि इस सिलसिले में भी कुछ कहना उपयुक्त ही होगा। मेरा यह विश्वास है कि जमींदारी अबालीशन के बाद जो कदम खाद उत्पादन के लिए संगठित तरीके से लिये जाने चाहिये थे वह हम नहीं ले पाये हैं और ८--१० साल का अनुभव भी यह बताता है कि हमारे लिए और चीजें भी जरूरी हैं और इंटीग्रेटेड तरीके से कदम बढ़ाना भी जरूरी है, वह भी उठाना चाहिए।

खाद में कई चीजों का नजदीकी रिश्ता है। जमीन, जमीन से लगाव, उसका अच्छा तैयार करना, बीज, पानी और प्राइस--ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। हमारी मौजूदा जो कार्य-प्रणाली है उसमें इन बातों को तो माना ही जाता है मगर हमारी मशीन अभी ऐसी नहीं बन पायी है जो इन सब चीजों का तजुर्बा करके किसान को फायदा पहुंचता हो। मिसाल के तौर पर जिस वक्त बीज की जरूरत होती है उस वक्त बीज नहीं पहुंच पाता, जिस वक्त पानी की जरूरत होती है उस वक्त दुश्वारियां पानी में हो जाती हैं। इर्रीगेशन पोटेंश्यल हो भी गया हो तो उसका उपयोग ठीक नहीं है। ये सब बातें इस बात को बताती हैं कि हमें अपना समय, मस्तिष्क इस तरफ लगाना चाहिए कि कैसे इन सब चीजों का एक इंटीग्रेटेड तरीके से फायदा उठाया जाय।

अभी सदन के माननीय सदस्य, नेकराम जी ने चर्चा की थी कुछ कायदे कानून की तब्दीली की। मैं स्वयं यह समझता हूं कि हमारा लोन देने का जो कायदा है, कर्जा और तकावी का, उसमें कुछ आमूल परिवर्तन करने की जरूरत है। अभी पुराने जमाने की तकावी का हमारा कंसेप्ट है वह नये हालात में फिट नहीं होता है। नये हालात में तकावी देने का सिलसिला भी जल्दी होना चाहिए। एक जगह जाकर हैरत हुई, खास कर गोंडा में कि एक किसान को सौ रुपये की तकावी लेने में ५० रुपये खर्च करने पड़े और जब वह ५० रुपये उसे मिले--यह मैं वह फैक्ट बता रहा हूं जो कहा हुआ नहीं है, सुना हुआ नहीं है--तो उसने डिप्टी साहब की मेज पर ले जा करके कहा कि "और बाकी सब का हिस्सा तो दे दिया, अब आखिरी कलम आप से लगनी है, अब जो आपका हिस्सा है वह आप ले लीजिये"। हंसी आती है। हम कभी अपने रूल्स का आपरेशन भी देखते हैं या नहीं कि उनके आपरेशन में कितनी कठिनाइयां होती हैं। उन सब में तरमीम करने की जरूरत है। इसी तरीके से ये बातें भी हैं। खाद जिस वक्त पहुंचनी चाहिये उस वक्त नहीं पहुंचती है यह किसी के कहने से नहीं होता कि डायरेक्टर या मिनिस्टर आफ ऐग्रीकल्चर या खाद्य मंत्री ऐसा चाहते हैं। यह जो हमको एक ढांचा मिला है, जो कार्य-प्रणाली मिली है उसको अभी हम जम कर तोड़ नहीं पाये, कुछ नयी बातें बना नहीं पाये और उसके लिये जरूरत है। अच्छे तरीके से विश्लेषण करने की। पैदावार के बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो और माननीय सदस्यों ने कहा है मैं उसका स्वागत करता हूं।

इसके साथ ही जो और चीजों की जरूरत है, जैसा मैंने इशारतन कहा कि उसके बारे में कुछ रौशनल तरीके से हमारे डिपार्टमेंट्स, उनकी कार्य-प्रणाली, उनके डायरेक्शन्स पर कुछ गौर करने की जरूरत है और मेरा खयाल है कि खेती का उत्पादन १५-२० फीसदी इम्प्रूव्ड टेक्निक से भी बढ़ाया जा सकता है। अगर आम किसान उनको अपना ले तो यकीनन

पैदावार बढ़ सकती है। मुझे यह कहते हुये जरा भी हिचक नहीं है कि जो रबी आन्दोलन इस बारे में हुआ उसने बड़ा भारी काम किया है। उसने किसानों के अन्दर नयी टेक्निक्स अपनाने की प्रवृत्ति जाग्रत की है और इस सब का जो तजुर्बा हासिल हुआ है उसका हमें फायदा उठाना चाहिये।

जहां तक मेम्बर्स ने दूसरी चीजें रखी हैं कोआपरेशन वाली, मुझे उसूलन उससे कोई मतभेद नहीं है। लेकिन मैं जरूरी यह समझता हूं कि कोआपरेशन को यह कार्य सौंपने के पहले उसकी कार्य-प्रणाली पर काफी गौर होना चाहिये। मौजूदा कोआपरेशन बेजान-सा होता जा रहा है। यह सही है कि कोआपरेशन ही एक ऐसा तरीका है जो प्राइवेट इंटर-प्राइज की जगह ले सकता है मगर उसके लिये काफी गौर की जरूरत है और मैं समझता हूं कि उसके बारे में जो हमारे कोआपरेशन मिनिस्टर हैं वे काफी प्रयत्न भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यह कहते हुये कि इसे एकदम कर दीजिये कुछ बहुत ज्यादा हिम्मत नहीं होती।

दूसरे जो सरकारी एजेन्सीज की बात इसमें की गयी है उस बारे में मेरा दिमाग कुछ बहुत ज्यादा साफ नहीं था तो प्रस्तावक महोदय से मैंने खुद पूछा कि आपका मतलब सरकारी एजेन्सीज से क्या है। उन्होंने मुझे बताया कि सरकारी एजेन्सीज जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं उनको भी बनाया जा सकता है। बहरहाल, उसूलन मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि जो मौजूदा ढंग गल्ला वगैरह खरीदने का है और जो इंटरमीडियरी वगैरह एकदम से प्राइसेज को नीचे गिरा देते हैं और आखिर में दाम बढ़ जाते हैं इस ढंग से हमें अपने को निकालना है। यह ढंग किसानों के अन्दर काफी बेचैनी पैदा करता है।

इन मुख्तलिफ नजरियों से जो इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया है मैं आशा करता हूं कि इसके पास करने से कम से कम इतना लाभ तो अवश्य होगा कि हमारा ध्यान उत्पादन और उसके वितरण दोनों पहलुओं की तरफ जायेगा और कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे हम मौजूदा खाद्य संकट के ऊपर विजय प्राप्त कर सकें।

*श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं अपने संशोधन को पेश कर सकूं। आपकी आज्ञा से मैं संशोधन पेश करता हूं कि संकल्प की पंक्ति दो में शब्द 'गल्ला' तथा शब्द 'कोआपरेटिव' के बीच में शब्द 'निश्चित उचित दर पर जिसकी घोषणा फसल बोये जाने के दो मास पूर्व ही कर देगी' रख दिये जायं।

श्रीमन्, जब इस संकल्प को हम लेते हैं तो हमारे सामने दो सवाल खड़े हो जाते हैं क्योंकि संकल्प में सब से पहले शब्द "आत्मनिर्भर" का है। तो इसका तात्पर्य जो प्रस्तावक महोदय का है वह यह है कि इससे देश आत्मनिर्भर हो जायगा अगर्चे कोआपरेटिव सोसाइटीज से और सरकारी एजेन्सीज से गल्ला खरीदा जाय। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में कब्ल इसके कि मैं अपने संशोधन के विषय में कुछ कहूं मैं प्रस्ताव के अंश पर एक सिंहावलोकन करना चाहता हूं जिससे हम समझ सकें कि इस प्रस्ताव का मंशा क्या है और यह हमें कितनी दूर ले जायगा? अगर इस प्रस्ताव को हम देखें और पिछले अनुभव से जो हमें हुआ है उससे लाभ उठाना चाहें तो हम देखेंगे कि सरकारी एजेंसी से गल्ला खरीदने में हमें कोई फायदा नहीं होगा। श्रीमन्, १९४९ में जब सरकार बनी थी और गल्ला वसूल हुआ था तो उस समय किसानों को १० रुपये मन गल्ला बेचना पड़ा था और प्रीमियम वगैरह मिलाकर १२ रुपये मन के हिसाब से किसानों को दाम मिला था। लेकिन बाद में वही गल्ला सरकार को २९ रुपये कुछ आने मन पड़ा था। श्रीमन्, इस तजुर्बे के बाद भी हम इस चीज को दुबारा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

करें तो मेरी समझ में नहीं आता है कि हम सफल कैसे होंगे और किस तरह से हमारा काम चलेगा ? माननीय प्रस्तावक महोदय ने इसमें कोई ऐसी चीज नहीं रखी और इसको ऐसे शब्दों से मजबूत नहीं किया कि इस तरह का यदि खतरा आये तो वह खत्म हो जाय ।

दूसरी बात यह है कि आत्मनिर्भर शब्द से हमें मोह उत्पन्न नहीं होना चाहिये, हमें आत्मनिर्भर बनना है इसलिये इसका समर्थन कर दें बल्कि हमें यह भी देखना होगा कि किन नियमों से हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं और कौन-कौन सी प्रवृत्तियां तथा साधनों से हम किसानों को प्रेरित कर सकते हैं कि वह ज्यादा गल्ला पैदा करने लगें । इस दृष्टि से जब हम, इस प्रस्ताव को देखते हैं तो हमें निराशा होती है । कोई ऐसी बात नहीं है कि सरकारी एजेन्सी या कोआपरेटिव सोसाइटीज से गल्ला खरीदने से हम आत्मनिर्भर हो जायेंगे । यदि ऐसा होता तो १९४९ में ही हम आत्मनिर्भर हो गये होते आत्मनिर्भर होना तो दूर रहा हम उससे भी नीचे चले गये हैं । तो यह सत्य है कि इससे हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं ।

श्रीमन्, बात यह है कि जो सरकार पैदावार नहीं बढ़ा पा रही है उसके लिये चाहे वह सूखा और बाढ़ का बहाना ले लेकिन इसके साथ ही साथ बात यह है कि आज सरकार का दृष्टिकोण बिगड़ गया है और सरकार किसानों की मेहनत को नहीं देखती है जो वह दिन रात अकथ मेहनत करके अनाज पैदा करते हैं, लेकिन उनको उसकी उचित कीमत नहीं मिलती है तो उनका दिल टूट जाता है । एक उदाहरण श्रीमन्, इसी फसल का यह है कि धान जब पका तो ९–१० रुपये मन बिका था । अब जबकि फसल निकल गई किसान के घर से चावल चला गया १८, १९, २० तथा २२ रुपये मन के हिसाब से चावल बिका और हमारी सरकार ताकती रही । मैं नहीं समझता हूं कि ऐसी दशा में किसानों को प्रोत्साहन कैसे मिल सकता है ? इस प्रस्ताव में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे इस चीज को रोका जा सके । मान लो सरकार ट्रेडर बन जाय तो सरकार के काम में खराबी होती है और प्राइवेट ट्रेडर मुनाफा देखकर काम करता है । जिस तजुर्बे को हम कर चुके हैं यदि इसको पास कर दिया जाय तो एक तरफ तो देश का नुक्सान होगा और दूसरी तरफ किसानों का भी नुक्सान होगा । अब यह ट्रेडिंग करने वाली सरकार हो गई और जिस भाव पर ठीक समझे वह बेचे और तय कर दे । सरकार के ऊपर कोई किसी तरह की पाबन्दी नहीं है । अब मुसीबत यह है कि यह प्रस्ताव पैदावार बढ़ाने के बारे में जरूर है, लेकिन हम यह देखते हैं कि इस प्रदेश के अन्दर पैदावार की चीजों में और जो बाजार की चीजें हैं उनमें कोई सन्तुलन नहीं है । किसानों के घर में जो चीज पैदा होती है उसकी रक्षा करने के लिये कोई सुविधा नहीं है । जब सरकार ही उनके हित का खयाल नहीं करती तो फिर उनका हित कैसे सुरक्षित हो ? किसान को और यह भी परेशानी है कि जो सामान जरूरी वह खरीदता है उसके ऊपर भी कोई नियन्त्रण नहीं है ताकि उसको कुछ आसानी हो । यह कांग्रेस सरकार समाजवाद के समाज की रचना करना चाहती है, लेकिन उसके लिये पहले कोई साधन संचित नहीं करना चाहती है । जब अनाज के लिये किसी इन्तजाम का जिक्र आता है या योजना बनती है तो यह सरकार किसानों के गल्ले को सस्ता करने का प्रयत्न करती है । कानपुर में इतने मिल बन्द हैं, लेकिन सरकार ने उनके कपड़े का कुछ प्रबन्ध नहीं किया है कि कितना वह पैदा करते हैं और कितना मुनाफा लेते हैं । इसके लिये सरकार कुछ नहीं करती है । इस सरकार ने कभी इस बात का भी प्रयत्न नहीं किया है कि एक मन गेहूं के पैदा करने में कितना रुपया व्यय होता है, अलाभकर जोत से एक मन पर क्या खर्च होता है और लाभकर जोत से कितना पड़ता है ? इसको सरकार ने कभी नहीं सोचा है कि उसकी कास्ट प्राइस क्या पड़ती है । जब सरकार ने इस तरह की बातों को नहीं सोचा है तो यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि जब यह किसानों से गल्ला खरीदना शुरू करेगी तो उनके साथ बिल्कुल इन्साफ नहीं कर सकेगी और बेचारे किसान कुचले जायेंगे । इसलिये इस प्रस्ताव में जो बातें कही गई हैं उनसे मुझे खतरा है । इस प्रस्ताव से यही बात नहीं है कि कोआपरेटिव की एजेन्सी से पर्चेज शुरू कर दे । साथ ही साथ हम यह देखते हैं कि

किसानों को यह भी गारन्टी नहीं है कि उनका गल्ला फलां भाव पर खरीदा जायगा। जो सरकार के प्रवक्ता आंकड़े बना देंगे कि इतना भाव आकर बैठता है तो उसी भाव पर सरकार गल्ला खरीदने लग जायगी। १० साल या २० साल पहले की सन्तुलित प्राइस का कोई सवाल नहीं है। हमने सन् १९४९ में देखा कि जो किसानों को गल्ले की कीमत दी गई वह सरकार ने मनमाने ढंग पर तय कर दी और उस मनमाने ढंग पर सरकार ने गल्ला खरीदा। उससे किसानों को बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ा। यह कठिनाई है। सरकार किसानों के गल्ले के भाव का कोई भी नियन्त्रण नहीं करती जिससे उनको काफी नुकसान होता है। अभी किसानों ने अपनी रबी की फसल बोई है, लेकिन उस फसल के लिये किसानों को यह मालूम नहीं है कि उनका गेहूं किस भाव बेचा जायगा।

यदि इस बात पर ध्यान दिया जाय और सदन के सभी सदस्य इस पर विचार करें तो उनको मालूम होगा कि पिछले १०-२० साल के अन्दर जिस चीज का भाव तेज रहा है और जिसके बोने में ज्यादा किसानों को मुनाफा हुआ है उसकी पैदावार ज्यादा होने लगती है। मान लीजिये कि गन्ने की फसल है। यह गन्ने की फसल पिछले १० व २० साल के अन्दर दुगुनी हो गई है और उत्पादन भी उसका बहुत अधिक बढ़ा है। इसलिये गन्ने की खेती सब से ज्यादा लाभकर इस समय है। अगर कोई लाभ की जोतवाली फसल हो सकती है तो वह गन्ने की फसल है। इसी तरह से तिलहन की फसल है। पिछले एक साल से जब ज्वार और बाजरे का दाम गिरा और उसमें लाभ कम हुआ तो उन्होंने तिलहन की खेती ज्यादा करना शुरू कर दिया और तिलहन की पैदावार ज्यादा बढ़ गई। इस वजह से जब मैं इस बात को देखता हूं तो समझ में नहीं आता कि कौन सी ऐसी परेशानी है जिससे यह सरकार तय नहीं कर सकती कि किस पैदावार को बढ़ाये।

रबी आन्दोलन की बात कही गयी। खरीफ आन्दोलन की बात माननीय मन्त्री जी ने कह दी। मैंने सवाल तो दूसरा पूछा था कि जैसे पिछले सालों में खाद नहीं बंटती थी तो लोगों ने किसानों को खाद-माइन्डेड बनाया और ऐसा करके जिस जिले की पैदावार बढ़ी है उस जिले के अफसरों के लिए कुछ होना चाहिए, लेकिन उस के बजाय उन्होंने गाना शुरू कर दिया कि यह वृद्धि तो रबी और खरीफ आन्दोलन का परिणाम है। मेरा खयाल है कि माननीय मन्त्री जी जब से यहां हैं तभी से यह आन्दोलन चले हैं, उसके पहले नहीं थे, लेकिन मैं आप को यह भी बताना चाहता हूं कि अन्तरिम परिषद् में मैंने देखा, वहां रबी आन्दोलन की बड़ी तारीफ की जा रही थी कि उसी से प्रोत्साहित होकर यह सब काम हो रहा है। अपने और दूसरे जिलों में मैं घूमा हूं और मैंने पाया कि खरीफ आन्दोलन तो बिल्कुल बेकार है, उस से कोई फायदा नहीं। जिस चीज को बताने के लिए तमाम पैसा खर्च किया गया उसे सब किसान पहले से ही जानते थे। धान खूब बोने की बात बतायी गयी, लेकिन उस के लिए उस को पानी नहीं दिया गया। कहा गया कि गंगा जी में पानी इस लिए नहीं है कि अब की बरफ कुछ कम पिघली गर्मी कम पड़ने के कारण। इस वर्ष गर्मी सब से ज्यादा पड़ी, लेकिन इन्जीनियर लोग कहते हैं कि बरफ नहीं पिघली। यह हमारे किसानों को बच्चों की तरह से बहलाते हैं। रबी आन्दोलन को देख कर भी मुझे बड़ी हंसी आयी। प्रचार हो रहा था कि गेहूं ७५ हजार एकड़ बोया जायगा। अगर यह प्रचार होता कि गेहूं को फैला कर बोना चाहिए तो ठीक होता। उसकी प्रथा हमारे यहां नहीं है और उससे पैदावार कम होती है। रबी आन्दोलन में यह भी बड़े गौरवपूर्ण शब्दों में कहा गया कि गेहूं बोने से पैदावार बढ़ती है। जो काम किसान पुश्तहापुश्त से करता चला आ रहा है उसको यह बात बतलाने की आवश्यकता नहीं। प्रचार तो इतना लेकिन बीज नदारद। जिला परिषद् में हमारी तरफ से ही नहीं, उधर के लोग भी थे, उनकी ओर से प्रस्ताव आया कि किसानों को बीज नहीं प्राप्त हो रहा है और इस लिए वह फसल बोने में असमर्थ हैं। गेहूं तेज है, बोने के लिए कौन खरीदेगा? जहां गेहूं बोया जाने वाला है वहां वे लाही आदि बो देंगे। इस तरह से किसानों के पास न बीज है और न पानी, लेकिन

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

रबी और खरीफ आन्दोलन चल रहे हैं। इस से क्या फायदा है ? उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो एक मिनट और दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष--आप के १३ मिनट हो चुके हैं। १५ मिनट का नियम है, आप के दो मिनट बाकी हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा--दो मिनट इसके अलावा और दे दें। वैसे मैं संक्षेप में कहने का प्रयत्न करूंगा। तो मैंने जो संशोधन रखा है उस में सरकार के ऊपर कोई पाबन्दी नहीं है। पैदावार निश्चित रूप से बढ़ाने के लिए दो बातें अनुभव सिद्ध हैं। खरीदारी का सवाल गड़बड़ है। मूल्य नीति खास बात है। फसल बोने के दो महीने पहले अगर किसान को मालूम हो जाय कि गेहूं इस मूल्य पर बिकने वाला है, अगर सरकार अगस्त के महीने में घोषणा कर दे कि गेहूं २० या २२ रुपये मन बिकेगा, तो निश्चित है कि गेहूं बहुत ज्यादा एकरेज में बोया जायगा। कनाडा से २३ रुपये मन में गेहूं सरकार खरीदती है और पौने पांच रुपये का खर्च लगाकर उसे करीब २८ रुपये मन में बेचती है? लेकिन किसानों से फसल के मौके पर वही गेहूं १४ और १५ रुपये मन में खरीदा जाता है और उसके बाद २४, २६ और २८ रुपये में बेचा जाता है। तो इससे किस तरह से पैदावार बढ़ सकती है। रबी और खरीफ आन्दोलन चलाने से एक मन पैदावार भी नहीं बढ़ेगी। अगर पैदावार बढ़ानी है तो किसान को उसकी मेहनत का पैसा दिया जाय और उसका तरीका यही है कि फसल के पहले एलान कर दिया जाय कि इतने रुपये मन गेहूं बिकेगा। इतना रुपये का बेझड़, चना, यह सब बिकेगा और अगर इन भावों पर बाजार में खरीदने वाले न हों तो सरकार उसे खरीदेगी। सोशलिस्ट पार्टी ने बार-बार कहा है कि एक आने सेर से ज्यादा का अन्तर कभी उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। इस पालिसी पर काम किया गया होता तो अधिक अच्छा होता।

*श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत है उसकी कुछ मूलभूत भावनाओं से मैं पूर्णतया सहमत हूं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि किसान को उसके परिश्रम और उत्पादन का उचित मूल्य मिलना चाहिए। मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि इस पद्धति में मध्यवर्ती लोगों के कारण किसान को जो उचित मूल्य नहीं मिलता है, उसकी कीमतों में जो उत्तरोत्तर स्पेक्युलेशन होता है उसका सरकार द्वारा निराकरण होना चाहिए। मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि खाद्य समस्या को हल करने के लिए आवश्यक है कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में उपयुक्त स्टैबलाइजेशन किया जाय, यानी प्रारम्भ की कीमतों में जब कि खाद्य पदार्थ बाजार में आते हैं और अन्त में जो उनके दाम होते हैं उनमें इतना अन्तर नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता, जैसा कि मेरे एक माननीय मित्र ने इस सदन में कहा, कि गल्ले का कार्य जो लोग भी करते हैं वे सब बेईमान और चीट्स हैं। श्रीमन्, हमें इस प्रदेश में एक व्यवस्था कायम करनी है और उसमें यह है कि हम कोआपरेटिव सोसाइटीज का और उत्पादन और विभाजन के साधनों का उचित संगठन करें। मुझे खेद है कि इस ५० वर्ष के प्रयत्न में जो कि सहकारिता समितियों के सम्बन्ध में हुये हैं देश को कुछ अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई। मैं उसके लिए आपके सम्मुख एक बड़े अधिकारी की राय रखना चाहता हूं, वह श्री एम० पी० भार्गव हैं जो एडिशनल कोआपरेशन कमिश्नर हैं। उन्होंने जो इस सम्बन्ध में कहा है और रूरल क्रेडिट सोसाइटी की कमेटी ने जिसका उल्लेख किया है उस के कुछ शब्द मैं आप के सामने पढ़ देना चाहता हूं--

"The Rural Credit Survey Committee which examined this problem in 1954 observed that there was eventually no effective alternative to a co-operative form of institution, at any rate, at the village level for dealing direct with the cultivators and that in this sense, the main requirement

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

was to strengthen its structure, increase its financial resources and extend its membership so as to cover a much larger section of the rural population."

श्रीमन्, उन्होंने यह बतलाया कि यह आवश्यक है कि हमें किसी भी प्रकार अन्न के उत्पादन की समस्या को हल करने के लिए सहकारी संगठन को ठीक करना है। लेकिन साथ ही उस में यह भी बतलाया है कि ५० साल के प्रयत्न के बाद हम उसमें जितनी आवश्यकतायें हैं उन में तीन प्रतिशत भी कार्य नहीं कर सके हैं। तो मैं आप से कहना चाहता हूं कि जहां तक कोआपरेटिव सोसाइटीज का सम्बन्ध है मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि किसानों की कोआपरेटिव सोसाइटीज बननी चाहिये जो उत्पादन के विभिन्न तरीकों में योग ही न दें, बल्कि उसके मार्केटिंग में भी उचित कार्य करें और मध्यवर्ती स्थिति को निकाल कर किसानों का आवश्यक लाभ उन्हीं तक वापिस पहुंचा दें। श्रीमन्, जहां मैं इस बात को स्वीकार करता हूं वहां मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि यदि हम ५० साल में सहकारी साधनों के संगठित करने में असफल रहे हैं या असमर्थ रहे हैं तो हम उन सब साधनों का सरकारीकरण करें। केन्द्रीयकरण से जो समस्यायें इस देश में उठती हैं वे हमने कन्ट्रोल के समय अच्छी तरह से समझी हैं। एक वेस्टेड इन्टरेस्ट इस मुल्क में है जो कि मध्यवर्ती लोग हैं। लेकिन मैं उसकी जगह सरकारीकरण को नहीं देना चाहता हूं। क्या यह बात सही नहीं है कि उन लोगों ने लाखों रुपया कन्ट्रोल के समय कमाया जिनके पास कन्ट्रोल की व्यवस्था थी? जब हम शासन के विकेन्द्रीयकरण की बात करते हैं तो हम किस तरह से यह कहते हैं कि हमको इसका केन्द्रीयकरण करना चाहिए? सब से अधिक मेरा यह विरोध जो यह सरकार की एजेन्सी बनाने की बात कही जाती है, उससे है।

एक बात आप के द्वारा मैं और सदन के सामने रखना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार ने स्टेट ट्रेडिंग के सम्बन्ध में कुछ विचार प्रस्तुत किये। अभी हमने उन के बारे में सर्वे नहीं किया है और हम को यह भी नहीं मालूम है कि स्टेट ट्रेडिंग में हमको कितने आर्थिक साधनों की आवश्यकता होगी। जो समाजीकरण की बात कहते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं अपने जीवन में सोशलाइजेशन के सिद्धान्तों में सच्चाई के साथ विश्वास करता रहा हूं और मैंने इस सदन में बड़ी इंडस्ट्रीज के विरुद्ध काटेज इन्डस्ट्रीज के कार्यों को हमेशा आगे रखा और फैक्ट्स फाइन्डिंग कमेटी में भी मैंने बड़े-बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट्स का अकेले सामना किया और उनकी डिसप्लेजर्स बरदाश्त की हैं। तो मैं सोशलिज्म चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मध्यवर्ती लोग हट जायं, लेकिन मैं उस मध्यवर्ग के लोगों को, सब को, बेईमान और चीट नहीं कहूंगा। मैं जानता हूं कि कुछ स्पेकुलेटर्स हैं जो उससे अनुचित लाभ उठाते हैं। मैं तो गवर्नमेंट से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जितने भी स्पेकुलेटर्स हैं उन को इस देश से बिल्कुल हटा ही देना चाहिए। लेकिन ऐसे भी बहुत से ही नहीं हजारों आदमी हैं जो एक पैसे रुपये पर काम करते हैं। मैं उनको कभी भी चीट नहीं कह सकता। मैं तो चाहता हूं कि स्पेकुलेशन को कम से कम ग्रेन्स पर शासन कानूनन बन्द कर दे।

श्रीमन्, मैं आप से निवेदन करना चाहता था कि आज हमारे प्रदेश में ही नहीं देश में एक बड़ी भारी बात मुझे नजदीक आती दिखायी पड़ रही है। देश में ही नहीं दुनिया में खाद्य समस्या एक विकट रूप में प्रस्तुत होगी। दुनिया में तीन करोड़ आदमी प्रतिवर्ष बढ़ रहे हैं, उन के लिए खाद्य की समस्या हमारे सामने है। माननीय पालीवाल जी ने कहा कि हमारे इतने प्रयत्न हुए, लेकिन खाद्य की समस्या घटती हुई दिखायी नहीं दी, वह ज्यों की त्यों है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि इन १०-११ वर्षों में कितनी आबादी बढ़ी है और उन के लिए कितनी खाने की सामग्री की आवश्यकता हुई है। एक बात मैं आप से कह देना चाहता हूं कि हमारी भूमि जो बिना खेती के पड़ी हुई है उस की तादाद बहुत ज्यादा नहीं है। एक दिन ऐसा आयेगा, जब हमें कोई नयी भूमि हल के नीचे लाने के लिए नहीं मिलेगी। उस समय खाद्य समस्या का एक ही हल हो सकता है और हमारे देश में काफी उस की गुन्जाइश है और वह यह है कि हमारा प्रति एकड़ जो उत्पादन है उसको बढ़ाया जाय।

[श्री देवकीनन्दन विभव]

श्रीमन्, मुझे खेद है कि जहां हमारा ओवर आल ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ा है वहां इन १०–११ सालों में प्रति एकड़ पैदावार में कमी हुई है। तो हमें इस समस्या को सुलझाना है। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि इस पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए। मेरा खयाल है कि इस ओर बहुत से प्रयत्न हुए हैं और सरकार भी इसको करने के लिए इच्छुक है' लेकिन इसका हल हमें अमेरिका से प्राप्त नहीं हो सकता, रूस से भी प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि वहां आबादी कम है और भूमि ज्यादा है। हमारे यहां इस से उल्टा है इस लिए वहां की अर्थ-व्यवस्था हमारे देश के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं चाहता हूं कि इन समस्याओं पर पीसमील विचार नहीं होना चाहिए। बिना योजनाबद्ध विचारों के प्रयत्न किये हमें सफलता नहीं मिल सकती।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह (जिला गोंडा)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वास्तव में आपका बहुत आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर आपने मुझे कुछ शब्द कहने के लिए अवसर दिया। यह प्रस्ताव, मैं तो यह सोचता था और इन्तजार करता था कि हमारी सरकार की ओर से आयेगा और सरकार इसको विधेयक के रूप में हम लोगों के सामने प्रस्तुत करेगी। आज खाद्य उत्पादन के लिए कितने आन्दोलन चल रहे हैं, अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन चला, रबी आन्दोलन चला, खरीफ आन्दोलन चला, मगर उसका नतीजा क्या हुआ यह सारे देश को मालूम है। श्रीमन्, इसका मुख्य कारण यह रहा है कि अधिक अन्न उपजाओ का जो मुख्य अंग है उस तरफ सरकार ने बिलकुल ध्यान नहीं दिया। सरकार हमेशा इस बात के लिए उदासीन रही और उसने किसानों को विशेष लाभ पहुंचाने के लिए और उन की आर्थिक दशा की उन्नति करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। इस सदन में यह पहला कदम है जो अधिक अन्न उपजाओ के मुख्य उद्देश्य के लिए यह प्रस्ताव आया है और मैं अपने प्रस्तावक महोदय को बहुत बधाई दूंगा कि आज उन्होंने यह प्रस्ताव लाकर सदन में हम लोगों को अवसर दिया कि हम सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करें और वह इसको स्वीकार करे। माननीय पालीवाल जी ने जो संशोधन रखा है उसका मैं बड़े जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूं क्योंकि जब तक वह संशोधन पास नहीं होता, यह प्रस्ताव बिल्कुल बेकार रहता है।

श्रीमन्, जैसा कि मैंने कहा, आप देखें कि अभी तक अन्न की उपज बढ़ाने के लिए जो प्रयत्न किया गया वह केवल जबानी ही रहा जिस से किसानों को कोई प्रेरणा नहीं मिली। इस सदन में मैं रूस का उदाहरण दिया चाहता हूं कि उसने अपनी खेती की तरक्की के लिए रिवोल्यूशन होने के बाद नये-नये साधनों को अपनाया, नये तरीके से उन्होंने खेती की। तो सन् १९५३ में श्री ख्रुश्चेव साहब ने, जो कि आज वहां प्राइम मिनिस्टर हैं, एक जगह फर्माया था कि "Farmer alone had the key to increase production." उन्होंने स्वीकार किया कि रिवोल्यूशन के पहले जो उत्पादन था उस से उत्पादन में बढ़ती नहीं हुई है। असल में तो कम ही हुई थी लेकिन उन्होंने यही कहा कि बढ़ती नहीं हुई है। उन्होंने सब तरीकों को अपना कर ेख लिया और उन्होंने महसूस किया कि कृषक वर्ग में उत्साह होना चाहिये, जब तक उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता तब तक कृ का उत्पादन नहीं बढ़ सकता है। सलिए उनको इन्टेंसिव ने के लिए जो ज्यादा टैक्स का बोझ था उसे कम किया गया है, प्राइस का फिक्सेशन किया गया है, और कृषि उत्पादन के दाम में बढ़ोतरी करके और भी सुविधायें दी गयी हैं और आशा है कि इससे उनका प्रोडक्शन जरूर अच्छा हुआ होगा। जब वहां के प्राइम मिनिस्टर श्री मेलेन्कोव साहब थे तो फरवरी, १९५५ में एक जगह उन्होंने फरमाया था, जिसके दो-चार शब्द मैं पढ़ देना चाहता हूं:

"I am conscious of my inadequate experience and I see clearly my guilt for shortcomings in agriculture, since I took responsibility in that direction."

उन्होंने कहा था कि कृषि के उत्पादन में तब तक सफलता नहीं मिल सकती है जब तक कि किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई साधन न अपनाये जायं। आज हमारे यहां की हालत तो यह है कि किसानों की तरफ से सरकार भी उदासीन है। जब तक उनको प्रोत्साहन देने के लिए कोई नये साधन नहीं अपनाये जाते हैं तब तक कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ सकेगा।

श्रीमन्, कहा जाता है कि पिछले ९ वर्षों में किसानों की उपज में २० फी सदी का इजाफा हुआ है। लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से जो पुस्तिका मिली है उस में लिखा है कि सन् १९४८ में रूरल इन्कम १९१·२ था और शहरी इन्कम ५५५·७ था। और आज १० वर्षों के समाजवादी ढांचे के बाद किसानों की दशा कुछ गिरी है और शहरी इन्कम ७०२·६ हो गयी है। इस से स्पष्ट है कि सरकार किसानों को शहर वालों के हित के लिए तीसरा बैल बना कर प्रयोग करना चाहती है कि वह अन्न उपजाता जाय, शहर वालों के लिए वह सब कुछ करता रहे और उसके पास सिवा लंगोटी के कुछ न रहे। लेकिन किसान अब इसको समझने लगा है। आज उससे कहा जाता है कि फर्टिलाइजर छोड़ो, सुपर फास्फेट छोड़ो, लेकिन जिस दिन किसान समझदार हो जायगा, बुद्धिमान हो जायगा उस दिन वह यह समझेगा कि हम ये चीजें क्यों छोड़ें, और क्या करें पैदावार को बढ़ा कर जब कि दाम तो उसको उतने ही मिलने हैं। पैदावार ज्यादा होती है तो दाम भी गिर जाते हैं, और जब पैदावार कम होती है तो दाम भी बढ़ जाते हैं। मैं यह निराधार नहीं कह रहा हूं। एकनामिक ऐन्ड स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों से कह रहा हूं कि जब-जब गल्ले की पैदावार घटी है तो दाम भी बढ़े हैं और जब-जब प्राइसेज बढ़ी हैं तो प्रोडक्शन भी बढ़ा है। लिहाजा जब तक किसान को अच्छे दाम नहीं मिलेंगे तब तक गल्ले की पैदावार बढ़ नहीं सकती। किसानों को जब तक अच्छा लाभ नहीं मिलेगा तब तक हरगिज पैदावार नहीं बढ़ सकती। ज्यों-ज्यों किसान को अपने अधिकार मालूम होते जायंगे त्यों-त्यों किसान इस चीज को समझेगा। आज इन्डियन कौंसिल आफ ऐग्रीकल्चर की तरफ से इस बात का रिसर्च हुआ और उन्होंने अनुसंधान से यह नतीजा निकाला कि जब तक किसानों द्वारा उत्पादित गल्ले के मूल्य में बढ़ती नहीं होगी तब तक उनको कोई लाभ नहीं पहुंच सकता है।

श्रीमान, आप देखें कि आज हम लोग गल्ले के लिए इतने परेशान हैं। खरीफ और रबी आन्दोलन के लिए कितनी सारी मशीनरी वर्क कर रही है लेकिन गल्ला बढ़ नहीं रहा है। लेकिन साथ ही साथ शुगर केन की प्राइसेज जो फिक्स्ड हैं--उचित कीमत तो मैं उसको नहीं कहूंगा--लेकिन उसमें किसान को चूंकि थोड़ा-सा पैसा मिल जाता है तो न खुशामद करने की जरूरत होती है और न प्रचार करने की जरूरत होती है, किसान खुद ही पता चला लेता है कि अच्छे किस्म का बीज कहां से मिल सकता है, अच्छे किस्म की खाद कहां से मिलेगी ताकि वह गन्ना ज्यादा पैदा कर सके और उसको ज्यादा पैसा मिल सके क्योंकि गन्ने का मूल्य निर्धारित है। लेकिन किसान आज गल्ले के सिलसिले में अन्धेरे में है। मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं लेकिन आज ५० फीसदी किसान ऐसे हैं जो महाजन के कर्जे से लदे हुए हैं और महाजन ताक में बैठा रहता है कि कब फसल तैयार हो और कटे कि वह उसे बोरों में बंधवा कर दूकान पर ले जाय, क्योंकि किसान कर्ज में लदा हुआ है। ऐसी दशा में किसान क्या पैदा कर सकता है जब तक कि गल्ले का मूल्य निर्धारित न किया जाय। जैसा कि संशोधन में कहा गया है, मूल्य उचित ही निर्धारित होना चाहिए। केवल मूल्य निर्धारण से कोई लाभ नहीं हो सकता है जैसा कि इस सदन में सरकार द्वारा घोषित किया जा चुका है। सन् १९५४-५५ में सरकार ने जब गेहूं खरीदा था तो गेहूं १० रुपये मन और धान ७ पये मन के हिसाब से खरीदा था। इसी सदन में ठाकुर हुकुम सिंह जब कृषि मन्त्री थे, तो एक प्रश्न पूछा गया था कि सरकारी फार्म्स पर जो गेहूं और धान पैदा होता है उसके पैदा करने पर प्रति मन सरकार की क्या लागत लगती है। मुझे अफसोस है कि आंकड़े लाया नहीं, १६ पये मन गेहूं बतलाया था और १३ पये मन धान और इसी तरह से कुछ चने के दाम बतलाये थे जहां तक मुझे याद पड़ता है। तो जहां

[श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह]

एफीशियेंट लोग मैनेज करते हैं, जहां पर सारे साधन उपलब्ध हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, जहां सारे लोग अमेरिका और इंगलैन्ड से लौटे हुए सुपरवाइज करते हैं, मानी हुई बात है, प्रोडक्शन का सिद्धान्त है, जितनी एफीशियेंट मैनेजमेंट होगा, जितना सुदृढ़ कैपिटल होगी, प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो ऐसी जगह पर पैदा करने में लागत लगती है १७ पया मन, उस में डायरेक्टर वगैरह की तनख्वाह नहीं लगायी जायगी, फार्म के सुपरिन्टेंडेंट और वहां काम करने वालों की तनख्वाह लगा कर यह रेट निकला है। तो वहां तो १६ पया प्रति मन कास्ट आफ प्रोडक्शन आती है और किसान से १० रुपया मन में गल्ला खरीदा जाय। अगर ऐसे भाव निर्धारित किये जायेंगे तो नतीजा यह होगा कि किसान और तबाह होगा। इस से अच्छा तो है कि दाम निर्धारित ही न हो।

जब कोआपरेटिव वगैरह की बात कही जाती है तो तरह-तरह की बातें कही जाती हैं। आज प्रोडक्शन के लिए, जैसा प्रस्ताव है, कई चीजें हैं। एक तो यह कि किसान के लिए ग्रेन बैंक्स होने चाहिये। मुझे अफसोस है, मैं संशोधन नहीं दे सका, कोआपरेटिव मार्केटिंग बहुत अच्छी चीज है। मगर ग्रेन बैंक्स थोड़ी-थोड़ी दूर पर होने चाहिये जहां किसान अपना गल्ला ले जाय, गल्ला रख दे और काम चलाने के लिए कुछ पैसा ले ले और जब बाजार में अच्छे भाव आवें तो अपने गल्ले को बेचे। अगर सरकार किसान का हित चाहती है तो ऐसी चीजें लाए और उनके प्रोत्साहन के लिए कुछ काम करे। महज रबी और खरीफ आन्दोलन करने से काम नहीं चलने वाला है।

श्रीमन्, कौन नहीं जानता किसान सदियों से खेती कर रहा है। वह खेती की महत्ता अच्छी तरह से जानता है, पानी की महत्ता जानता है। लेकिन आज उसकी कमजोरियां हैं जो उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। वह जानता है कि पानी से लाभ होगा। मगर क्या कारण है जिसकी वजह से वह अपने खेत में कुंआ भी नहीं बनवा सकता? उन कमजोरियों की तरफ सरकार का ध्यान हरगिज नहीं जायगा। ध्यान जायगा कि ७०० रुपया पर कैपिटा आमदनी हो गई ५५५ रुपये की बजाय। अगर वास्तव में सरकार चाहती है कि किसानों को कुछ लाभ पहुंचे, गल्ला यहां अधिक पैदा हो तो उसे कुछ करना चाहिये। जरा श्रीमन्, सदन विचार करे कि आज १५ अरब रुपय का गल्ला हमारे यहां इम्पोर्ट हो रहा है। अगर आज इसी रुपये से ग्रेन बैंक्स खोल दिये जायं और क्रेडिट सुविधायें दे दी जायं तो गल्ले का उत्पादन बढ़ जायगा। आज जो कोआपरेटिव क्रेडिट सरकार दे रही है किसानों को श्रीमन्, वह तीन परसेंट पर दे रही है। बाकी किसान महाजनों से कर्ज लेता है। उसका गल्ला भी सस्ता बिकता है और सवाया, डयोढ़ा सूद भी देना पड़ता है। उस तरफ सरकार उदासीन है। सरकार ध्यान देगी कि १० रुपया मन गेहूं ले ले और ७ रुपया मन धान। अभी हाल में माननीय देशमुख साहब ने भुवनेश्वर में एक भाषण में कहा कि किसान तब तक भली हालत में नहीं हो सकता, उसकी हालत सुधर नहीं सकती, जब तक गल्ले के ऊपर जितनी बढ़ोत्तरी हो उसका लाभ किसानों को मिले। कहा जाता है कि गल्ले के दाम दिन प्रति दिन बढ़ते जा रहे हैं। श्रीमन्, आप भी देहात के रहने वाले हैं आपको मालूम होगा कि किसान जब गल्ला बेचता है और फिर दुबारा व्यापारी जब उसी गल्ले को बेचता है तो डयोढ़े का फर्क हो जाता है दामों में।

अब जो इंडस्ट्रियल गुड्स और ऐग्रीकल्चरल गुड्स की डिसपैरिटी है उसकी तरफ भी देखा जाय। आज कहा जाता है कि गल्ले का भाव बढ़ा दिया जाय। मगर कोई ध्यान नहीं देता कि इंडस्ट्रियल गुड्स का क्या भाव है। १९४८ में ऐग्रीकल्चरल गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स की जो डिसपैरिटी थी आज उससे भी ज्यादा है। ऐग्रीकल्चरल गड्स की प्राइसेज गिरी हैं जब कि इंडस्ट्रियल गुड्स की बढ़ी हैं। इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। मगर गल्ले के दामों की तरफ सब ध्यान देते हैं। जब तक इस तरफ ध्यान नहीं जायगा किसान की उदासीनता खेती की ओर बढ़ेगी। जो हमारे उत्साही नवयुवक खेती की तरफ आगे बढ़े थे और जिन्होंने पूंजी लगाई थी और जो कुल १३ करोड़ एकड़ परती यहां तोड़ी गई उसमें से केवल डेढ़ करोड़

एकड़ सरकार की तरफ से तोड़ी गई और १२ करोड़ एकड़ प्राइवेट लोगों के द्वारा तोड़ी गई। यह पिछले साल की फीगर्स हैं और इधर सन् १९५७ के बाद बिल्कुल भी परती नहीं टूटी है। मैं इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का और संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब बहस बन्द की जाय।

श्री फतेह सिंह राणा (जिला मेरठ)--श्रीमन्, अभी तो बोलने वाले बहुत हैं।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)--श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं। अभी बहस जारी रहे।

श्री उपाध्यक्ष--तो अभी विवाद जारी रहेगा।

श्री कैलाशकुमार सिंह (जिला बदायूं)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री शिवराज सिंह जी के इस प्रस्ताव का कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि जब तक उत्तर प्रदेश खाद्यान्न के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर न हो जावे तब तक के लिये सरकार किसानों से गल्ला कोआपरेटिव सोसाइटीज तथा सरकारी एजेन्सीज द्वारा खरीदने की व्यवस्था करे", उसकी भावना से सहमत हूं और इसका अनुमोदन करता हूं।

जहां तक इसके लागू करने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में दो राय हो सकती हैं परन्तु प्रश्न यह है कि इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई। फूड ग्रेन्स इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में श्री अशोक मेहता ने यह साफ तौर से कहा है कि हमारे सूबे में गल्ले का खुला व्यापार रहना यहां की खाद्य स्थिति का सुधार करने में सहायक नहीं है बल्कि हानिकारक है। ऐसी हालत में स्टेट ट्रेडिंग करने के लिये पहले तो फूड प्राइसेज के स्टेबिलाइजेशन के लिये एक ऐसा बोर्ड बने जो देश में खाद्यान्नों की कीमत निर्धारित करे। उस रिपोर्ट में खास तौर से किसी सूबे विशेष की बात नहीं कही गई है। समस्या यह पैदा होती है कि हमारे यहां जो स्टेट ट्रेडिंग की जरूरत है वह तो साफ जाहिर है। पिछले आंकड़ों के हिसाब से २ करोड़ ४० हजार टन खाद्यान्न की जरूरत थी, यह हिसाब १० छटांक के हिसाब से सन् १९५६-५७ में लगाया गया था। और गवर्नर महोदय के ऐड्रेस में १४ प्रतिशत की कमी बताई गयी थी उससे जाहिर है कि १,४२३ हजार टन की और कमी रही और इस तरह से ३,९६३ हजार टन की कमी हो गई। १० छटांक के हिसाब से हमें रोजाना खाना मिले तो निश्चित रूप से इतनी कमी मिलती है। यह कमी इससे भी जाहिर है कि पिछले दिनों हमारे यहां एकदम से भाव कितने ऊपर चले गये और फसल के तैयार होने वाले भावों से वह भाव दुगुने हो गये और जिसके कारण गरीब जनता को अनेक कष्ट उठाने पड़े। यह चीज सदन के सभी विद्वान् सदस्य जानते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो न जानता हो और जिसके सामने इस तरह की मुश्किलें न आई हों।

तो ऐसी सूरत में जब कि प्रदेश में यह कमी है और गल्ले की बढ़ोत्तरी होने की निकट भविष्य में सम्भावना नहीं है---मुझसे पूर्व वक्ताओं ने यही विचार व्यक्त किये हैं---तो अपने प्रदेश में खाद्यान्न की समस्या को सुलझाने के लिए और अधिक उत्पादन करने के लिए यह आवश्यक है कि इसमें स्टेट ट्रेडिंग हो। लेकिन स्टेट ट्रेडिंग ही एक ऐसी रेमेडी नहीं है जिससे यह कमी दूर हो जाय। यह कमी दूर होनी चाहिए। इसमें कई चीजें सम्मिलित हैं, जैसे अच्छी खाद, पानी, जमीन की तरक्की, उसके साथ-साथ और ऐसी जरूरियात जो कि खेती के लिए जरूरी होती हैं, वह सभी चीजें इसके साथ-साथ आती हैं। जैसा कि माननीय गोविन्द सहाय जी ने कहा और पालीवाल जी ने भी कहा था कि जमींदारी अबालीशन के बाद जो एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हमारे सूबे में लागू होना चाहिए था फूड प्रोडक्शन को इनक्रीज करने के लिए, उस ओर हम कदम उठाने में ढीले रहे, ढीले ही नहीं रहे कुछ हम इतने ज्यादा सुस्त रहे कि जो सन् १९५२-५३ में एक स्वप्न देखा कि फूड-ग्रेन्स में हम आत्म-निर्भर होने जा रहे हैं वह स्वप्नवत् ही रहा और ऐसी जगह पर आज हम खड़े हुए हैं कि जब हमें विदेशों से गल्ला मंगा कर अपना पेट भरना पड़ रहा है। यह हमारे देश के लिए जो कि खेतिहर मुल्क है शर्म की बात है। हम कहते हैं कि हम

[श्री कैलाश कुमार सिंह]

किसान हैं, हमारा मुल्क किसानों का मुल्क है, हम जमीन से पैदा करके खाने वाले हैं और इतना भी नहीं कर सकते कि अपना पेट भी भर सकें तो कैसे हम किसान कहलाने के अधिकारी हैं ?

इन सब चीजों के साथ अब सवाल आता है कि किसान जो पैदा करता है, जो कुछ भी वह पैदा करता है उसका उसको उचित मूल्य मिलता है या नहीं ? उचित मूल्य मिलने के लिए यह आवश्यक है कि, जैसे कीमतों के उतार चढ़ाव देखने में आये हैं, किसान अपनी पैदावार को रोके, फिर उसके बाद बेचे। यह चीज दिमागी तौर पर तो सम्भव हो सकती है, लेकिन जब उसकी फसल पैदा होती है उसी समय पर उसके ऊपर खर्चे आकर लदते हैं। ट्यूबवेल का, नहरों का, सिंचाई का पैसा उसे देना पड़ता है, लगान देना पड़ता है, घर में शादी-ब्याह होते हैं तो बाल-बच्चों के लिए कपड़े बनवाने पड़ते हैं, दूसरे खर्चे करने पड़ते हैं रिश्तेदारी-नातेदारी में, आने-जाने में, तो उस समय यह नामुमकिन है कि किसान अपनी पैदावार को रोक सके। वही किसान रोक सकते हैं जिनकी आर्थिक अवस्था कुछ अच्छी हो। लेकिन मेरा अपना तजुर्बा है कि जो भी इस पेशे में हैं आज उनकी आर्थिक अवस्था ऐसी नहीं रह गई है चाहे बड़े हों या छोटे, जो अपनी पैदावार को रोक सकें। यह आवश्यक हो जाता है कि उसी समय उसको निकालें, लेकिन जैसी कीमतें उस समय होती हैं उनमें कम दामों में गल्ला जाता है। इन सब चीजों का असर पड़ता है कि उसको उत्साह नहीं रहता, उसकी प्रेरणा मारी जाती है। वह समझता है कि मैं चाहे कितनी मेहनत करूं, बाल-बच्चों के दुःख सुख को न देखूं, लेकिन नतीजा वही निकलता है कि गिने गिनाये वही पैसे मिलते हैं। (एक आवाज---डाक के तीन पात) हां, वही मसल है।

तो ऐसी सूरत में यह आवश्यक है कि हम ऐसा कोई साधन निकालें जिससे काश्तकार को सही दाम अपने वक्त पर मिल सकें। उसके लिए एक तरीका यह है स्टेट ट्रेडिंग का। मैंने जैसा शुरू में कहा, मैं इसकी भावना से पूर्णतया सहमत हूं और यही एक तरीका हो सकता है जो कि फूड-ग्रेन्स इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में भी कहा गया है। लेकिन उसमें कोई तस्वीर साफ नहीं की गयी है। उन्होंने ऐसा ढुलमुल में डाल दिया है कि न तो पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं, न पूरी तरह से निजी क्षेत्र के हाथ में ही छोड़ सकते हैं, कोई बीच का तरीका ऐसा निकालना है जिसके जरिये से हम स्टेट ट्रेडिंग कर सकें। और इस निश्चित प्रस्ताव के जरिये यदि हम अपनी सरकार के हाथ बांध देते हैं तो उसमें मेरे विचार से सरकार को कुछ कठिनाई जरूर पड़ेगी। इसके लिये पहले सोच-विचार की आवश्यकता है कि आया जिन एजेन्सीज के द्वारा हम स्टेट ट्रेडिंग करने का सुझाव सदन के सामने रख रहे हैं उसको कार्यान्वित करने पर जो मौजूदा स्थिति है उससे कहीं बदतर स्थिति में तो हम नहीं पहुंच जायंगे। हमें सोचना तो यह है कि जो भी बात हम यहां पास करें उससे जो मौजूदा हालत है उससे अच्छी हालत में हम पहुंचें न कि यह कि, हमारे विचार तो अच्छे हों लेकिन हम काम ऐसे कर डालें जिससे और बुरी हालत में पहुंच जायं। हमारे यहां की कोआपरेटिव मशीनरी की जड़ें अभी तक काश्तकार के दिल में नहीं पहुंची हैं। वह जड़ें फैल तो गयी हैं, यह मैं मानता हूं, मैं भी एक कोआपरेटर हूं, मैं जानता हूं कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट और कोआपरेटिव मूवमेंट इन दोनों की शाखायें काफी लम्बी पहुंच गयी हैं लेकिन उनका सम्बन्ध अभी तक अवाम के दिल से नहीं हुआ है। जब तक हम जनता का उस पद्धति में विश्वास और प्रेम नहीं पैदा करते उस समय तक फूड ग्रेन्स की डीलिंग का इतना बड़ा कार्य किसी एक मशीनरी में दे देना यह भी एक अनवाइज स्टेप (unwise step) इस समय होगा।

इसके अलावा दूसरा सवाल आता है, जैसा कि एक सुझाव आया, प्राइस स्टैबिलाइजेशन बोर्ड की स्थापना का, जिसका काम यह हो कि वह गल्ले की खरीद-फरोख्त भी करे और स्टोरेज भी करे, बफर स्टाक भी जमा रखे। जैसे कि जो बड़ा आढ़तिया होता है वह मार्केट को कंट्रोल करता है, जो भाव वह सुबह निकाल दे उसी भाव बिकता है, तो वह एजेन्सी उसकी जगह ले ले और जो कीमतें निश्चित हों उनको एक लिमिटेड मार्जिन के अन्दर फलक्चुएट करने दे। सरकार की ओर से दो, तीन महीने पहले काश्तकार को बता दिया जाय कि वह क्या कीमत देगी।

जैसा कि लहरी जी ने पिछली बार इसी मोशन पर कहा था कि कहते हैं कि व्यापार स्टेट द्वारा करिये लेकिन गन्ने का बोना नहीं रोकते। काश्तकार तो बेवकूफ नहीं है, उसको जिसमें ज्यादा पैसा मिलेगा वही चीज बोयेगा। जब गन्ने की एक कीमत निर्धारित हो जाती है, १ रुपया ५ आना या १ रुपया ७ आना मन तो वह समझता है कि हमें इतनी आमदनी तो हो ही जायगी। तो यही इन्सेन्टिव हम क्यों न उसके लिये खाद्यान्न में पैदा करें। ये सब ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही मौलिक (basic) हैं। म इस प्रस्ताव की ताईद करता हूं लेकिन साथ ही साथ इसके इम्प्लीमेंटेशन (implementation) के सिलसिले में जब तक पूरी बात साफ न हो जाय तब तक इस प्रस्ताव के द्वारा सरकार को बांधना उचित नहीं होगा।

*श्री मनिखान सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिवराज सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है और माननीय श्रीकृष्णदत्त पालीवाल जी ने जो संशोधन रखा है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जब-जब खाद्य समस्या के सम्बन्ध में यहां पर बहस हुई या खाद्य-स्थिति पर विचार करने के लिये हम लोग बैठे तो उस समय यही पाया कि खाद्य समस्या बिगड़ रही है। उसके लिये कभी भी यह नहीं सोचा गया कि वास्तव में उसके बिगड़ने का कारण क्या है? जो इस प्रस्ताव के द्वारा या उसके आधार पर पूर्ण होता है। खाद्य समस्या को ठीक करने वाला वास्तव में किसान है और किसान को जब अपनी चीज का ठीक मूल्य मिलने लगेगा तो वह और भी मेहनत से काम करेगा और उत्पादन बढ़ाने के लिये दिन रात एक कर देगा। किन्तु हम देखते हैं कि यहां पर जब बहस होती है तो सस्ते गल्ले की या सस्ते गल्ले की दूकानों के ऊपर ही होती है।

आज इस प्रस्ताव के बारे में हम यह सोच सकते हैं कि गल्ला सस्ता किस आधार पर होना चाहिये। किसान को मूल्य किस आधार पर मिले। यह तभी हो सकता है जब सरकार की ओर से पूरे प्रांत के लिये एक निश्चित नीति तय की जाय और हर जगह पर कोआपरेटिव सोसाइटीज द्वारा या सरकार द्वारा जो भी लोग निश्चित हों उनके द्वारा छोटी-छोटी मंडियों में, जहां किसान आराम से गल्ला ला सकते हैं उन्हें अपनी चीज का ठीक मूल्य मिल सके। अब हमारे जिन मित्रों ने एतराज उपस्थित किया है वह यह हो सकता है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज को चलाने के लिये जो अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं जैसे डी० सी० ओज० और इन्सपेक्टर आदि वह नौकरशाही का बर्ताव करते हैं। इससे हम लोगों के सामने एक समस्या उत्पन्न हो जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण दे दूं क्योंकि मैं भी जिला कोआपरेटिव बैंक का डायरेक्टर हूं और संघ से भी सम्बन्ध रखता हूं। जब गल्ले के वितरण की समस्या आई तो बोर्ड ने एक निश्चित योजना बना ली, लेकिन नौकरशाही के बल पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का आदेश मिला कि साढ़े तीन मन से ज्यादा गल्ला नहीं दिया जा सकता है। इसलिये वह पालिसी खत्म हो गई। चुनाव पार्टी के आधार पर होते हैं सहकारिता के आधार पर नहीं होते। मैंने देखा कि मैनपुरी कोआपरेटिव बैंक का दो वर्ष से चुनाव नहीं हुआ है और रजिस्ट्रार के दफ्तर में जहां जुलाई में चुनाव हो जाने चाहिये थे उसके आब्जेक्शन्स पड़े ये हैं। उसका निर्णय करके क्यों नहीं भेजते हैं? आज तक वहां चुनाव नहीं हुआ। पार्टीबन्दी के आधार पर बैंक काम करता है। इससे यह होता है कि वहां के किसानों को सच्चे अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। जिन लोगों का बैंक से सम्बन्ध है उनका गल्ला पहले लिया जायगा और गरीब किसानों का नहीं लिया जायगा। इस तरह की स्थिति आ सकती है। यह नीति की बात है।

उत्पादन पर जोर दिया गया है। इसके लिये तीन चीज की आवश्यकता होती है जमीन अच्छी हो, गर्मी हो, उचित मात्रा में पानी हो। जब तीनों चीजें होंगी तो उत्पादन बढ़ेगा। हमारे यहां किसान जमीन ठीक करते हैं, भौतिक तथ्यों की खाद इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिंचाई विभाग पानी नहीं देता तो उसका परिणाम यह होता है कि पौधा उगता है और सूख जाता है। उत्पादन बढ़ने के बजाय और कम हो जाता है। कभी गेहूं का उत्पादन बढ़ाते हैं और कभी गन्ने का, और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मलिखान सिंह]

इस तरह से योजना खत्म हो जाती है। मैं बताऊं कि मई में जब किसान के पास गेहूं था तो भाव १३ और १४ रुपये मन का था, उसके बाद जब उसका गेहूं बिक गया, तो जुलाई और अगस्त में उसका भाव २६ और २८ रुपये मन का हो गया। आज उपाध्यक्ष महोदय, जब किसान की धान की फसल बाढ़ और बारिश से बच कर आयी है तो उसका भाव बाजार में २५ और २६ रुपये से घट कर ११ और १२ रुपये मन का हो गया है। जो काश्तकार सोचता था कि हम तकावी आदि सब इस फसल से अदा कर देंगे वह उसको बेचकर लगान और आबपाशी भी नहीं दे पा रहा है। इस प्रकार की हालत इसलिये है कि कुछ लोग जब चाहते हैं तो गल्ले का भाव ऊंचा कर देते हैं और जब चाहते हैं तो नीचा कर देते हैं। सरकार को चाहिये कि किसानों का गल्ला छोटे छोटे स्थानों पर तेज दामों पर ले और कपड़ा और लोहे आदि वस्तुओं का उचित मूल्यांकन करे और इस काम के लिये एक कमेटी बनायी जाय और वह सारे प्रदेश में इसके लिये एक नीति निर्धारित करे और उसके अनुसार गल्ला खरीदा जाय। जब किसान को गल्ले की आवश्यकता हो तो उसको गल्ला उचित मूल्य में दिया जाय। क्योंकि देहातों में मजदूरी करने वाला किसान जो एक या डेढ़ रुपया रोज कमाता है, कभी-कभी दो या ढाई सेर का मटर खाने के लिये खरीदता है तो इतना गल्ला रिजर्व में रखा जाय कि जब देहातों में आवश्यकता पड़े तो वह उचित मूल्य पर उनको दिया जा सके। इस तरह से हम खाद्य समस्या हल कर सकते हैं, किसान को उसकी पैदावार का उचित मूल्य भी दे सकते हैं और उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कह दूं। आज सरकार बार-बार इस बात का प्रचार करती है कि भौतिक तत्व से बनी हुई खाद का इस्तेमाल करो। मैंने आगरा में प्लानिंग कमेटी की बैठक में एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से पूछा कि फेमिली प्लानिंग का प्रचार करते समय तो आप कहते हो कि पैदावार नहीं बढ़ेगी इसलिये प्लानिंग होनी चाहिये, लेकिन जो यह भौतिक तत्व से बनी हुई खाद डालने का प्रचार किया जाता है इसका आगे चल कर क्या असर होने वाला है? यदि आप फेमिली प्लानिंग की बात सोचते हो तो आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि खाद कैसी इस्तेमाल हो ताकि जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़े। उन्होंने कहा कि इसके लिये हमको किसी एक्सपर्ट से राय लेनी पड़ेगी। मैंने स्पष्ट कहा कि अगर यही खाद इस्तेमाल होती रही तो हमारे खेत १०, १५ सालों के बाद ऊसर नजर आयेंगे और इससे हमारी खाद्य समस्या हल नहीं होगी बल्कि बढ़ जायगी। खेतों में कम्पोस्ट और ग्रीन मैन्योर का इस्तेमाल होना चाहिये। खेतों में गोबर, सनई और नील आदि की खादों का उपयोग किया जाना चाहिये ताकि उत्पादन बढ़ सके। पानी देने पर बल दिया जाय। जैसा अभी विभव जी ने कहा, हम छोटी योजनाओं के पक्ष में हैं। इसी साल की बात मैं आपके सामने बताना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष--मैं देख रहा हूं कि माननीय सदस्य आपस में बातचीत कर रहे हैं। आप कृपया शान्त रह कर वक्ता का भाषण सुनें।

श्री मलिखान सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी साल का जिक्र करना चाहता हूं कि नहरों का पानी गर्मी के दिनों में ३, ३ महीने तक बन्द रहा। जिन लोगों ने अपने खेतों में गन्ने की फसल बोई हुई थी उनकी गन्ने की फसल सूख गई। जिन लोगों ने पहले जापानी ढंग से धान बोया था उनको भी नुकसान हुआ। इस सरकार द्वारा या ब्लाक के द्वारा जो उसके लिये प्रचार हुआ था और उस तरह से पौधे लगाये गये थे वह सब पौधे सूख गये और फिर कहा यह जाता है कि अन्न उत्पादन करो। यह चीज तभी हो सकती है कि जब हम ठीक समय पर नहरों में पानी दें। जो प्रचारक हैं, जो ब्लाक के द्वारा प्रचार के लिये जाते हैं उनको भी कम से कम निश्चित समय की बात उसी आधार पर सोचनी चाहिये कि कहां पर किस चीज की पैदावार होती है। इसी तरह का प्रचार करना चाहिये। मैंने देखा कि सरकार की तरफ से ग्राम साथी जो वहां पर गये उन्होंने बताया कि भूड़ में जापानी ढंग की खेती का प्रचार करेंगे और भूड़ में भी जापानी ढंग से धान लगाने की बात कही। हमने कहा कि यह कैसे हो सकता

है तो उन्होंने कहा कि भाई यहां पर अफसर आयेंगे तो उनको यह दिखा देंगे कि यहां पर इतना काम हो गया है और बाकी हमें कुछ नहीं करना है। तो यह पैन्ट वाले बाबू वहां गांवों में जाकर किसानों को कैसे समझा सकते हैं कि वह उस तरह से खेती करें जब कि उनको यह पता नहीं होता है कि किस स्थान पर कौन चीज ज्यादा हो सकती है। इस तरह से हमको यह नहीं करना चाहिये। प्रान्त में कहां किस चीज की जरूरत है और कहां कौन चीज बोई जा सकती है इस तरह की योजना हमें पहले तैयार करनी चाहिये। पूर्व में किस तरह का अन्न पैदा होता है और पश्चिम में कहां क्या चीज ज्यादा पैदा होती है। देखने के बाद तब आप उसके आधार पर निश्चित योजना उत्पादन की बना सकते हैं और तब वह खाद्यान्न की समस्या हल कर सकते हैं नहीं तो मुर्गी का प्रचार यहां पर करें और भैंस और गाय का प्रचार पहाड़ पर किया जाय इससे कोई योजना सफल नहीं हो सकती है। जो एनर्जी वहां पर हमारी खर्च हो तभी वह सफल हो सकती है। तभी हम यह देख सकते हैं कि उसमें हम कहां तक सफल हुये हैं। यदि हमने किसी निर्माण की योजना को लिया है तो उसमें ही हमको अपना सारा समय लगाना चाहिये। एक ही साल में सरकार की तरफ से एक ही मर्तबा इतनी योजना वहां पर पहुंच जाती है कि जो लोग वहां पर भाषण देते हैं वह भाषण देते देते नेता बन जाते हैं और किसान जो हैं वह सुनते सुनते यह समझने लगते हैं कि इनका काम तो चिल्लाना ही है और कुछ दूसरा काम नहीं है। यदि वहां से किसानों के मतलब को सोचकर योजना जाय और अधिकारी ऐसे जायं जो किसानों से मिल कर काम करें और उनके साथ पुर पर बैठकर बातें करें और समय पर उनको पानी दें तो खेती की पैदावार बढ़ सकती है और उससे अधिक उत्पादन अपने प्रदेश में हम बढ़ा सकते हैं जिससे यह समस्या हल हो।

दूसरी चीज यह है कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने एक प्रस्ताव पास करके भेजा था कि गन्ने का मूल्य १ रुपया १२ आने रखा जाय लेकिन इस सरकार ने उसका भी पालन नहीं किया है। उसका दाम १ रुपया ७ आना रखा गया है। सरकार को किसी तरह से उस प्रस्ताव का पालन कराना चाहिये। यह सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। मैं यह देखता हूं कि यहां पर सदन के सदस्य जो अपनी राय प्रकट करते हैं उसको पार्टीबन्दी के रूप में या स्वाभिमान के रूप में ले कर पालन नहीं किया जाता है बल्कि उसको यह समझा जाता है कि जो भी सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया उसको उसी तरह से स्वीकार होना चाहिये और विरोधियों का काम चिल्लाना है और विरोध करना है। मैं यह भी निवेदन करूं कि जब किसानों को यह मालूम हो जायगा कि हमको सही मूल्य पर चीजें मिलेंगी तो उसी आधार पर वह खेती करेंगे। मैं तो कहूंगा कि आज नेहरू जी भी वही भाषण देने लगे हैं जो कि जनसंघ के नेता ५ साल पहले दिया करते थे। जनसंघ कहता था कि योजनायें इतनी बड़ी बनायी जायं जिससे छोटी-छोटी योजनाओं में काम चल सके। योजना ऐसी नहीं होनी चाहिये जो आगे चल कर खतरनाक साबित हो।

चौधरी रघुराज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—विवादान्त प्रस्ताव कभी न कभी आ ही जायगा इसलिये माननीय सदस्य संक्षेप में ही भाषण करें तो अच्छा हो।

श्री फतेहसिंह राणा—श्रीमन्, शिवराज सिंह जी का यह प्रस्ताव समय के अनुकूल है और ऐसे वक्त पर रखा गया है जब कि मैं समझता हूं वह हमारी सरकार और इस आदरणीय सदन को एक गंभीर विचार की ओर ले जायगा। दूसरी ओर यह प्रस्ताव उन लोगों की एक कसौटी भी बनेगा जिनको मैं कह सकता हूं कि उनको केवल जबानी हमदर्दी है, लिप सिंपेथी है। बहुत से सज्जन ऐसे होते हैं जो रात दिन कहते हैं कि हमारा ध्येय सोशलिज्म है, हम

[श्री फतेहसिंह राणा]

सहकारिता के माफिक हैं लेकिन आज मैंने उनके कुछ के व्याख्यान सुने तो मुझे ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा कि मैं सोशलिज्म में विश्वास करता हूं, सहकारिता में भी विश्वास करता हूं—पर—आगे कुछ पता नहीं। लड़के की शादी होनी चाहिये, बहुत अच्छा लड़का है, पर उसको मिर्गी आती है। इस तरह से जिनको केवल लिप सिंपेथी है, जबानी हमदर्दी है, जब मौका आयेगा उस चीज को अमल में लाने का, तब उसके लिये वे कुछ कर नहीं सकते सिवाय इसके कि विश्वास तो करता हूं लेकिन अभी असंभव मालूम होता है।

एक सज्जन ने फरमाया कि कोआपरेटिव में हमें ३ फीसदी की कामयाबी हुई। मैं यह तो नहीं कह सकता कि उनकी जानकारी कम है या अच्छी नहीं है, लेकिन इतना बता देना चाहता हूं कि कोआपरेटिव पहले थीं क्या? केवल ऋण समितियां थीं जो केवल कर्ज देने का काम करती थीं। वे आफीशियल्स के हाथ में होती थीं। सरकार की तरफ से कागजों पर यह दिखाने के लिये कि सरकार किसानों को कुछ कर्ज भी देती है, यह हुआ करती थीं। ब्रिटिश रिजीम से यह चीज चली। सन् १९०४ में इसका कानून बना और सन् १९१२ में वह तरमीम हुआ। उस वक्त वह ऋण कानून बना। तो मैं यह कह रहा था कि ऐसे भी लोग हैं जो यह कहते हैं कि उनको सहकारिता में विश्वास है लेकिन उसमें कामयाबी केवल ३ प्रतिशत हुई है। यह बात तो केवल कर्ज की है। हमारे देश में उसकी जितनी आवश्यकता है उसका केवल ३ प्रतिशत ऋण कोआपरेटिव के द्वारा बांटा गया। जहां तक कामयाबी का संबंध है अगर किसी को विश्वास है तो वह उसके लिये काम करे। अगर काम न करे और फिर कहे कि कामयाबी नहीं हुई तो उस कहने का क्या अर्थ? जो यह कहते हैं कि कोआपरेटिव अच्छी चीज है तो उनको उनमें काम करना चाहिये। महज यह कह देने से कि मेरा विश्वास है लेकिन उनको कोई काम न दिया जाय, अगर आज तक कोई उन्नति उनकी नहीं हो पायी है तो आगे भी न हो पाये, यह अजीब दलील है। जब वे खुद कहते हैं कि कोआपरेटिव्स कामयाब नहीं हुई तो क्या कभी यह भी सोचा कि उसका कारण क्या है? लिप सर्विस? कोआपरेटिव्स कोआपरेटिव्स कह देना और उनको कोई काम न देना? जैसे इस प्रस्ताव के द्वारा सरकार सहकारिता के द्वारा खरीद फरोख्त करे। लेकिन कुछ सज्जन उसकी मुखालिफत करते हैं और फिर कहते यह हैं कि कोआपरेटिव अच्छी चीज है, हम उसमें विश्वास करते हैं। उसे कोई काम तो न दिया जाय और कहा यह जाय कि उन्नति नहीं हो रही है तो यह तो एक बिलकुल लचर दलील है। कुछ सज्जनों ने यह भी कहा कि साहब बड़ी भारी दिक्कत हो जायगी अगर सरकार ने अपना कोई इन्तजाम किया या सहकारिता के द्वारा इस काम को कराया। यह कहना कि साहब मानोपाली हो जायगी या कोआपरेटिव सोललेस है, उसमें कोई जिन्दगी नहीं है, इसलिये कि एक संस्था है तो उसके द्वारा वह काम नहीं होना चाहिये। लेकिन उन सज्जनों से अगर यह पूछा जाय कि क्या सोशलिज्म सिवा इसके कि कोई काम सरकार करे या सहकारिता के द्वारा हो, कोई और दूसरी चीज भी हो सकती है? सरकारी और सहकारी ये दो ही चीजें हो सकती हैं। यह कहना कि इसमें कोई जिन्दगी नहीं है, इस तरह से हम उनके कार्यकर्त्ताओं में या उनमें कोई जिन्दगी नहीं पैदा कर पायेंगे। यह कहना कि इसमें कुछ दिक्कतें इस किस्म की आयेंगी, जैसे माननीय विभव जी ने कहा कि वे सोशलिज्म में विश्वास करते हैं लेकिन वह सेंट्रलाइज हो जायगा इसलिये हम उसकी मुखालिफत करते हैं क्योंकि हम डिसेंट्रलाइजेशन में विश्वास करते हैं, कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। चूंकि यह केन्द्रीयकरण हो जायगा, इसलिये वे इसके खिलाफ बोलते हैं, यह एक अजीब दलील है।

जहां तक सेंट्रलाइजेशन होने का सम्बन्ध है, अब जो रेल चलती है वह सेंट्रलाइज है, फिर कोई यह कहे कि इसे उद्योगपतियों को दे दिया जाय और फिर यह कहा जाय कि हम तो सोशलिज्म में विश्वास करते हैं। जब कहीं कोई काम होता दिखलायी देता है तभी केन्द्रीयकरण आ जाता है। केन्द्रीयकरण यह नहीं है कि स्टेट ट्रेडिंग हो और सरकार स्वयं गल्ला खरीदे

या सहकारिता द्वारा खरीदवाने। आदरणीय पालीवाल जी के संशोधन के बाद यह कि उसकी कीमत भी सरकार निर्धारित करे, इसको केन्द्रीयकरण हो जायगा, ऐसा कहना उचित नहीं।

तो श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यह वक्त की मांग है कि हम सोशलिज्म चाहते हैं। अब वक्त आ गया है कि जो शोषण करने वाले लोग हैं, जो निठल्ले कमाई खाने वाले हैं, वे अब इस देश में ज्यादा दिनों तक पनपने वाले नहीं हैं। हमारे साथी भी अगर कुछ दिनों तक इनको और जिन्दा रखना चाहते हैं तो वे भी निराश होंगे और मैं तो यह भी कहने की जुर्रत करता हूं कि यदि हमारी सरकार आज भी अपनी आंख नहीं खोलती और देश या प्रदेश की नब्ज को नहीं पहचान सकती तो वह गलती करती है और इस सुनहरे मौके से फायदा नहीं उठाती तो और भी गलती करती है। सुनहरा मौका मैं इसलिये कहता हूं कि हमारे देश की डेवलपमेंट कौंसिल ने हाल ही में कहा है कि गल्ले को स्टेट ट्रेडिंग की जाय। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे वे साथी जो अपने को प्रोग्रेसिव कहते हैं किस आंकड़े से कह सकते हैं कि इस गल्ले के व्यापार में कोई व्यक्ति अब भी रह सके और जनता का शोषण कर सके। एक अजीब बात है। जो खास पोलिटिकल पार्टीज हैं उनकी तरफ से यह कहा जाता है कि शोषण बहुत बुरी चीज है। कांग्रेस, सोशलिस्ट, पी० एस० पी० और कम्युनिस्ट खास तौर से कहते हैं कि शोषण समाप्त किया जाय। हर पार्टी और हर समझदार व्यक्ति का यह एक मत है कि हर शोषण को खत्म किया जाय। आज जब सारे देश की डेवलपमेंट कौंसिल ने अपना मत जाहिर कर दिया तब तो निहायत आवश्यक है कि शोषण समाप्त किया जाय। अखबारों में कुछ सज्जनों का ऐसा खयाल था और चेम्बर आफ कामर्स और सारे देश भर के ट्रेडर्स ने यह प्रस्ताव किया कि हम स्टेट ट्रेडिंग के खिलाफ हैं तो कुछ न कुछ उसमें पीछे की तरफ कदम उठाया जायगा।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमान जी, अगर हिन्दी के शब्दों का इस्तेमाल करें बजाय अंग्रेजी के शब्दों के तो अच्छा होगा, इससे समझने में सहूलियत होगी।

श्री फतेहसिंह राणा—मैं पुजारी जी का कृतज्ञ हूं। इसका अब खयाल रखूंगा। ट्रेडर्स के माने हैं तिजारत करने वाले लोग। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने एक वक्तव्य में कहा कि अब यह कदम पीछे हटने वाला नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि अब यह आदरणीय सदन और राज्य सरकार इस प्रस्ताव को बड़ी आसानी से स्वीकार करेगा। हो सकता है कि सरकार की तरफ से यह कहा जाय कि साहब कुछ दिक्कतें होंगी। अभी हम ठीक तरह से योजना को समझ नहीं पाये हैं। लेकिन इसमें एक सिद्धान्त की बात है और वह सिद्धान्त आपकी डेवलपमेंट कौंसिल ने तय कर दिया जिसका फैसला हमारी राज्य सरकार को मान्य है। तो फिर कोई दिक्कत है नहीं सरकार के वास्ते कि वह प्रस्ताव को स्वीकार न करे। एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक इस महकमे का सम्बन्ध है नये मंत्री इस पद पर आये हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं क्योंकि मैं उनके ख्यालात को अच्छी तरह से जानता हूं और यह भी जानता हूं कि वे क्या पालिसी निर्धारित करना चाहते हैं। इसलिये मुझे उनसे पूरी आशा है कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे।

चौधरी रघुराज सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मुझे हैरत और अफसोस है। साथ ही साथ खुशी भी है। अब यह सवाल होगा कि हैरत और अफसोस की बातें तो हैं, लेकिन अफसोस के साथ खुशी कैसी? यह कैसी बात? हैरत मुझे इस बात की है कि यह प्रस्ताव जो आज इस तरफ से आया है वह उधर से आना चाहिये था हमारी सरकार की तरफ से आना चाहिये था ...।

कुछ सदस्य—सरकार की तरफ से ही आया है।

चौधरी रघुराज सिंह--मुझे अफसोस इस बात का है कि जब गल्ले की चर्चा यहां हो रही है तो उधर की बेंचेज करीब-करीब ७० फीसदी खाली हैं। खुशी इस बात की है कि उधर बिल आखिर यह ख्याल पैदा तो हुआ कि मुल्क में और खास कर सूबे में गल्ले की दिक्कत है और इस बात का उन्होंने एहसास किया कि गल्ले की समस्या पर जिन लोगों ने फैसला जेल जाने का किया था वह सही थे और अगर सरकार ने उस मांग को ठुकरा कर जेल में लोगों को बन्द किया तो वह उसकी गलती थी। इस अहसास पर मुझे खुशी है।

इस प्रस्ताव के जरिये किसानों के लिए पैदावार की उचित कीमत दिलाने की मांग है। जहां ग्रो मोर फूड या औसत पैदावार बढ़ाने का सवाल है मैं समझता हूं कि वह खाद, पानी या जितनी भी सहूलियतें हो सकती हैं उन सबसे ज्यादा अहमियत किसान की पैदावार की कीमत रखती है। इसलिये कि अगर उसे खाद भी अच्छी मिल जाय, पानी भी आसानी से मिले और पैदावार भी अच्छी हो लेकिन जब वह बाजार में जाय और उसे अपने माल की कीमत मुनासिब न मिले, या जितनी होनी चाहिये उससे बहुत कम मिले तो मैं समझता हूं कि जितनी भी सुविधायें सरकार दे या वह खुद पैदा करे वह सब बेकार हैं। सबसे बड़ी बात कीमत की है। इस कीमत में बड़ी डिसपैरिटी है। जब किसान के घर में पैदावार होती है और उसकी जो कीमत उसको बाजार में मिलती है उसके बाद ज्यों ही उसके कब्जे से वह पैदावार बाजार में पहुंच जाती है तो दुगुनी या तिगुनी कीमतें उसकी हो जाती हैं। और जब उनको वह वापस लेता है अपनी जरूरियात के लिये तो उसे दुगुनी और तिगुनी कीमत देनी पड़ती है। इसलिये भी इस मांग की जरूरत है। मैं तो यह कहूंगा कि आज सरकार की आंखें खुली, यह मांग और यह जरूरत बरसहाबरस की थीं। हमारे वजीरेआजम ने अभी हाल में कहा है--"इतने अरसे के बाद भी हम गल्ले के मसले को न समझ सके"। तो यह तो सरकार की बहुत बड़ी नाकाबलियत है। मैं तो यह तजवीज करता था कि सरकार इस बात पर हुकूमत की बागडोर दूसरे हाथ में देकर सुबक दोश हो जायेगी लेकिन खैर . . .

(इस समय ३ बजकर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

उसने यही मुनासिब समझा कि यह अपने ही हाथ में रखी जाय और इसका फैसला आइन्दा के लिये छोड़ा जाय। अब तो वक्त बाकी नहीं है और बहुत ऐन वक्त आ गया है कि जब इस पर गौर करना ही है और इतना ही नहीं हमारी सरकार, जैसी कि मुझे उम्मीद है, बिला किसी हुज्जत के इस प्रस्ताव को मंजूर करेगी और उसको अमली जामा भी पहनायेगी। अगर उसको महज मंजूर कर लिया और सिर्फ कागजी बात रही या कि प्रोपैगेन्डे के खयाल से यह प्रस्ताव आया और अमल न हुआ तो मैं समझूंगा कि यह सारी बात बेकार थी।

हम जानते हैं कि देहात की आबादी और आमदनी के लिहाज से जितना टैक्स देहात के लोगों को देना पड़ता है उसके मुकाबले में शहरी लोगों को तो कुछ भी नहीं देना होता। उनकी आमदनी बड़ी सीधी है और यह करोड़ों आदमियों का सवाल है जिनके स्वीट आफ ब्रो पर हमारा वजूद कायम है। किसान को हर अपनी जरूरत की चीज तेज मिले और उसकी पैदावार जब आई तो दाम उसे न के बराबर मिले, मैं समझता हूं इससे ज्यादा और क्या सरकार की गफलत हो सकती है अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाय तो भी मैं समझता हूं बड़ी गनीमत है। हमारे देश में एक अर्से से अकाल की हालत मौजूद है जिसके लिये सरकार ने एक कमेटी भी मुकर्रर की। अभी हाल में सरकार की मुकर्ररकरदा मेहता कमेटी ने इस बात की जांच पड़ताल भी की, हम सब को याद है कि एक अरसे से विरोधी दल की तरफ से बेशुमार सवालात किये गये जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई और हकीकत का पर्दा उठाने के लिये हर इमकानी ताकत लगाई गई कि देहात में लोग भूख से मर रहे हैं लेकिन अफसोस है कि उन सवालात का जवाब इस सदन में हमेशा नहीं में दिया गया। लेकिन आज हमारी सरकार उन सब बातों की ताईद करती है और इसलिये आज यह प्रस्ताव उधर से आया है।

अगर यही बात एक साल या डेढ़ साल पहले तसलीम कर ली जाती और हमारी बात मान ली जाती तो यह नौबत न आती कि आप को हजारों आदमियों को जेल भेजना पड़ा और तरह तरह

की उन पर ज्यादतियां करनी पड़ीं । सिर्फ यही बात काफी नहीं है कि किसान को उसके गल्ले के मुनासिब दाम मिलें बल्कि उस पर आज जितना कर्जे का बोझ है या उसे जो आज सूद की ज्यादा दरें देनी पड़ती हैं, सरकार को इस तरफ भी ठोस कदम बढ़ाना चाहिये । अगर इस चीज पर सरकार तवज्जह करे और इसको एग्जामिन करे तो मालूम होगा कि जितनी ऊंची सूद की दरें हमारे देश के या सूबे के किसान को देनी पड़ती ह शायद दुनिया के पर्दे पर उसका दसवां हिस्सा भी नहीं ना पड़ता । मैं सरकार से कहता हूं कि आज भी किसान को सवाई पर बीज दिया जाता है, वह दर कितनी पड़ती है ? जितने अर्से तक किसान उस बीज को रखता है और जिस तरह से तीन तीन बार साफ कर के उससे लिया जाता है और कंकर मिट्टी मिलाकर उस को दिया जाता है उससे मालूम होगा कि वह हिसाब कहीं जाकर ३३–३४ प्रतिशत बैठता है ।

ऊंची कीमत की वजह से जो मुसीबत किसान पर आई है उसको बयान करने की न जबां में ताकत है और न कलम में लिख को, वह तो ऐहसास की बात है । जिन्होंने उनकी हालत को देखा है वह जानते हैं कि क्या कैफियत है । मैं ने भी अपने जिले में ५०–६० गांवों में जाकर देखा, लोगों के पास न रहने के लिये घर है, न कपड़ा है, न रोटी है और न बोने के लिये बीज है, बीज का तो सवाल क्या जब खाने को ही नहीं है । मैं तमसीलन जिला बुलन्दशहर की मिसाल देता हूं कि वहां १० लाख एकड़ जमीन जर काश्त है, ३ लाख एकड़ में रबी बोई गई और ७ लाख एकड़ जो बाकी रही उसमें आप समझलें कि २ लाख एकड़ म नशकर बो लग । इस तरह से ५ लाख एकड़ जमीन रबी में बोने की रहती ह, जब किसान क पास खा को ह नहीं तो वह फसल बोने के लिय बीज कहां से लाये ? सरकारी और सोसाइटीज के गोदामों में सिर्फ एक लाख ७० हजार मन बीज था, जब कि एक एकड़ में एक मन बीज दरकार ह तो ५ लाख एकड़ के लिये ५ लाख मन बीज चाहिये था । सिर्फ ४ लाख का बीज सरकार की तरफ से पंजाब और मंगाया गया लेकिन वह कितना था ? तो जहां तक रबी और खरीफ आन्दोलन के प्रोपैगेन्डा मात्र का सवाल है वहां तक ठीक है लेकिन आप बताइय कि इन वाकयात के अन्दर जब किसान के पास बीज डालने को न हो, खाने को न हो, तो रबी और खरीफ आन्दोलन का असल में फायदा क्या है ? बीज स आन्दोलन से तो पैदा होता नहीं, रुपये से दा होता है या सरकार उनको दे । जब उनके पास सा खरीदन के लिये नहीं सरकार को देने की तौफीक नहीं तो इससे क्या मतलब ? सिवाय इसके कि इस मुहकम पर आप जो भर के फजूल खर्चे किये जाइय । हकीकतन खेती का फायदा होता नहीं और न रबी आन्दोलन का कोई मकसद रह जाता है । फकत कागजी प्रोपेगैन्डे की बात रह जाती है, असलियत तो यह है कि उसके पीछे कुछ भी नहीं खाली ढोल है । कहां से लोगों ने बीज डाला है आप इसका अन्दाजा नहीं कर सकते, इस वास्ते कि आप सल्तनत के मालिक हैं, इनाने हुकमत आपके हाथ में है । आप खास खास लोगों से मुलाकात करते हैं, किसानों के हालात देखने की नौबत आप को कहां आती है । आपकी मसरूफियत और शगल बहुत हैं उनकी हकीकत इस जानिब के लोगों को ही मालूम है । इसलिये मैं समझता हूं कि यह है भी करीने इंसाफ कि इधर से कोई हकीकत बतायी जाय तो हमारी सरकार उसे गौर से सुने, उसे समझे और अमल करने की कोशिश करे ।

तो इस रबी की फसल के लिये जितने रकबे का खयाल था कि वह भी बो दिया जायगा, मैं समझता हूं कि उसमें से ५० फीसदी रकबा भी नहीं बोया गया और जसे मैं समझता हूं, मेरे जिले में हालत है करीब करीब सूबे में ज्यादातर वही हालत हैं और उससे अबतर हालत भी मुमकिन है। पूर्वी इलाके में तो और भी ज्यादा खराब हालत बतलायी जाती है । तो ऐसी सूरत में यह कहना कि सरकार को खरीदें गल्ले में दिक्कत आयेंगी ठीक नहीं । जब आप लारियां खुद चला सकते हों जमींदारी खुद कर सकते हों और बहुत सी बातें हमारी सरकार खुद करती है तो क्या किसान के गल्ले की कीमत मुनासिब ने के लिये तिजारत करने के वास्ते नाकाबिल है ? मैं तो नहीं समझता कि वह इनकार करके नाकाबलियत का सबूत गे और इस तरह की रेजोल्यूशन को मंजूर होने के बाद उसे अमली जामा न पहनायेंगे ।

[चौधरी रघुराज सिंह]

मैंने तो इस रेजोल्यूशन की बहस के दौरान में यह देखा कि इस भवन के किसी गोशे से और किसी जानिब से खिलाफ आवाज नहीं निकली । इसकी हिमायत में लोगों ने सब ही जरूरी बातें कहीं और माकूल से माकूल दलीलें दीं । यहां तक कि उस जानिब से भी मुआफिकत हुई । तो जब ऐसी सूरत हो तो फिर कीमत के सवाल पर उसको अमलीजामा फौरन क्यों न पहनाया जाये कि १३–१४ रुपया मन गुड़ की कीमत जब वह हमारे घर में हो और ३० रुपया जब कि बाजार में हो, २७ रुपया मन गन्दुम जब कि सरकार के साहूकार दोस्तों के पास हो और १२–१३ रुपया मन जब कि वह हमारे खेत से पैदा होकर बाजार के लिये तैयार हो । यह बड़ी अनुचित और नाइंसाफी की बात है सबसे पहली बात है और मैं `शीनगोई बड़े डरते-डरते करता हूं कि बन्दानवाज जल्दी आंख खोलिये वरना यह कैफियत थोड़ी सी भी जारी रही तो फिर उधर की कुरसियां बिलकुल खाली हो जायंगी । इतना कह कर मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार इसे मंजूर करके इसको अमलीजामा पहनाने के लिये इस सदन में ऐसा अहद करेगी, जो मरदों के कौल और फेल के, शान के मुताबिक होता है ।

श्री नरेंद्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—सवे` खाद्य मंत्री ` कहा था कि वह अपनी नीति के सम्बन्ध में बतायेंगे और इस प्रस्ताव के सिलसिले में कहेंगे, तो पहले मैं उनको मौका ूंगा ।

खाद्य मंत्री, आप २५ मिनट बोल सकते हैं ।

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—अध्यक्ष महोदय, जिस भावना से प्रेरित होकर माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव रखा है उसका मैं हृदय से आदर और स्वागत करता हूं । अभी कुछ भाइयों ने इस बात की ओर इशारा किया कि हमारे देश में हम लोग इस बात का दावा भरते थे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के पश्चात् खाद्यान्न के सम्बन्ध में हमारा देश आत्मनिर्भर हो गया है मगर वह बात बिलकुल गलत और भ्रामक थी । ऐसा उनका विचार था और माननीय राज्यपाल ने जो १४ फीसदी कमी की बात बतायी थी उसके ही आधार पर वे इस धारणा को बनाये हुये थे । मेरा अब भी विश्वास है कि हमारा जो दावा पहले था वह आज भी सही है । दैवी प्रकोपों के कारण हमारे प्रदेश में १४ प्रतिशत कमी हुई है और सारे प्रदेश में १० प्रतिशत कमी हुई हो यह और बात है ।

रहा यह कि गत वर्षों में इस वर्ष की अपेक्षाकृत अन्नों के भाव इतने महंगे नहीं थे । ऐसा अबकी साल क्यों हुआ ? तो उसका कारण यही था कि बहुत से दैवी प्रकोप बाढ़ और सूखा के रूप में आये । इसके ऊपर मेरे मित्र ने कहा कि इस प्रस्ताव से स्पष्ट होता है कि जेल जाने का आन्दोलन जिन लोगों ने छेड़ा वह उनका सही कदम था । मैं अन्न के विषय पर कहूंगा कि जैसा आपने हमारे लिये कहा कि सुबह का भूला हुआ शाम को ठिकाने पर आ जाय तो ठीक ही है, मैं भी आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप उस भूल को न किये होते तो शायद हमारे यहां इतनी महंगाई न होती । यह मैं बहस के लिये नहीं कहता लेकिन भाव बढ़ने का कारण यही था कि जखीरेबाजों को मौका मिल गया ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—आपने जखीरेबाजों को रोका ?

(व्यवधान)

श्री जगमोहनसिंह नेगी—आप लोग जरा शान्त होकर मेरी बात को सुनिये जैसे मैंने आपकी बात को सुना ।

श्री अध्यक्ष—आप सब लोग शान्त रहें । आप उनके ऊपर हमला तो कर ही देते हैं अब उनका हमला भी सुन लीजिये ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---माननीय सदस्यों की यह जिम्मेदारी है कि वे कोई ऐसी बात न करें जिससे अन्न पर ऐसा कुप्रभाव पड़े कि हमारे देश और प्रदेश की जनता और खास कर गरीब वर्ग तो पीड़ित हैं ही, मध्यम वर्ग भी इन भावों के तेज होने से बहुत पीड़ित हैं । चौधरी रघुराजसिंह जी ने हमें उपदेश दिया कि सुबह का भूला हुआ शाम को ठिकाने पर आ जाय तो बड़ा अच्छा हो । इस उपदेश को यदि वे स्वयं अपना लें तो देश का बड़ा कल्याण हो ।

चौधरी रघुराज सिंह---आपकी इजाजत से मैं यह मालूम करना चाहता था कि सत्याग्रह शुरू होने से पहले गेहूं का क्या भाव था, दौरान सत्याग्रह क्या रहा और बाद में क्या हो गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---आप सुनते रहिये, अगर मौका होगा तो मैं जवाब दे दूंगा । पूर्व इसके कि मैं प्रस्ताव के विषय पर आऊं श्री नारायणदत्त जी तिवारी ने जो कामरोको प्रस्ताव रखा था मैं उसके संबंध में एक बात बतला दूं और मैं सदन का समय ज्यादा न लूंगा क्योंकि मैं हर सप्ताह अन्न के भाव में जो कमी या बढ़ती की रिपोर्ट होती है उसे पढ़ता हूं । वह बात यह है कि मैंने मालूम किया कि सब से रद्दी किस्म का धान ९ रुपये ७० पैसे मन है । हर जगह के संबंध में मेरे पास रिपोर्ट है और इस आधार पर बता दूं कि मोटा धान जिस जिले का कहें बता दूं । देहरादून में १२ रुपये, सहारनपुर में ११ रुपये ७५ पैसे, मैनपुरी में १२ रुपये, बरेली में १० रुपये १२ पैसे इत्यादि ।

श्री अध्यक्ष---यह भाव आप धान का बता रहे हैं या चावल का ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---पैडी का । इधर के जिलों का भी बता दूं । बांदा में ९ रुपये ८१ पैसे है । इसी तरह हर जिले में है और किसी में ९ रुपये से कम नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---यह किस तारीख की रिपोर्ट है ।

श्री जगमोहन सिंह नेगी---यह २९ तारीख की रिपोर्ट है । १९५५ के सितम्बर के महीने में भी प्राइस सपोर्ट की बात चली थी और उस समय चावल का ११ रुपये और पैडी का दाम ६ रुपये ८७ पैसे था । अभी तो ९ रुपये से कहीं कम नहीं है । तो ऐसी कोई विषम परिस्थिति नहीं है । हम इस बात के लिये सतर्क हैं कि किसान के लिये प्रेरणा बराबर बनी रहे । अगर भाव ज्यादा गिर जायेंगे तो वह पैदा ही क्यों करेगा ? इसलिये मैं इसकी भावना से ज्यादा प्रभावित हूं और इसकी कोशिश करता हूं कि उनको ठीक मूल्य मिले । इस साल मैंने देखा कि अब तक हमने गेहूं, चावल और कोर्स अनाज ३,१५,७०० टन वितरण किया है । कहने को भले ही कोई कह दे कि भूख से आदमी मर गये लेकिन मैं नहीं कह सकता । अंडर न्यूटरीशन से मर गये हों या बीमारी से मरे हों तो बात दूसरी है । लेकिन भूख से मृत्यु नहीं हुई । ऐसी सूरत में मेरा मत दृढ़तर हो जाता है कि हमारे यहां इस मामले में हम लगभग आत्मनिर्भर हैं । इसमें कमी नहीं है । मैं इसको बराबर कहता हूं कि हम ठीक हैं ।

अब यह बात रही कि जैसे-जैसे आपकी पापुलेशन बढ़ती जाती है और अपने घर में आप तरक्की करते जाते हैं उसी अनुपात से अन्न का बढ़ाना जरूरी है । उसके लिये किस प्रकार से खेती का प्रयोग किया जाय और नहरों का किस तरह का कोआर्डिनेशन हो यह ऐसी चीज है जिसमें किसी की दो रायें नहीं हो सकती हैं । इसके लिये हम नित्यप्रति प्रयत्नशील हैं । मैं अभी एक बात को कई जगह से सुन रहा था कि बीज की कमी रही और वह इतना कम रह गया । मेरे पास इस समय ठीक आंकड़े तो नहीं हैं लेकिन जो बात कही गई वह मुझे कुछ जंची नहीं । जितनी मुझे जानकारी हुई उससे पता लगा कि आप लोगों का यह खयाल है कि पिछले साल से अधिक जमीन पर रबी की फसलें बोई गयी हैं । और विरोधी दल का यह कहना कि इस साल नमी की वजह से ५० फीसदी जमीन पर रबी की काश्त नहीं बोई गई, गलत है । तो मैं नहीं समझ पाता कि कौन सी बात सही है । मैं समझता हूं दोनों बात सही हैं । सदन में अपने-अपने मन की सभी सदस्य बात कह सकते हैं । उनको कहने का अधिकार है । ऐसा

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

हो सकता है कि जहां पर वाटर लागिंग रहा होगा वहां पर कुछ जमीन रह गई होगी । मगर ईस्टर्न जिलों में काफी बुवाई हुई । हमने पंजाब से गेहूं बीज के लिये मंगाया था । उससे बीज की कमी नहीं रही ।

कहा गया कि आन्दोलन के जमाने में यह कीमतें बढ़ीं या घटीं ? यह आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं । अगर आप ही इस बात को देखते तो यह चीज मालूम हो जाती । जिस समय आप कृष्ण मन्दिर में पहुंचे हुये थे उन दिनों अन्न के मिलने में कितनी दिक्कत थी यह सब जानते हैं । उन दिनों एक सेर ८ छटांक का गेहूं मिलता था लेकिन जब आप दर्शन बाहर ले आये तो आज लखनऊ में लगभग १ सेर १५ छटांक गेहूं का भाव है ।

जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने कहा मैं इसके मूल सिद्धांत से और इसकी भावना से प्रभावित हूं और जब उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है कि सरकारी एजेन्सी या कोआपरेटिव सोसाइटी के जरिये से यह बात हो तो यह उचित ही है । लेकिन साथ ही जो यह बात कही गई है कि प्राइस फिक्स कर दी जाय यह माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिये कि हमारे हाथ की यह बात नहीं है । यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट की बात है । हम उसके लिये कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय इसके कि अपनी सिफारिश उनके पास भेज दें ।

जैसा कि अभी एक मित्र ने कहा था कि स्टेट ट्रेडिंग अच्छी बात है और हम लोग भी उस सिद्धान्त के प्रतिकूल नहीं हैं और यह सरकार भी उसके प्रतिकूल नहीं है मगर वह ऐसा प्राब्लम है जिससे गवर्नमेंट आफ इंडिया का पूरा सम्बन्ध है। उन्होंने नेशनल डेवेलपमेंट कौंसिल की राय के अनुसार एक स्टडी ग्रुप मुकर्रर किया है जो इस चीज को एक्जामिन कर रहा है कि किस आधार पर यह स्टेट ट्रेडिंग की जाय और उस पर विचार करने के बाद स्टेट लेविल पर उस पर विचार होगा। जब उनकी स्कीम यहां आ जायगी, उसके बाद तब उस पर कोई कार्यवाही हो सकती है। इसी लिए कहता हूं कि आज का प्रस्ताव प्रिमेच्योर है, उसके लिए अभी अधिक नहीं कह सकता। नारायणदत्त जी ने जो बात कही, उस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि हम भाव को अधिक नहीं गिरने देंगे। मैं इस समय बताना नहीं चाहता, शायद एक दो दिन में स्पष्ट हो जाय कि भाव क्या रहेगा, लेकिन मैं बतला दूं कि हम चावल का स्टाक बना रहे हैं। भाव की बात बतलाने से लाभ की अपेक्षा हानि अधिक हो सकती है और इस के साथ ही कोर्स ग्रेन और बाजरा भी खरीद रहे हैं। यह इसलिए बता दिया कि भाव जो गिर रहे हैं उनमें कुछ रुकावट आ जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अभी केन्द्रीय सरकार ने एक घोषणा के अनुसार हमारी सरकार को डेढ़ लाख टन चावल खरीदने की इजाजत दे दी है और आप कहते हैं कि इस समय हम घोषित नहीं करना चाहते। तो इसमें क्या उलझन है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मैं आप को बता दूं कि मैं परसों देहली गया था और उस रोज भी मैंने कुछ सवालों की बाबत आपको बताया था, लेकिन जो घोषणा हुई है और जो अखबारों में छपा है वह सरकारी नहीं है। वह तो समाचार-पत्रों की कारस्तानी है। तो इसके लिए मैं क्या कहूं। अथराइज तरीके पर वह बात नहीं हुई है। उन की और मेरी बात में बहुत सी बारीकियां हैं और उस की वजह से मैं स्वयं वहां गया था और वहां के खाद्य मन्त्री से काफी विचार-विमर्श हुआ और वह मामला दो, एक दिन में स्पष्ट हो जायगा इसका मैं आश्वासन देता हूं। मुमकिन है कि आज आ गया हो। मैंने कल फोन मिलाया था, लेकिन लाइन खराब होने के कारण सूचना पाने में असमर्थ रहा। जो घबड़ाहट आप के दिमाग में है कि खाद्यान्न की कमी है, वह मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि नहीं है और श्री जैन, जो वहां फूड मिनिस्टर हैं, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि अप्रैल के महीने तक वह हमें जितनी जरूरत होगी खाद्य देंगे। हम लोग बिलकुल निश्चिन्त रहें यह उन्होंने कहा है। उस समय तक स्टेट ट्रेडिंग का या खरीदारी का सारा सवाल हल हो जायगा।

अब एजेन्सी की बात हमारे गोविन्द सहाय जी ने कही। स्टेट ट्रेडिंग कैसे होगी, किस के जरिये होगी? तो यह सब सेन्ट्रल गवर्नमेंट की स्कीम आने के बाद तय होगा। लेकिन जो हम चावल और कोर्स ग्रेन खरीद रहे हैं उस के लिए हम क्या करेंगे यह मैं बतला दूं। आप को इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि इस के लिए सरकार की कोई एजेन्सी हो अथवा यह काम हम किसी एजेन्ट के द्वारा करायें या ट्रेडर्स से या कोआपरेटिव सोसाइटीज द्वारा यह काम कराया जाय। मैंने देखा कि हमारे प्रदेश में ८९ मार्केटिंग सोसाइटीज बनी हुई हैं और इसमें से जो चाहें हमारा लाइसेंस ले कर अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपने फाइनेंस को देखते हुए अगर काम करना चाहें तो हम उनको काम देंगे। अगर हमने कुछ जिलों की मार्केटिंग सोसाइटीज लीं तो हम उनके द्वारा भी कर सकते हैं। इस लिए बगैर अवसर दिये हम कोआपरेटिव के लिए कैसे कहें कि वे खराब हैं? भारतवर्ष को स्वराज्य देने के बारे में भी अंग्रेज कहा करते थे कि तुम कैसे संभालोगे? तो गल्तियां कर के ही आदमी सीखता है।

अभी बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स का मलिखान सिंह जी जिक्र कर रहे थे। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि एक तरफ तो वह दूसरी विचारधारा रखते थे और उधर कोआपरेटिव की बुराइयों को भी खोलते जाते थे। जैसा यहां श्री गोविन्द सहाय जी भी कह रहे थे, हमारे कानून एक हैं और नियम दूसरे हैं मगर उन नियमों का पालन कैसे होता है? पालन ऐसे होता है कि चाहे सरकारी नौकर हो या आप और हम हों और डाइरेक्टर या सेल्समैन बनें, सारी बात नेशनल कैरेक्टर पर निर्भर करती है। एक ही पार्टी को दोष देना कहां तक मुनासिब है? कोआपरेटिव सोसाइटीज ने यदि गल्तियां की भी हैं तो वे संभलेंगी। यदि हम स्टाक्स खूब बनादें और कल को इन्तजाम में कोई खराबी आ जाय या और कैसे ही हानि हो जाय तो आप ही यह कहेंगे कि स्टेट ट्रेडिंग के द्वारा या सरकारी एजेंसी के द्वारा सारा काम करना बड़ा खराब है और इतनी हानि हो गयी। पुरानी बातों का, पिछली ट्रेडिंग का, अब तक जिक्र किया जाता है। यह मानी हुई बात है, जैसा कि इस प्रस्ताव में भी लिखा है कि हम किसान से उचित मूल्य पर लें, परन्तु उस धान की नमी का कौन जिम्मेदार होगा? हम यह भी परीक्षण करना चाहते हैं कि थोड़ा सा गल्ला पेडी के रूप में सीधे किसान से भी खरीदें। उसकी कीमत के लिए मैंने अभी कहा कि मैं इस समय बताने में असमर्थ हूं। अगर आप का सहयोग रहा तो खाद्यान्न के सम्बन्ध में डरने की या घबराने की कोई बात नहीं है। हमें पूरी सप्लाई का आश्वासन मिला हुआ है कि अप्रैल तक हमको गेहूं केन्द्रीय सरकार दे सकेगी।

मेरा अपना अनुमान यह है कि इस समय चने, गेहूं और चावल की कीमतों में जैसा सामंजस्य होना चाहिए वैसा नहीं है। इस समय अप्राकृतिक है और यह मनुष्यकृत है, प्रकृति का किया हुआ नहीं है। मैं यह उम्मीद करता हूं कि जो सुबह एडजर्नमेंट मोशन नारायणदत्त जी ने दिया था और जिस पर मुझे वक्तव्य देने का आदेश हुआ था, उसके बारे में कोई एलार्मिंग बात नहीं है। भविष्य में भी हम कोई कमी नहीं रक्खेंगे, यह मैं विश्वास दिला सकता हूं।

श्री देवनारायण भारतीय—अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी ने इस बात को तो स्वीकार किया है कि वे स्टेट ट्रेडिंग करने जा रहे हैं और भाव गिरा कर नहीं बल्कि जो बाजार में भाव है उस पर, उसको उन्होंने क्वोट भी किया कि पैडी का क्या भाव है, उस पर खरीद रहे हैं। लेकिन जो इस प्रस्ताव की मूल मांग थी उस पर मंत्री जी ने कोई प्रकाश नहीं डाला। मैं उन से यह पूछना चाहता हूं कि आज जो किसान द्वारा उत्पादित वस्तुएं सरकार खरीद रही है और जब वे वस्तुएं उपभोक्ता के हाथ में बेची जायंगी तो उनके मूल्य में क्या अनुपात अथवा अन्तर होगा, इस पर माननीय मन्त्री जी ने कोई प्रकाश नहीं डाला। इस प्रस्ताव में जो मूल बात छिपी हुई थी वह एक यही थी।

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब वे आपको बाद में देंगे।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इधर और उधर दोनों ओर के वक्ताओं की बातें सुनीं और समझने का प्रयत्न किया कि किस भावना से बातें

[कुंवर श्रीपाल सिंह]

की जा रही हैं। मालूम यह पड़ा कि कोई भी व्यक्ति इस प्रस्ताव के विरोध में नहीं है। जहां तक कि माननीय मन्त्री जी ने भी कहा कि हम इस प्रस्ताव की भावना का आदर करते हैं, शायद कुछ शाब्दिक परिवर्तन वे उसमें चाहते हैं या केवल यूंही भावना का आदर किया और बाद में उस प्रस्ताव का विरोध करेंगे। लेकिन मैं इस प्रस्ताव के बारे में यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत ही उच्च कोटि का प्रस्ताव है और इसको मानना हर एक ग्रामीण की राय में बहुत ही जरूरी है क्योंकि यह सीधा उन्हीं से सम्बन्धित है। आज कपड़ा जहां बनता है वहीं सरकार की मुहर लग जाती है कि यह इतने पैसे गज बिकेगा और वह उस के ऊपर ही बिकता है उसके नीचे नहीं बिकता। लेकिन जिस गल्ले से हर एक चीज का मूल्यांकन होता है, यहां तक कि सोने का मूल्यांकन भी गल्ले से ही होता है, अगर गल्ला सस्ता है तो सोना भी सस्ता है और यदि गल्ला तेज है तो सोना भी तेज है। लेकिन इस प्रकार जो गल्ला तमाम चीजों का दाम निर्धारण करने वाला है, उस के मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है। जब किसान की मेहनत का प्रतिफल खलिहान में रक्खा जाता है, बीच वाले खरीदार घूमने लग जाते हैं। वे किसान के घर पर ही पहुंच जाते हैं। पीठ पर खोल रखे हुए हाथ में तौलने वाला सामान लिये हुए, किसानों के खलिहानों पर वे पहुंचते हैं। पहले तो वे बाजार भाव से बहुत कम उसको बतलाते हैं और जब तौलने लगते हैं तो उसमें भी मार देते हैं। इस प्रकार से उस सीधे-साधे किसान को बड़े से बड़ा नुकसान हो जाता है। थोड़े दिन बाद वह आढ़तिये को बेचता है, और आढ़तिया उसको बाद में उन्हीं किसानों को बेचता है और तिगुने-चौगुने भाव में बेचता है। इसका नतीजा यह होता है साल के अन्तिम दिनों में किसान के पास कुछ भी नहीं बचता और कुछ ही दिनों के बाद वह फटीचर हो जाता है जब कि बेचने वाले दुगुना-तिगुना मुनाफा कमाते हैं, और माला-माल हो जाते हैं। इस प्रस्ताव के जरिये बहुत ही उम्दा चीज होगी। सरकार के नियंत्रण में एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो उचित मूल्य पर गल्ले को खरीदें। लेकिन एक प्रश्न यह उठता है कि मूल्य का निर्धारण कैसे हो? अगर सरकार की तरफ से कोई मूल्य निर्धारण समिति बना दी जाय जो चीजों का मूल्य निर्धारण करे कि उस मूल्य पर चीजें खरीदी जायं, तो बहुत ही अच्छा होगा। यह कोई नयी चीज नहीं है। चाणक्य के कौटिल्य शास्त्र के अनुसार उस जमाने में हर सप्ताह हर वस्तु का मूल्य राज्य की ओर से निर्धारित होकर बाजारों में चला जाया करता था और उसी के आधार पर बाजार चलते थे। और आज जब कि कहा यह जाता है कि हम आगे बढ़े हुए हैं, हम प्रगतिशील हैं, तो जब हम से बहुत पीछे, कई हजार वर्ष पहले रहने वाले जिस चीज को कर चुके हैं, क्या हम उसे करने में हिचकिचाते हैं या शरमाते हैं?

श्रीमन्, एक दो बातें मैं और निवेदन करना चाहता हूं। अभी हमारे वयोवृद्ध राणा जी ने एक बात कही व्यापारियों के बारे में, मध्यवर्तियों के बारे में। मैं यह कहना चाहता हूं कि राणा जी चूंकि गांव के रहने वाले हैं, उनके हृदय में गांव के लिए प्रेम है, वे स्वयं ग्रामीण हैं, इसलिए उन्होंने यह बात कही है। मगर राणा जी स्वयं देखेंगे कि उन्हीं के पक्ष के लोग इसका विरोध भी करेंगे। वे विरोध इसलिए करते हैं कि ये जो मध्यवर्गीय व्यापारी लोग हैं जो किसानों की मेहनत से पैदा किये अन्न को सस्ते से सस्ता खरीदते हैं और उससे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहते हैं वे एलेक्शन के जमाने में हर पार्टी को रुपये से मदद करते हैं, चाहे वह इधर की पार्टी हो, चाहे उधर की कोई भी पार्टी हो। इसका प्रमाण श्रीमन् यह है कि आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो देखेंगे कि इस बेंच पर या उस बेंच पर कोई भी नेता नजर नहीं आ रहा है। जितने नेता हैं वे सभी गायब हैं और अगर कोई हैं भी तो वे भी ग्रामीण नेता हैं जो गांव के रहने वाले हैं। उसका कारण यही है कि जितनी पार्टीज हैं उन सब का वरदहस्त उन की पीठ पर है जो किसानों का खून चूसते हैं और उनकी उपज को सस्ते से सस्ता खरीद कर उन को फिर महंगे से महंगे दाम पर बेच दिया करते हैं। (आवाजें—उपनेता मौजूद हैं)—मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि जो गांव के रहने वाले नेता हैं वे मौजूद हैं लेकिन नेता लोग मौजूद नहीं हैं।

श्रीमन्, मूल्य निर्धारण समिति के लिए जो मैंने कहा, हम देखते हैं कि हमारे आस-पास के जो बहुत छोटे-छोटे मुल्क हैं और जो हमारे मुल्क के मुकाबिले में कुछ नहीं हैं, हमारे एक-एक सूबे के आधे भी नहीं हैं, उनमें ये चीजें आज काम कर रही हैं। अमेरिका जैसा मुल्क भी जो इसी दुनिया में हमारा साथी है, हम एक तरफ यह प्रचार करते हैं कि अन्न अधिक उपजाओ और अमेरिका अपने यहां यह प्रचार करता है कि अन्न मत उपजाओ। क्यों, क्या कारण है? इसका एकमात्र कारण यही है कि अमेरिका में खेती जो होती है, वहां के कृषक यह जानते रहते हैं कि हमारी उपज का उचित मूल्य मिलने वाला है। इसका मूल्य पहले ही से निर्धारित हो जाता है और उसी मूल्य पर सरकार खरीदती है। अगर सस्ता अनाज होता है तब तो उसे निर्धारित मूल्य पर खरीद लेती है और अगर महंगा होता है तो किसान अपने इच्छानुसार उसको जहां चाहता है खुले बाजार में बेचता है। लेकिन हमारे यहां तो यह है कि जब किसान अपनी मेहनत का प्रतिशत लेकर आता है तो उसको व्यापारी सात-सात रुपये और दस-दस रुपये मन के हिसाब से खरीदता है और उसे चार-पांच महीने अपने पास रख कर के उसे २६, २८ रुपये मन पर बेच देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि हमारे यहां का किसान हमेशा से ईश्वर के भरोसे रहता आया है और आज भी उसी के भरोसे रहता है। सरकार भी उसे ईश्वर के भरोसे ही छोड़ देती है और महज इसलिए कि वोट को एलेक्शन के मौके पर कैसे कैप्चर किया जा सके। सरकार तो बस यह चाहती है कि वोट कैसे पावे। इसलिए वह वोट को ज्यादा इज्जत देती है। बल्कि नोट को देती है क्योंकि पैसा उधर से आता है। वोट तो बेचारे किसान का होता है और बात जो यहां की जाती है वह वोट के मालिक को नहीं बल्कि नोट के माफिक की जाती है। नतीजा उसका यह होता है कि किसान हमारा दिन प्रति दिन दरिद्र होता चला जा रहा है। श्रीमन्, आज हमें विदेशों से लगभग १५ अरब रुपये का गल्ला खरीदना पड़ता है और यहां कहा जाता है कि लोहे के कारखाने खोले जा रहे हैं। एक-एक कारखाने पर पांच अरब का खर्चा आता है। खाली १५ अरब रुपये बाहर से गल्ला मंगाने में लगते हैं। साल में तीन लोहे के कारखाने बनाये जा सकते हैं अगर उस १५ अरब रुपये को बचाया जा सके। लेकिन गल्ले के उत्पादन की तरफ तब तक प्रोत्साहन नहीं होगा जब तक यह इत्मीनान किसान को नहीं होगा कि जितना खर्चा वह इस वक्त कर रहा है उससे अधिक उसको मिल जायगा, तब तक यह होना कठिन है। आज श्रीमन्, आप देखें कि गल्ले के मूल्य धड़ाधड़ गिर रहे हैं, और अन्य जितने भी रोजगार हैं उनमें दिन-प्रति-दिन वृद्धि होती चली जा रही है और लोग उनकी तरफ बराबर झुकते चले जा रहे हैं क्योंकि उनको राज्य का संरक्षण प्राप्त है। इसलिए उद्योग की तरफ लोगों का अधिक झुकाव हो रहा है। अगर यही हालत रही और इसी तरह से देहात के किसान को नेगलेक्ट किया गया तो एक दिन आने वाला है जब कि सब को भूखों मरना पड़ेगा। गल्ले की तरफ किसी की नजर नहीं जायगी और हम कर्जे से लदते जायेंगे। ११ साल के बाद प्रधान मन्त्री को याद आया कि प्रथम समस्या हमारे देश में खाद्य समस्या है। बड़ी खुशी की बात है कि अभी ११ साल ही बीते हैं और इतने पर भी अगर याद आ गया है तो हमें यह आशा है कि शायद अब यह समस्या सुलझ जाय।

अभी मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में राष्ट्रीय चरित्र के सम्बन्ध में कहा कि जब तक इसका उत्थान नहीं होगा तब तक कोई भी बात सफल हो नहीं सकती है। बिलकुल सत्य उन्होंने कहा, लेकिन साथ ही, श्रीमन्, यह भी है "राजा कालस्य कारणम्", राजा ही काल का कारण होता है। जिस तरफ राजा झुकता है उसी का प्रजा भी अनुसरण करती है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—वोटर ही राजा है।

कुंवर श्रीपाल सिंह—जी नहीं, वह तो दो मिनट के लिए है। जब तक वोटर बैलट बाक्स में अपना वोट नहीं डालता है, तब तक के लिए वोटर राजा है, लेकिन उससे पहले और उस के बाद जिसको उसने वोट दिया, वह राजा है। वोटर राजा नहीं है, राजा तो आप हैं जो राज्य गद्दी सम्भाले हुए हैं। अगर राष्ट्रीय चरित्र के उत्थान की आवश्यकता है तो आप कड़े से कड़ा कदम

[कुंवर श्रीपालसिंह]

उठाइये, भ्रष्टाचारियों को गोली से उड़ा दीजिये, तभी आप चरित्र का उत्थान कर सकेंगे। आप यह जो माडल पुलिस, व माडल जेल बना रहे हैं, इससे चोरी खत्म नहीं हो सकती। जिस समय चोरी का दण्ड हाथ काट लेना था, उस समय जेल खाली नजर आते थे। चन्द्रगुप्त के जमाने में चीनी यात्री ने वर्णन करते हुए लिखा है कि जेलों में कैदी नजर नहीं आते थे, लेकिन आज जेलों में जगह की कमी रहती है। यहां तक कि कैम्प जेल बनाने पड़ते हैं।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--डिक्टेटरशिप में ही यह हो सकता है डेमोक्रैसी में नहीं।

कुंवर श्रीपालसिंह--डिक्टेटरशिप में प्रजा को अगर आराम मिलता है तो डेमोक्रेसी की जरूरत नहीं है। राज्य प्रजा के आराम के लिये है न कि राज्य राज के लिये है और अगर राज्य राज के लिये है तो अरस्तु वाली जो परिभाषा है डेमोक्रेसी की वही आपके ऊपर लागू होती है। मैं तो निवेदन कर रहा था लेकिन बीच में थोड़ा पथभ्रष्ट हो गया इन लोगों की वजह से। तो मैं निवदन करूंगा मंत्री जी से कि वह देहात के रहने वाले हैं इस प्रस्ताव को मानें और मान करके इसी के आधार पर कार्य करें ताकि किसानों का हित हो।

*श्री मोतीलाल अवस्थी--प्वाइंट आफ आर्डर। मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगा कि एक तरफ नियमावली में दिया हुआ है कि :

> "१९ (२) प्रत्येक सप्ताह के प्रथम कार्य-दिवस पर जब सदन समवेत हो, सदन का ता अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत सदस्य प्रश्नों के उपरान्त सदन को उस सप्ताह में किये जाने वाले कार्य की तथा उस क्रम की जिस प्रकार वह किया जायगा सूचना देगा....."

और दूसरी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो अभी कार्य-वृत्त मिला है उसमें ८ दिसम्बर के लिय यह कहा गया है कि इंटरटेनमेंट ऐंड टिंग क्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ दो घंटे के लिये लिया जायगा और उसके बाद उत्तर प्रदेश निरसन (संशोधन) विधेयक, १९५८ आध घं के लिये लिया जायगा। तो आप देखें कि ८ दिसम्बर का भी पूरे दिन का प्रोग्राम हमारे सामने नहीं है। हमारी शिकायत है कि अभी हमारे सामने दो नये विधेयक पेश हुए हैं, एक उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ और दूसरा उत्तर प्रदेश स्टैम्प (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८, जैसा आपने देखा मोटर वेहिकिल्स (संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध म बिजनेस कमेटी कोई प्रोग्राम पास किया....

श्री अध्यक्ष--यह तो आप दूसरा सवाल कर रहे हैं। प्वाइंट आफ आर्डर इसके ऊपर तो ह नहीं। आप बीच में कैसे बोल रहे हैं। असरकारी कार्य के सम्बन्ध में कोई प्वाइंट आफ आर्डर रखें। आप ५ बजे इस प्रश्न को कीजिये। उसके बाद आपको मौका दूंगा।

राजा वीरेंद्र शाह (जिला जालौन)-- मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में--४०,

विपक्ष में--२।)

श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय...

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोतीलाल अवस्थी—अध्यक्ष महोदय, जब तक यह प्रस्ताव पास न हो तब तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष— प्रश्न यह है कि जब तक प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदन का निर्णय न हो जाय तब तक सदन बैठा रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री देवनारायण भारतीय—अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न मंत्री जी से किया था, उत्तर देने से पहले...

श्री अध्यक्ष—अन्त में मंत्री जी को बोलने का अधिकार होगा। मैंने यह कहा था कि वह आखिर में जवाब देंगे।

श्री शिवराजसिंह यादव—अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मंत्री जी तथा जिन अन्य सदस्यगण ने प्रस्तुत संकल्प पर अपने तर्क पूर्ण भाषण दिये हैं उनका मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं और जब स्टेट ट्रेडिंग के उसूल को मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है और उन्होंने यह दिक्कत पेश की है कि अभी यह स्कीम नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल के पास जायगी और यह मसला प्लानिंग कमीशन के तहत में तय होगा तो जब तक वह तय नहीं होता तब तक मैं इसको प्रेस करना उचित नहीं समझता। इसलिये मैं इसको वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तुत प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति ी जाय।

(विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई।)

श्री राजनारायण—श्रीमन्, वोट रिकार्ड हो जायं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—हाथ उठा कर ही वोट मालूम हो जायंगे।

(घंटी बन्द होने के उपरान्त)

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—६८,

विपक्ष में—४१।)

कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं एक सूचना ेना चाहता हूं, वह यह है कि १० दिसम्बर को श्री त्रिलोकी सिंह जी ने जो यहां पर इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कहा था कि बहुत सी जगह पानी भरा हुआ है कुछ जिलों में, उस सम्बन्ध में वह चाहते थे कि विचार-विनिमय दो घंटे के लिए हो तो मैं १० तारीख को ३ बजे से लेकर ५ बजे तक का समय इसके लिए निश्चित किया है। उस रोज इस पर बहस होगी।

श्री नरेंद्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, आज सदन का समय ५ मिनट के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, समय नहीं बढ़ता।

श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—श्रीमन्, मुझे अपना प्रस्ताव पेश करने की इजाजत दे दी जाय, अभी एक मिनट है।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं, ५ बज चुके हैं, कोई प्रस्ताव नहीं आयेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, प्रोग्राम के बारे में....

श्री अध्यक्ष--प्रोग्राम यह दिया हुआ है। अभी ढाई घंटे का तो प्रोग्राम आपके पास है ही। एक बिल दो घंटे के लिए है, एक आध घंटे के लिए है। उसके बाद कुमायूं जमींदारी वाला बाकी है, वह जारी है, उसके लिए सिर्फ समय निश्चित नहीं हुआ है कि कितने दिन तक वह चलेगा, लेकिन अगर उक्त कार्यक्रम समाप्त हुआ तो वह तत्काल ले लिया जायगा और उस पर काम शुरू हो जायगा। तो काम तो काफी है।

अब हम उठते हैं और सोमवार, ८ तारीख को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २ मिनट पर, सोमवार, ८ दिसम्बर, १९५८ के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
५ दिसम्बर, १९५८।

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०४ पर।)

अगस्त, १९५८ से नवम्बर, १९५८ तक राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय सरकार से प्राप्त किये गये गल्ले की तालिका

(मात्रा टनों में)

माह	विदेशी गेहूं	चावल	राजस्थान का चना	माइलो	बम्बई की ज्वार	पंजाब का गेहूं	योग
अगस्त, १९५८	४९,७६६	५८३	७०१	..	..	..	५१,०५०
सितम्बर, १९५८	८२,३७७	६,९५१	८१८	..	..	..	९०,१४६
अक्तूबर, १९५८	४५,१७२	१२,१३८	१,४०९	७,०५५	२,३२९	१२,९४६	८१,०४९
८ नवम्बर, १९५८ तक	८,७९१	३,०७५	..	२,४५१	५३३	..	१४,८५०

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०८ पर।)

राजकीय स्वास्थ्य बोर्ड द्वारा दिये गये अनुदान से जो बाल क्रीड़ा केंद्र स्थापित हुए हैं, उनका विवरण इस प्रकार है

जिला व स्थान	केन्द्रों की संख्या
हरदोई	
(१) हरदोई नगरपालिका	२
(२) शाहाबाद नगरपालिका	१
(३) बिलग्राम नगरपालिका	१
(४) पिहानी नगरपालिका	१
(५) पाली टाउन एरिया	१
(६) मल्लावां टाउन एरिया	१
(७) ग्राम नरेन्द्रपुर	१
सीतापुर	
(१) सीतापुर नगरपालिका	५
(२) बिसवां	१
(३) मिश्रिख	१
(४) ग्राम निगोंहा	१
लखीमपुर-खीरी	
(१) लखीमपुर नगरपालिका	२
(२) ग्राम मूंडागालिब	१
शाहजहांपुर	
(१) तिलहर नगरपालिका	२
पीलीभीत	
(१) पीलीभीत नगरपालिका	२
(२) ग्राम ऐमी	१
फर्रुखाबाद	
(१) फतेहगढ़ कैम्प	१
(२) फतेहगढ़ नगरपालिका	१
(३) कन्नौज नगरपालिका	१
(४) फर्रुखाबाद-कम-फतेहग नगरपालिका	१
(५) ग्राम मसेनी	१

विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२१ पर।)

क्रम-संख्या	कार्य	१९५५–५६	१९५६–५७	१९५७–५८
		एच० पी०	एच० पी०	एच० पी०
१	आटा, तेल, ई और दाल आदि	५५	२१२	५५
२	वर्कशाप और वेल्डिग . .	४५	६५	२७
३	मशीन और मशीन के ुर्जे बनाने के लिये . .	४०	१५	१०
४	दवाइयां बनाने के लिये	. .	१०	. .
५	छपाई, जिल्द बांधना तथा कढ़ाई . .	१५	१०	१
६	तार खींचना . .	२०	१०	. .
७	आरा मशीन . .	२०	१०	२०
८	ेट्रोल पम्प, काम्प्रेसर तथा पम्प आदि . .	. .	३०	. .
९	ट्यूब बनाना . .	३	. .	. .
१०	रेगमाल का कागज . .	. .	१०	. .
११	बिजली का तार बनाना	१७.५	१०	. .
१२	टीन की चादरें, छपाई तथा डिब्बे बनाना . .	. .	. .	३५
१३	ट्यूबवेल . .	१५	. .	. .
१४	जूट मिल . .	. .	. .	१७३
१५	तेल क्सपेलर . .	. .	. .	५०
१६	बेल्ट बनाने की मशीन	. .	. .	४५
	योग . .	२३०.५ एच० पी०	३८२ एच० पी०	४१६ एच० पी०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२७ पर।)

विस्तृत विवरण

अपने पत्र दिनांक १२ मार्च, १९५८ के द्वारा श्री चित्रकूट पांडेय ने उप निबन्धक, सहकारी समितियां, गोरखपुर को बैंक के कर्मचारियों के चुनाव में पक्षपात, बैंक की जीप के बेजा इस्तेमाल और बैंक की तामीरी कामों में गड़बड़ियों की शिकायत की। दिनांक १५ मार्च, १९५८ को श्री चित्रकूट पांडे ने एक पत्र गोरखपुर के नागरिकों, सहकारी अधिकारियों एवं राजनैतिक पार्टियों के नाम ९ शिकायतें और मांगें पेश करते हुये लिखा जिसमें मांग नं० ३, ५, ६, ७ और ८ जिला सहकारी बैंक से सम्बन्धित थीं। श्री चित्रकूट पांडे के पत्र दिनांक १२ मार्च, १९५८ में की गई मांगों के सम्बन्ध में सहायक निबन्धक ने बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर को अपने पत्र दिनांक १७ मार्च, १९५८ के द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये निम्न प्रकार सुझाव दिया:

(१) जीप बैंक में रक्खी जाय, जीप के इस्तेमाल के नियम संचालक मण्डल से स्वीकृत कराये जायं, जिससे जीप का अनुचित इस्तेमाल न हो सके।

(२) कर्मचारियों का चुनाव संचालक मण्डल द्वारा कराया जाय, और यदि सम्भव हो तो चुनाव रद्द किया जाय और इम्प्लायमेंट एक्सचेंज से नाम मांग कर चुनाव किया जाय।

(३) बैंक की इमारत में मरम्मत आदि का तामीरी काम संचालक मण्डल की स्वीकृति से कराया जाय और सभी खर्च संचालक मंडल से स्वीकृत होना चाहिये।

क्रम संख्या १ पर दिये गये सुझाव का तामील संचालक मंडल ने किया, सिवाय इसके कि बैंक की बिल्डिंग में कोई गैरेज न होने के कारण जीप प्रधान संचालक महोदय के निवास स्थान पर रखी जाती है।

क्रम संख्या २ पर दिये गय सुझाव के सम्बन्ध में बैंक के संचालक मंडल ने यह जवाब दिया कि कर्मचारियों का चुनाव संचालक मंडल की अनुमति प्रस्ताव संख्या १४, दिनांक १४ जनवरी, १९५८, जिसमें श्री चित्रकूट पांडे भी मौजूद थे और कोई आपत्ति नहीं की, से अखबारों में प्रकाशित कर, प्रार्थनापत्र आमंत्रित कर लिखित प्रतियोगिता परीक्षा लेकर एवं इन्टरव्यू करके सफल प्रार्थियों को सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया है और इसमें कोई अवैधानिकता नहीं की गई है।

क्रम संख्या ३ में दिये गये सुझाव के सम्बन्ध में संचालक मंडल के सुझाव के अनुसार पहले से ही कार्यवाही की है और खर्चे की स्वीकृति संचालक मंडल की बैठक दिनांक ९ मार्च, १९५८ के प्रस्ताव संख्या १९ से प्राप्त की जा चुकी है जिसमें श्री चित्रकूट पांडे भी मौजूद थे, मगर कोई आपत्ति नहीं की थी।

श्री पान्डे के पत्र दिनांक १५ मार्च, १९५८ के सम्बन्ध में सहायक निबन्धक ने जांच की और अपने पत्र दिनांक १७ मार्च, १९५८ से उपनिबन्धक व चेयरमैन को अपनी रिपोर्ट दी। इसके बाद उप निबन्धक ने अपने पत्र दिनांक १८ मार्च, १९५८ से श्री चित्रकूट पांडेय को यह सूचित किया कि उनके आरोपों की जांच शुरू कर दी गई है और बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर को आवश्यक आदेश दे दिया गया है कि वे आरोपों पर आवश्यक कार्यवाही करें और ऐसी दशा में उनका अनशन रखना उचित नहीं है उस पर मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक २३ मार्च, १९५८ बैंक के संचालक मंडल के समक्ष रखी, जिस पर संचालक मंडल ने अपने प्रस्ताव दिनांक २३ मार्च, १९५८ द्वारा इस बात पर क्षोभ प्रकट किया कि श्री पांडे ने अपनी शिकायतों को संचालक मंडल के सामने बिना रखे ही अवैधानिक तौर पर अनशन कर दिया। संचालक मंडल ने उनकी जांच करने के लिये एक सब-कमेटी बनाई। यह कमेटी जांच कर ही रही थी कि श्री चित्रकूट पांडे ने अपने पत्र दिनांक २५ मई, १९५८ को संचालक मंडल के समक्ष अपने बयान दिनांक २६ मई, १९५८

के द्वारा अपना आरोप यह बताकर वापस ले लिया कि मैं अस्वस्थ था, इस कारण कुछ लोगों के कहने में आकर यह आरोप लगाये गये थे। इस पर बोर्ड ने सब-कमेटी द्वारा जांच बन्द कर दिया। इसके बाद श्री चित्रकूट पांडे ने अपने पत्र दिनांक २६ जून, १९५८ के द्वारा संचालक मंडल को लिखा था कि उन्होंने अपने पत्र दिनांक २५ मई, १९५८ के द्वारा आरोप इस आशय से वापस ले लिया था कि उनके आरोपों से प्रधान संचालक का जो अपमान हुआ है वह ठंडा किया जाय और इन्होंने इस पत्र में बैंक के मैनेजर की मुअत्तली की कार्यवाही पर आपत्ति की। इस पर प्रधान संचालक ने उनके आरोपों की जांच की फिर से मांग की, किन्तु संचालक मंडल ने अपने प्रस्ताव संख्या १८ व २२ दिनांक १२ जुलाई, १९५८ के द्वारा यह निश्चय किया कि श्री चित्रकूट पान्डे के पत्र दिनांक २५ मई, १९५८ और बोर्ड के समक्ष उनके स्वतः बयान को देखते हुये उनके आरोपों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

इसके बाद भी सहायक निबन्धक ने अपनी रिपोर्ट दिनांक १७ मार्च, १९५८ के सिलसिले में मांग नं० ३, ५ और ६ की आगे जांच की। मांग नं० ३ के सिलसिले में चौथी और पूर्नमासी ने यह बयान दिया कि वे बैंक के मैनेजिंग डाइरेक्टर का निजी कोई भी काम नहीं करते हैं और केवल बैंक के कार्य के सम्बन्ध में उनके यहां आते जाते हैं। जहां तक इन चपरासियों को वेतन और वर्दी देने का सवाल है इसकी स्वीकृति बैंक के संचालक मंडल ने अपने प्रस्ताव संख्या ३७, दिनांक ३० अगस्त, १९५७ व प्रस्ताव संख्या १७, दिनांक ७ सितम्बर, १९५७ से दिया है जिसमें श्री चित्रकूट पान्डे भी मौजूद थे और इन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। इसमें कोई अवैधानिकता नहीं है।

मांग नं० ५ के सिलसिले में कागजात देखने से यह स्पष्ट होता है कि जीप संचालक मंडल की स्वीकृति प्रस्ताव संख्या १०, दिनांक १३ जनवरी, १९५७ से खरीदी गई है जिसमें श्री चित्रकूट पांडे भी उपस्थित थे और उस वक्त उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की।

मांग नं० ६ के सम्बन्ध में जांच करने से मालूम हुआ कि कोई ऐसा विकास संघ नहीं खोला गया है और रीजनल कोआपरेटिव कान्फ्रेंस में मु० १५२ रु० चैरिटी फंड से दिया गया है, जिसकी स्वीकृति संचालक मंडल ने प्रस्ताव संख्या १०, दिनांक १८ नवम्बर, १९५७ से दी और इसमें कोई अवैधानिकता या गड़बड़ी नहीं है।

श्री चित्रकूट पान्डे की किसी मांग पर जांच बाकी नहीं रह गई है। श्री चित्रकूट पान्डे इस जांच और कार्यवाही से अब संतुष्ट हैं या नहीं यह कहना कठिन है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इसके बाद इन्होंने संचालक मंडल की बैठकों में भाग लिया है, जिसमें किसी किस्म की आपत्ति या मांग नहीं पेश की।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२९ पर।)

सूची

तालाब का नाम	तालाब का क्षेत्र-फल (एकड़ में)	तालाब का नाम	तालाब का क्षेत्रफल (एकड़ में)
१—पीरा कुंडा ..	३·०	२३—गोहानी ..	०·४
२—सवानगर की डबरी ..	१५·०	२४—बीचवाली ..	१·०
३—अंधी डबरी ..	८·०	२५—बीबीपुर तलइया ..	०·९
४—नौगवां ताल ..	३·०	२६—मदरसा वाली ..	०.५
५—कनइन्ग ताल ..	८·०	२७—बगीया वाली ..	०·७
६—मरहा ताल ..	३·०	२८—नई तलइया ..	०·७
७—चंदुरा बहादुर ताल ..	३·०	२९—रऊसर वाली (कारखाने के पास) ..	१·०
८—मुरई चमार का ताल	५·०	३०—लाहोरी ताल ..	१·०
९—वंशा झाता (यारपुरताल)	१·०	३१—गुरहया २ ..	१·०
१०—जरीमपुर का ताल ..	३·०	३२—हथोरा टैंक ..	१·०
११—सतीयान और कुवर गरगढ़ही	३·०	३३—कुंडा १ और २ ..	२·०
१२—सोवागंज डबरी ..	३०·०	३४—गोहनी बघेरा ..	१·०
१३—कोला डबरी ..	३०·०	३५—बीचवाली बघेरा ..	०·५
१४—टकरवा डबरी ..	२०·०	३६—बगिया वाली बघेरा	०·७
१५—इसोरा डबरी ..	१५·०	३७—अकुपूर की तलइया	०·५
१६—रटा डबरी ..	५०·०	३८—सड़क वाली खंडहर	०·५
१७—बड़ा ताल ..	६·०	३९—गोहानी ..	०·४
१८—पीरगायब ..	५·०	४०—सहाबगंज ..	०·४
१९—झंडा पीर ..	२·५	४१—सरऊ ..	२·०
२०—बनशवा ताल ..	३·०		
२१—मसजिद वाली ..	०·५		
२२—पीपर वाली ..	०·६	योग ..	२३३·८

अमर पत्रकार

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३० पर।)

राजकीय विद्युत विभाग द्वारा पीलीभीत एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, पीलीभीत को दिये जाने वाली बिजली की दरें

	रु०	आ०	पा०	
(१) लाइट तथा पंखे के लिये ..	०	२	६	प्रति यूनिट
(२) बैटरी चार्जिग, १ बी एच पी तक के छोटे मोटर, हीटिंग तथा कूकिंग यन्त्रों तथा अनौद्योगिक सिंगल फेस २३० वोल्ट्स सर्किट के अन्य यन्त्र	०	१	६	प्रति यूनिट।
(३) स्ट्रीट लाइट ..	०	२	६	प्रति यूनिट।
(४) सिनेमा—				
प्रोजेक्ट तथा ड्राइविंग अप्रेटस	०	१	८	प्रति यूनिट।
लाइट तथा पंखे के लिये ..	०	२	६	प्रति यूनिट।

(५) औद्योगिक—

स्लाइडिंग स्केल	..	५० बी एच पी तथा उससे ऊपर के प्रतिष्ठापन (installation)	अन्य प्रतिष्ठापन (installation)
प्रथम १३२० यूनिट	..	१५·५ पाई प्रति यूनिट	१५·५ पाई प्रति यूनिट।
अगले १२०० यूनिट	..	८·५ पाई प्रति यूनिट	११·० पाई प्रति यूनिट।
अगले ६०० यूनिट	..	७·५ पाई प्रति यूनिट	९·५ पाई प्रति यूनिट।
शेष	..	४ पाई प्रति यूनिट	५·५ पाई प्रति यूनिट।
(६) मीटर टेस्टिंग	..	१५·५ पाई प्रत्येक के डब्ल्यू एच	
(७) लाइन लासेंस	..	१२ पाई प्रति यूनिट।	

पीलीभीत एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, पीलीभीत द्वारा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली की दरें

	रु०	आ०	पा०	
(१) बिजली तथा पंखे के लिये	०	७	९	प्रति यूनिट (बिलों के प्रस्तुत किये जाने की तिथि से दस दिन के भीतर भुगतान करने वालों के लिये दो आने प्रति यूनिट की छूट मिलती है।)
न्यूनतम या मिनिमम चार्ज	३	८	०	प्रति मास।

	रु०	आ०	पा०	
(२) औद्योगिक ..	०	२	९	प्रति यूनिट (बिलों के प्रस्तुत किये जाने की तिथि से दस दिन के भीतर भुगतान करने पर १० प्रतिशत छूट मिलती है।)
न्यूनतम या मिनिमम चार्ज	४	८	०	प्रति मास।
(३) सिनेमा प्रोजेक्टर तथा ड्राइविंग अप्रेटस ..	०	४	९	प्रति यूनिट (बिल में उल्लिखित समय के भीतर भुगतान करने पर २० प्रतिशत छूट मिलती है)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२७६ एल० ए०—१९५८—८४०।